खण्ड-149, अंक-6
शुक्रवार, 6 फाल्गुन, शक संवत् 1876
(25 फरवरी, 1955 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 149 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विधान पुस्तकालय
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २५ फरवरी, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२३)

अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसेन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृत नाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इसरारुल हक, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले उपनाम छन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री

चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल समर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल , श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जुगल किशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
डल्लाराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेज प्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बसन्तलाल, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती , श्री
भोलासिंह यादव, श्री

मकसूद आलम ख़ां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुज़फ्फर हसन, श्री
मुन्नीलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली ख़ां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद नवी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन [illegible]
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेश्वरसिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र बिशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री

लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुगन चन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

—o—

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २५ फरवरी, १९५५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

ग्राम जलालदीपुर, थाना अमहेड़ा, जिला बिजनौर में किये गए पुलिस अत्याचारों के सम्बन्ध में सी० आई० डी० की रिपोर्ट

**१--श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम जलालदीपुर, थाना अमहेड़ा, जिला बिजनौर में जो पुलिस द्वारा स्त्रियों के साथ गतवर्ष दुर्व्यवहार और बलात्कार किये जाने की शिकायत की गयी थी और जिसका सरकार ने सी० आई० डी० के द्वारा तहकीकात कराने का आश्वासन दिया था उसकी सी० आई० डी० द्वारा तहकीकात की जा सकी है या नहीं ?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)--सी० आई० डी० द्वारा मामले की जांच पूरी हो चुकी है।

**२--श्री शिवकुमार शर्मा--यदि सी० आई० डी० की तहकीकात पूर्ण हो चुकी है, तब क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सी० आई० डी० इन शिकायतों के सम्बन्ध में किस निष्कर्ष पर पहुंची है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--यह साबित हो गया कि पुलिस कुछ स्त्रियों को गिरफ्तार करके थाने पर ले गयी और वहां उनको बिला वजह देर तक रखा गया। बाद में इस बात को छिपाने के लिये डायरी के पृष्ठ बदले गये।

**३--श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस सम्बन्ध में कौन-कौन पुलिस कर्मचारी दोषी पाये गये हैं और सरकार ने इन व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है या करने को सोच रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--२३ कर्मचारी थोड़े बहुत दोषी समझे गये हैं, इनमें १२ कांस्टेबुल और २ क्लर्क हैं। इनके विरुद्ध दफा ७ की कार्यवाही हो रही है।

श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितनी स्त्रियों को गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया था और कितने समय तक उन्हें थाने में बन्द रखा गया था ?

श्री जगन प्रसाद रावत--दस स्त्रियों को गिरफ्तार कर के थाने पर ले जाया गया था और उनको एक रात और एक दिन रखा गया था।

श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि थाने में जो एक रात और एक दिन उन स्त्रियों को रखा गया और उनके साथ बलात्कार की शिकायतें जो की गयी हैं वे कहां तक सी० आई० डी० ने ठीक पायी हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत--बलात्कार की शिकायतें तो साबित नहीं हो सकीं लेकिन इसकी भी कोई वजह नहीं बतायी जा सकी कि उनको क्यों बिला वजह गिरफ्तार करके रखा गया।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)--क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि उक्त घटना के दिन क्या उस थाने के थानेदार उस थाने में उपस्थित थे ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जी हां।

श्री शिवकुमार शर्मा—जो २३ कर्मचारी दोषी पाये गये हैं जिनमें १२ कांस्टेबिल्स और २ क्लर्क्स १४ होते हैं, तो जो अन्य ९ अधिकारी हैं उनमें पुलिस के कौन-कौन हैं और थानेदार साहब के साथ क्या कार्यवाही अब तक की गयी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इसमें दो सर्किल इंस्पेक्टर, ५ सब-इंस्पेक्टर, १२ कांस्टेबिल्स, २ क्लर्क्स और २ या ३ हेड कांस्टेबिल्स हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या यह सही है कि जिन पुलिस के कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत है वे उस थाने में अब भी मौजूद हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी नहीं। इनमें से अधिकांश मुअत्तिल हैं और जिनके खिलाफ संगीन आरोप नहीं थे उनके खिलाफ दूसरी कार्यवाही हो रही है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि उन स्त्रियों की डाक्टरी जांच भी की गयी थी ? अगर हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या रही ?

श्री जगनप्रसाद रावत—सी० आई० डी० के द्वारा जांच की गयी थी, डाक्टरी जांच का प्रश्न उस समय नहीं उठा था।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस घटना को घटे कितना अर्सा हुआ ?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह घटना अप्रैल, सन् १९५४ की है।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह घटना होने के कितने दिन पश्चात् सी० आई० डी० की इन्क्वायरी शुरू हुई ?

श्री जगनप्रसाद रावत—लगभग तीन, साढ़े तीन महीने के बाद।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सी० आई० डी० के जांच करने से पहले डी० एम० और सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने भी तहकीकात की थी और उनकी तहकीकात का क्या नतीजा निकला ?

श्री जगनप्रसाद रावत—सी० आई० डी० की जांच से पहले डी० एम० ने भी इन्क्वायरी की थी और उसके बाद मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी भी हुई थी। मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी में उस तफसील में नहीं जाया गया था जिस तफसील में सी० आई० डी० गयी है। उन्होंने कुछ वाकयात और जो गैरकानूनी बात थी उसके सम्बन्ध में कुछ संकेत किये थे।

तारांकित प्रश्न

राजकीय हायर सेकेंडरी तथा नार्मल स्कूलों में भाषा अध्यापकों के रिक्त स्थान

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय हायर सेकेन्डरी तथा राजकीय नार्मल स्कूलों में ४८ भाषा शिक्षकों के स्थान रिक्त हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—जी हां, ४८ से भी अधिक स्थान रिक्त है।

२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन स्थानों पर अस्थायी तौर पर शिक्षक काम कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या इनकी योग्यता नियमानुसार है ?

श्री हरगोविन्द सिंह––जी हां। इन अस्थायी अध्यापकों की योग्यतायें प्रायः नियमानुसार हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय––क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितने स्थान रिक्त हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह––इतने स्थान रिक्त हैं एस० एस० ई० एस० वेतन-क्रम में २० स्थान हिन्दी अध्यापकों के, ९ स्थान संस्कृत अध्यापकों के, एस०ई० एस०, एल० टी० वेतन क्रम में ७३ स्थान हिन्दी अध्यापकों के, २३ स्थान संस्कृत अध्यापकों के, ५ स्थान उर्दू अध्यापकों के, १८ स्थान फारसी अध्यापकों के, एस० ई०, एस० सी० टी० वेतनक्रम में २० स्थान हिन्दी अध्यापकों के, २६ स्थान संस्कृत अध्यापकों के, ७ स्थान फारसी अध्यापकों के, १० स्थान उर्दू अध्यापकों के।

श्री रामसुन्दर पांडेय––क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन स्थानों पर जो अस्थायी अध्यापक काम करते हैं वह कितने दिनों से काम करते हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह––हर एक का यह बतलाना कि कितने दिनों से काम कर रहे हैं, जरा मुश्किल होगा क्योंकि इतने आदमी हैं जो अस्थायी काम कर रहे हैं?

श्री रामसुन्दर पांडेय––क्या यह सही है कि यह जो भाषा शिक्षक हैं सात आठ वर्षों से इन स्थानों पर अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं इन स्थानों का फिर से विज्ञापन किया जा रहा है?

श्री हरगोविन्द सिंह––सभी स्थान जो रिक्त हैं सभी के लिये विज्ञापन दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब यह अध्यापक नियमानुसार सात वर्ष से अस्थायी काम कर रहे हैं तो इन्हीं स्थानों के लिये विज्ञापन करने की क्या आवश्यकता पड़ी?

श्री हरगोविन्द सिंह––अब उनका ट्रेंड होना भी आवश्यक समझा गया। इसलिये विज्ञापन किया गया। लेकिन उसमें यह भी रखा गया है कि सी० टी० ग्रेड में जो लोग तीन वर्ष से ऊपर से लगातार काम करते आ रहे हैं उनको उस योग्यता से मुक्ति दे दी जाय।

*३––**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल) ––[१ अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

सामाजिक शिक्षा के लिए भारत सरकार से सहायता

*४––**श्री रामदुलारे मिश्र** (जिला कानपुर)––क्या सरकार ११ मई, १९५४, के प्रश्न संख्या ६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेगी कि सामाजिक शिक्षा के लिये १९५४–५५ के बजट में रखे गये, ३,२३,००० रुपये को उसने अब तक किस प्रकार खर्च किया?

श्री हरगोविन्द सिंह––जिन मदों में यह रुपया व्यय किया जा रहा है वह संलग्न सूची १ में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३५५ पर)

*५––**श्री रामदुलारे मिश्र**––उत्तर प्रदेश सरकार ने इस विषय पर जो ५ स्कीमें भारतीय सरकार को भेजी हैं उन पर भारतीय सरकार ने कितना रुपया प्रदेशीय सरकार को दिया?

श्री हरगोविन्द सिंह--जो योजनायें भारतीय सरकार को भेजी गयी थीं उनमें से जिनको उन्होंने अभी तक स्वीकार किया है और जो सहायता प्रत्येक के लिये १९५३-५४ और १९५४-५५ में प्रदान की है उसका विवरण निम्नांकित है :--

योजना	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सहायता			
	१९५३-५४		१९५४-५५	
	आवर्तक	अनावर्तक	आवर्तक	अनावर्त्तक
	रु०	रु०	रु०	आ० रु०
१-स्कीम आफ रीओरियेंटेशन ..	८,५५,०००	६,४०,०००	२१,८२,३८७--८	६,४०,०००
२-स्कीम नं० १ इन्टेन्सिव डेवलपमेंट इन सिलेक्टेड ब्लाक्स ..	३,२३,१७०	४,१३,६५०	३,२१,४५३--०	..
३-स्कीम नं० ४ ए, डेवलपमेंट आफ ५१ सिलेक्टेड प्राइमरी स्कूल्स ऐज स्कूल कम कम्युनिटी सेन्टर्स ..	..	६७,३२०	५,६१०--०	६७,३२०
४-स्कीम नं० ४ (बी) इम्प्रूवमेंट आफ सिलेक्टेड ५१ हायर सेकेन्डरी स्कूल्स ..	..	५,०४,९००	..	५,०४,९००

भारत सरकार की सहायता वास्तविक व्यय पर प्राप्य है। जो वास्तविक व्यय प्रत्येक योजना पर १९५३-५४ में हुआ और इस वर्ष हो रहा है उसके जांच के हेतु आवश्यक सूचना गणनाध्यक्ष को भेजी जा रही है। पूर्ण सूचना प्राप्त होने पर वे भारत सरकार की सहायता इस प्रदेश की लेखा में सम्मिलित करेंगे।

*६--श्री रामदुलारे मिश्र--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वे ५ स्कीमें क्या हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह--१९५३-५४ में जो ५ योजनायें भारत सरकार को भेजी गयी थीं वह संलग्न सूची २ में दी हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३५६ पर)

श्रम हितकारी केन्द्रों में कार्य

*७--श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रम-हितकारी-केन्द्र कहां-कहां और कब से स्थापित हैं ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)--इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना की तालिका मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३५७-३५८ पर)

*८--श्री श्रीचन्द्र--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इन केन्द्रों द्वारा श्रमिकों के हित के क्या-क्या कार्य हो रहे हैं ?

आचार्य जुगल किशोर--इन केन्द्रों द्वारा श्रमिकों की चिकित्सा प्रसूति काल में स्त्रियों और बच्चों की देखभाल सिलाई और उद्योग की शिक्षा, खेल-कूद और अखाड़े, स्काउटिंग, टूर्नामेंट और अन्य मनोविनोद के कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

श्री श्रीचन्द्र---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि उन केन्द्रों के अस्पतालों में समय पर दवायें नहीं पहुंचती हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर---इसकी मेरे पास तो कोई सूचना नहीं है ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी इन केन्द्रों की सूची सदन के समक्ष पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---बहुत लम्बी सूची है । मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि चीनी मिलों में श्रमहितकारी केन्द्र कहां -कहां पर हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर---यह इस वक्त तो बतलाना मुश्किल है कि चीनी मिलों में कहां कहां पर केन्द्र हैं । नोटिस मिलने पर बतलाया जा सकता है ।

स्कूलों में कृषि फार्म की योजना के लिए प्राप्त भूमि

*९---श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने स्कूलों में कृषि फार्म की योजना काम में लायी जा रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---२१०५ स्कूलों में ।

*१०---श्री देवकीनन्दन विभव---क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि इन कृषि फार्मों के लिये कितनी भूमि प्राप्त की जा चुकी है और उसका औसत प्रति स्कूल क्या है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---२४,७८४ एकड़ भूमि प्राप्त की जा चुकी है । प्रतिस्कूल औसत १०: १४ है ।

*११---श्री देवकीनन्दन विभव---क्या शिक्षा मंत्री को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इन फार्मों का उचित उपयोग करने के लिये आवश्यक साधनों की कमी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी नहीं ।

प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि इन स्कूलों में बीज और पानी और दूसरी चीजों की जो जरूरत पड़ती है उसकी व्यवस्था कौन करता है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जिन चीजों की आवश्यकता होती है उसकी व्यवस्था अतिरिक्त संचालक महोदय के द्वारा हो रही है ।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (जिला झांसी)---क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में ऐसे कितने स्कूल हैं जिनमें जमीन न मिलने की वजह से फार्म नहीं खोले जा सके हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---कुल २२, २३ ऐसे जूनियर हाई स्कूल हैं जिनको नहीं मिली है । इसके अलावा जूनियर हाई स्कूल जो शहरों में हैं वह तो सभी करीब-करीब ऐसे हैं जिनको भूमि नहीं मिली है ।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उनके पास इस प्रकार की कोई शिकायत आयी है कि जो जमीन इन स्कूलों को मिली है उसमें बहुत सी जमीन ऐसी मिली है कि जो ठीक नहीं है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी हां, बहुत सी जमीन ऐसी मिली है जो इस समय खेती के कार्य में नहीं आ सकती।

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा---इन स्कूलों को ठीक जमीन मिले इसके लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जो जमीन मिली है उसी को ठीक करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री शिवकुमार शर्मा---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन २१०५ स्कूलों में कितने स्कूल हायर सेकेन्डरी स्कूल्स हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---यह करीब-करीब सभी जूनियर हाई स्कूल हैं।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की यह नवीन कृषि योजना आर्थिक दृष्टि से सफल हो रही है या असफल ?

श्री हरगोविन्द सिंह---यह ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देना मुश्किल है जब तक यह न मालूम हो कि आर्थिक दृष्टि से माननीय सदस्य का क्या मतलब है ?

श्री रामचन्द्र विकल---मेरा मतलब सरकार के खर्चे और इन फार्मों से होने वाली आमदनी से है।

श्री हरगोविन्द सिंह---यह फार्म केवल उत्पादन के लिये नहीं बनाये गये हैं जिससे कि ऐसे आंकड़े दिये जा सकें कि उनसे इतना लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। यह सब शिक्षा की दृष्टि से किया गया है। शिक्षा के लिये जो प्रयोग किया जाय उसमें लाभ की संभावना नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिये।

श्री देवकी नन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह इस योजना को कब तक स्वावलम्बी बना सकेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह---शिक्षा के क्षेत्र में किसी योजना को स्वावलम्बी बनाना मैं समझता हूं कि यह हमारा आदर्श नहीं होना चाहिये और न ऐसा आदर्श है ही तथा ऐसा हो सकना बहुत दिनों तक संभव भी नहीं है।

श्री वसी नकवी (जिला रायबरेली)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो स्टाफ इन स्कूलों में है जिनको भूमि नहीं दी गयी है, उनसे दूसरा पढ़ाई का काम लिया जाता है या नहीं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जिन स्कूलों को भूमि नहीं मिली है वहां कोई स्टाफ नहीं दिया गया है।

हरिजन आश्रम, इलाहाबाद में गबन

*१२---श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हरिजन आश्रम, इलाहाबाद में कितने हजार रुपये का गबन हुआ है और इस संबंध में उसने क्या कार्यवाही की ?

श्री हरगोविन्द सिंह---आश्रम में कितने रुपये का गबन हुआ है यह बात अभी तक ठीक रूप से मालूम नहीं हो सकी है, क्योंकि पुलिस की छानबीन पूरी नहीं हुयी है। चूंकि मामला पुलिस और न्यायालय के हाथ में दे दिया गया है इसलिये इस विषय में विभागीय कार्यवाही नहीं की जा सकती।

*१३--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिछले दो वर्षों में उसने कितने रुपये की सहायता हरिजन आश्रम, इलाहाबाद को दी ?

श्री हरगोविन्द सिंह--आश्रम को १९५२-५३ में ५३,८१८ रु० तथा १९५३-५४ में ३५,७५४ रु० हरिजन सहायक विभाग द्वारा अनुदान में दिया गया है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी को याद है कि गत वर्ष माननीय रामलखन जी के प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि आश्रम में ४१ हजार रुपये का गबन है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी नहीं, मुझे याद नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह गबन किस वर्ष का है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--किस वर्ष का यह गबन है यह मालूम नहीं, कब मालूम हुआ यह बताया जा सकता है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि माननीय मंत्री जी को इसकी सूचना कब मिली ?

श्री हरगोविन्द सिंह--८-१० महीने हुये तब उसकी सूचना मिली थी।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें यह कैसे मालूम हुआ कि यह गबन है और वह पुलिस को क्यों दिया गया ?

श्री हरगोविन्द सिंह--गबन के बारे में वहां से कुछ पत्र आये थे जिससे मालूम हुआ कि गबन है। बाद में उन्होंने भी लिखा कि हमारे यहां गबन हुआ है। उन्होंने खुद ही पुलिस को यह मामला दे दिया।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों के मैनेजमेंट में यह आश्रम है क्या उन लोगों के खिलाफ़ कोई कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह--इसका उत्तर दिया गया है कि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है तथा पुलिस इसमें कार्यवाही कर रही है। उसने जिसको जिम्मेदार समझा होगा उसके खिलाफ़ कार्यवाही की होगी। विभाग से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु (जिला इलाहाबाद)--इस गबन में कौन-कौन से पदाधिकारी शामिल हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जहां तक मुझे इत्तिला है वह यह है कि क्लर्क कंसर्न्ड था, और उसके ऊपर मुक़द्दमा चल रहा है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सहायता हरिजन विभाग से हरिजन आश्रम को दी गयी है वह यह शिकायत होने के पहले की सहायता है या बाद की ?

श्री हरगोविन्द सिंह--शिकायत होने के पहले की।

इन्टर नेशनल कालेज, मौदहा, जिला हमीरपुर द्वारा हरिजन विद्यार्थियों के फर्जी नाम बढ़ाकर अधिक रकम की वसूली

*१४--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार को यह सूचना मिली है कि इंटर नेशनल कालेज, मौदहा (जिला हमीरपुर') में हरिजन विद्यार्थियों के फर्जी नाम बढ़ा कर गत वर्ष लगभग ३,००० रु० (तीन हजार रुपया) लिया गया है और उस संबंध में कोई गबन की

भी शिकायत विभागीय कर्मचारियों के पास आई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार इसकी प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेगी।

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां । १,४६६ रुपया ३ आना अधिक लिया गया था। यह रुपया कालेज की कैश बुक में दर्ज किया गया था। इसलिये गबन का प्रश्न नहीं उठता। अधिक रक़म सरकारी खजाने में जमा कर दी गयी है और सम्बन्धित लोगों को चेतावनी दे दी गयी है ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो १,४६६ रु० ३ आना, ट्रेजरी में जमा किया गया है, यह शिकायत होने के पहले कैशबुक में दर्ज था या बाद में दर्ज किया गया ?

श्री हरगोविन्द सिंह—स्कूल के कैशबुक में तो पहले ही से दर्ज था ।

तहसील चमोली, जिला गढ़वाल में कन्या पाठशालाओं की आवश्यकता

*१५—श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील चमोली, जिला गढ़वाल में लड़कियों के कितने राजकीय जूनियर और हायर सेकेन्डरी स्कूल हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—एक जूनियर हाई स्कूल है।

हायर सेकेन्डरी स्कूल नहीं है ।

*१६—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या यह सही है कि राजकीय कन्या जूनियर हाई-स्कूल, श्रीनगर, गढ़वाल में संगीत पढ़ाने के लिये अध्यापिका नहीं नियुक्त की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इस स्कूल में संगीत नहीं सिखाया जाता है इसलिये यह प्रश्न उपस्थित नहीं हुआ है ।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या यह सही है कि तहसील चमोली, जिला गढ़वाल में कन्या जूनियर हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने का कोई प्रपोजल गवर्नमेंट के सामने है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं, ऐसा कोई प्रश्न इस समय सरकार के सामने नहीं है ।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार के पास तहसील चमोली, जिला गढ़वाल से कुछ मांगें सरकार के पास आयी हैं कि वहां कुछ कन्या पाठशालायें और खोली जानी चाहियें ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह याद तो नहीं है लेकिन सम्भव है आयी हों क्योंकि बहुत सी ऐसी प्रार्थनायें आयी हैं ।

गढ़वाल जिले में हरिजन सहायतार्थ धन का वितरण

*१७—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विगत वर्ष में गढ़वाल जिले में हरिजनों की सहायता के हेतु कितना अनुदान दिया गया और उसका किस प्रकार वितरण हुआ ?

श्री हरगोविन्द सिंह—१९५३-५४ में गढ़वाल जिले में हरिजनों को विभिन्न कार्यों के लिये जो अनुदान दिये गये थे उनका विवरण संलग्न पत्र में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३५९ पर)

श्री गंगाधर मैठाणी--क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि आइटम नं० २ में जो ६ सौ रुपया मकान बनाने के लिये है, उस ६ सौ रुपये से जिला गढ़वाल में हरिजनों के कितने मकान बने हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--इसकी तो सूचना चाहिये। मेरा ख्याल है कि यह सहायता के रूप में दिया गया होगा।

श्री गंगाधर मैठाणी--क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो आइटम नं० ४ में एक हजार रुपया हरिजन उप-समिति को दिया गया है वह किस काम में खर्च किया गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--वह हरिजन सहायक कमेटी को इसलिये दिया जाता है कि वह जिस प्रकार से चाहे हरिजनों के कार्य के लिये उसको खर्च कर सकती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कुल कितना रुपया दिया गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--१७,४०० रु०।

बुलन्दशहर जिले में हरिजन छात्रावासों के लिए सहायता

*१८--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले में किस-किस हरिजन छात्रावास को क्या-क्या सरकारी सहायता मिलती है और इन छात्रावासों में कितने-कितने छात्र इस वर्ष हैं ?

श्री हरगोविद सिंह--वांछित सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३६० पर)

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सहायता सरकार छात्रावास को कब से दे रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--खुलने के बाद पहले प्रीलिमिनरी ग्रान्ट दी गयी थी उसके बाद ही सहायता दी गयी होगी। निश्चित समय मैं नहीं बतला सकता हूं।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी संलग्न सूची को पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह--परिगणित जातीय छात्रावास, मेरिस रोड, गांधी जाट व छात्रावास, खुर्जा, कमला नेहरू हरिजन कुमार आश्रम, सिकन्दराबाद।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी उन विद्यार्थियों की संख्या बताने की कृपा करेंगे जो इन छात्रावासों में रहते हैं और हरिजन नहीं हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--छात्रों की संख्या हर एक की अलग-अलग तो बता सकता हूं और ख्याल है कि करीब-करीब सभी हरिजन होंगे या बैकवर्ड क्लासेज के एक दो होंगे वरना प्रायः सभी हरिजन होंगे।

*१९--श्री रामचन्द्र विकल--[१ अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की सहायता

*२०--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ५२-५३ व ५३-५४ में कितने छात्रों को देश से बाहर जाने के लिये छात्रवृत्ति दी गई और उनमें पिछड़ी जाति के कितने हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---सरकार ने किसी को छात्रवृत्ति नहीं दी।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेश जाने के लिये छात्रवृत्ति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र भी सरकार के पास नहीं आये या अगर आये तो सरकार को देने में क्या कठिनाई रही ?

श्री हरगोविन्द सिंह---हां, प्रार्थना-पत्र तो सम्भव है आये हों लेकिन चूंकि उसके लिये कोई धनराशि प्रान्तीय सरकार नहीं देती इसलिये उनमें से किसी को भी बाहर जाने के लिये छात्रवृत्ति नहीं दी गयी। यह गवर्नमेंट आफ इंडिया देती है और इसलिये उनके यहां सारी ऐप्लीकेशन्स भेज दी जाती हैं।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष के बजट में कुछ ऐसा प्राविजन किया गया है कि विदेशों में पढ़ने के लिये यह गवर्नमेंट भी कुछ छात्रवृत्ति दे ?

श्री हरगोविन्द सिंह---नहीं, इस साल भी नहीं है। जैसा मैंने बताया कि यह छात्रवृत्ति गवर्नमेंट आफ इंडिया देती है और उसका इस सम्बन्ध में निर्णय का आधार यह होता है कि जिन विषयों की शिक्षा हिन्दुस्तान में नहीं होती है उन्हीं के लिये बाहर भेजती है और छात्रवृत्ति भी देती है। इसलिये जितने प्रार्थना-पत्र इस सम्बन्ध में सरकार के पास आते हैं वे गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास भेज दिये जाते हैं।

*२१-२२---श्री रमानाथ खैरा (जिला झांसी)---[१ मार्च, १६५५ के लिये प्रश्न संख्या ५४-५५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

हरदोई जिले में परिगणित जाति के अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों से फीस

*२३---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---क्या सरकार को पता है कि हरदोई जिले में परिगणित व पिछड़ी जाति के अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों से फीस मांगी जा रही है यद्यपि ऐसे विद्यार्थियों की फीस अभी तक माफ होती आई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी हां।

*२४-श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार को पता है कि वहां के कुछ ऐसे विद्यार्थियों की इस वर्ष छात्रवृत्ति रोक दी गयी है जिनको गत वर्ष मिलती थी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी हां।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी उन विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति को देखते हुये उनकी बकिया फीस माफ कर देने तथा उनको छात्रवृत्ति देने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह---केवल उन्हीं पर फीस लगा दी जाती है जो पूरी तरह से इम्तहान में फेल हो जाते हैं। जो किन्हीं विशेष कारणों से इम्तहान में फेल हो जाते हैं या कम नम्बरों से एक विषय में फेल हो जाते हैं उनको फीस की सुविधा बराबर दी जाती है और इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता।

झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई के मन्दिर की दुरवस्था

*२५---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार तारांकित प्रश्न नं० ५८, ५६, ६०, दिनांक २७ अगस्त, ५४ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई के लक्ष्मी जी के मन्दिर के रखरखाव में सालाना कितना व्यय होता है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---कुछ नहीं ।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा उस मन्दिर का रखरखाव न होने के कारण उसका बहुत सा भाग धराशायी हो गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---सम्भव है, ऐसा हुआ हो लेकिन मुझे उसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी उक्त मन्दिर की रखरखाव कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह---पुरातत्व की दृष्टि से उस मन्दिर का कोई महत्व नहीं है और यदि महत्व भी और कारणों से हो तो भी राज्य द्वारा उसका रखरखाव नहीं हो सकता।

राजकीय जूनियर विद्यालय, शाहबाद, जिला रामपुर के विरुद्ध शिकायतें

*२६---श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय जूनियर विद्यालय, शाहबाद जिला रामपुर के विरुद्ध जनता तथा विद्यार्थियों के अभिभावकों की ओर से जिला निरीक्षक को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनकी जांच उन्होंने अपने उपनिरीक्षक को दिनांक १३ सितम्बर, १९५४, को शाहबाद भेज कर कराई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी हां ।

*२७---श्री कृष्णशरण आर्य---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त शिकायतें क्या हैं तथा उनके सम्बन्ध में उपनिरीक्षक की जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इनके विरुद्ध तरह तरह की अनियमिता की शिकायतें हैं जैसे सरकारी रुपये का खजाने में न दाखिल करना, दाखिला करते समय तथा ट्रान्सफर सार्टिफिकेट देते समय नियम विरुद्ध लड़कों से रुपया लेना, सरकारी नौकरी में होते हुये बिला स्वीकृति के अन्य लाभप्रद कार्य करना। उप-विद्यालय निरीक्षक की जांच से ये शिकायते काफी हद तक ठीक पाई गई हैं।

*२८---श्री कृष्णशरण आर्य---क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जांच के अनन्तर शिकायतों के सम्बन्ध में सरकार की ओर से क्या किया गया ?

श्री हरगोविन्द सिंह---श्री मलिक महिबुल्ला प्रधान अध्यापक का ट्रान्सफर जूनियर विद्यालय, शाहबाद से धमोरा कर दिया गया है। शिकायतों पर विस्तृत रूप से जांच हो रही है ।

श्री कृष्णशरण आर्य---क्या यह सही है कि सब डिप्टी इंस्पेक्टर इस्माईल और डिप्टी इंस्पेक्टर शर्मा दोनों ने इसकी जांच की थी और ३२ शिकायतों की रिपोर्ट विभाग को दी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---एक इंट्रीम रिपोर्ट आई थी जिस पर उनको ट्रान्सफर कर दिया गया लेकिन विस्तृत रिपोर्ट नहीं आयी है लेकिन उसी इट्रीम रिपोर्ट के आधार पर अब ऐसा विचार हो रहा है कि उनको फौरन् सस्पेंड कर दिया जाय ।

*२९-३१---श्री रणञ्जय सिंह (जिला सुल्तानपुर) ---[२५ मार्च, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

१९५४ में हाईस्कूल तथा इण्टरमीडियेट के परीक्षार्थी

*३२--श्री रामअधार तिवारी (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५४ के हाई स्कूल व इन्टरमीडियेट की परीक्षा के लिये अलग-अलग कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुये थे और उसमें से कितने उत्तीर्ण हुये और कितने अनुत्तीर्ण हुये और कितनों का परीक्षा फल रद्द कर दिया गया ?

श्री हरगोविन्द सिंह--सूचना निम्नांकित रूप में प्रस्तुत है :

	हाईस्कूल	इंटर
(क) सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या ..	१,८५,९१०	५५,०९९
(ख) उत्तीर्ण	९४,३६१	२७,६७२
(ग) अनुत्तीर्ण	९१,५४९	२७,४२७
(घ) परीक्षाफल रद्द किये गये परीक्षार्थियों कीसंख्या	८७२	४७३

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (प्रतापगढ़)--क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिन विद्यार्थियों का परीक्षा फल रद्द कर दिया गया था उसका कारण क्या था ?

श्री हरगोविन्द सिंह--नक़ल करना।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (प्रतापगढ़)--क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन स्कूलों या कालेजों के वह विद्यार्थी थे, उन स्कूल या कालेजों के खिलाफ भी कोई कार्यवाही इस सम्बन्ध में की गयी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां, जहां ऐसा मालूम हुआ कि मास स्केल पर नकल हुई और वहां जो परीक्षा के सुपरिन्टेन्डेंट थे उनके कारण हुई, चाहे उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया या उसमें मदद किया, तो उसके ऊपर भी कार्यवाही की गयी ।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (प्रतापगढ़)--क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन अध्यापकों के खिलाफ जो कि उन कालिजेज में इनवेजिलेटर्स का काम करते थे, उनके खिलाफ भी कोई कार्यवाही की गयी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां, अगर जांच के दौरान में यह मालूम हुआ कि किसी खास इनवेजिलेटर के द्वारा नकल करायी गयी तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही हुई ।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि कुछ ऐसे विद्यार्थी जिनके परीक्षाफल रद्द किये गये थे उन्होंने हाईकोर्ट में मुकदमा चलाया था ?

श्री हरगोविन्द सिंह--हां, चलाया होगा।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--क्या सरकार के पास ऐसी कोई सूची है जिससे यह पता चल सके कि उत्तीर्ण हुये छात्रों में से कितने आगे पढ़ रहे हैं, कितने नहीं पढ़ रहे हैं और कितनों को नौकरियां मिल चुकी हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी नहीं, ऐसी कोई न तो सूची है और न इसकी आवश्यकता ही प्रतीत होती है ।

नोट--तारांकित प्रश्न ३२ श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (प्रतापगढ़) ने पूछा ।

गोरखपुर के राजकीय विद्यालय के राजनीतिक पीड़ित अध्यापक

*३३—श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर के राजकीय विद्यालयों में कितने राजनैतिक पीड़ित अध्यापक ४ वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं परन्तु अभी तक स्थायी नहीं हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—कोई नहीं।

*३४—श्री केशव पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उनका स्थायीकरण कब तक हो जायगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह—प्रश्न नहीं उठता।

विद्याविनोदिनी परीक्षा में ऐडवान्स इंगलिश की मान्यता

*३५—श्री शिवमंगलसिंह कपूर (जिला बस्ती)—क्या सरकार १७-९-५४ के अल्पसूचित प्रश्न १ के पूरक प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेगी कि एडवांस अंग्रेजी ले कर विद्याविनोदिनी परीक्षा पास करने पर लड़कियां किसी कालेज में इंटरमीडियेट के प्रथम वर्ष में भर्ती हो सकती हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां।

*३६—श्री शिवमंगलसिंह कपूर—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिन लड़कियों ने साधारण अंग्रेजी ले कर विद्याविनोदिनी परीक्षा पास की है वे केवल अंग्रेजी में हाई स्कूल की परीक्षा दे सकती हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं।

*३७—श्री शिवमंगलसिंह कपूर—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिन हिन्दी की परीक्षाओं को पास करके हाई स्कूल तथा इंटरमीडियेट केवल अंग्रेजी में परीक्षा दे कर पास किया जा सकता था उन हिन्दी की परीक्षाओं की मान्यता छीन ली गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इंटरमीडियेट बोर्ड के जिन विनियमों के अन्तर्गत यह सुविधा प्राप्त थी वे केवल भाषा अध्यापकों के लिये थे, उनकी आवश्यकता अब न होने के कारण वे समाप्त कर दिये गये हैं।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर—क्या यह सही है कि इन परीक्षाओं का हाई स्कूल तथा इंटरमीडियेट परीक्षाओं के समान कोर्स और स्टैंडर्ड में है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह तो एक विवाद का प्रश्न हो सकता है और अपनी अपनी राय का भी प्रश्न हो सकता है।

आजमगढ़ जिले में राजनीतिक पीड़ित निःशुल्क विद्यार्थी

*३८—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा कर के यह बतायेगी कि उसके तारीख २४ सितम्बर, १९५४, के प्रश्न सं० ३१ के उत्तर के अनुसार इस वर्ष आजमगढ़ जिले के किन स्कूलों में राजनीतिक पीड़ितों के बच्चे निःशुल्क शिक्षा पा रहे हैं ? क्या सरकार छात्र और स्कूल का भी नाम बता सकती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—सूचना संलग्न तालिका में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३६१ पर)

नोट—तारांकित प्रश्न ३३ व ३४ श्री रामजी सहाय ने पूछे।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय शिक्षा मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि २४ सितम्बर, १९५४ को आपने मेरे प्रश्नों का जो उत्तर दिया कि २१ राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों ने आजमगढ़ जिले से जो प्रार्थना पत्र दिये थे उनमें से किसी की भी फीस माफ क्यों नहीं हुई ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह हो सकता है। मेरे पास नाम हैं और स्कूलों के भी नाम हैं जिनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। आप चाहें तो देख सकते हैं कि उनके नाम इसमें हैं या नहीं।

श्री उमाशंकर—वे २१ जो थे वह हायर सेकेंडरी स्कूल के थे, लेकिन इसमें हायर सेकेंडरी स्कूल का एक भी बच्चा नहीं है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह हो सकता है। यदि आप नामवार जानना चाहेंगे तो फिर प्रश्न पूछ लेंगे तब मैं नामवार बतला दूंगा।

श्री उमाशंकर—अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सवाल किया है उसका कोई जवाब नहीं है। मैंने स्पष्ट बतला दिया कि २१ जो दरख्वास्तें थीं वे हायर सेकेन्डरी स्कूल के बच्चों की थीं लेकिन इसमें नाम जूनियर हाई स्कूल या अपर प्राइमरी स्कूल के बच्चों के हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि कुछ कन्फ्यूजन हो गया है। इसके लिये आप सफ़ाई मंत्री जी के दफ्तर में कर लीजिये। अगर न हो सके तो दूसरा सवाल कर लें।

बख्शी तालाब, हरिजन प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षार्थियों को सहायता

*३९—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बख्शी तालाब हरिजन ट्रेनिंग सेन्टर में इस वर्ष कुल कितने छात्र ट्रेनिंग पा रहे हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—२२५।

*४०—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वहां हरिजन छात्रों को प्रतिमास कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—२५ रु० प्रति मास।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो छात्र ट्रेनिंग पा चुके हैं उनके लिये सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था की गई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—उनको नौकरी दिलाने का प्रयत्न किया जाता है और उसमें भी काफी सफलता अभी तक तो मिली है। इसके अलावा जो अपना खुद कुटीर उद्योग करना चाहते हैं उनको सरकार की ओर से सहायता दी जाती है।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पहले की अपेक्षा इस वर्ष स्कालरशिप क्यों कम दी जा रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसलिये कि अब सोचा जा रहा है कि इतने रुपये में ही काम चलाया जा सकता है।

बख्शी तालाब टेकनिकल सेण्टर से उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थी

*४१—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बख्शी तालाब के टेकनिकल सेन्टर से अब तक कितने नवयुवक ट्रेन्ड हो चुके हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—२४१।

नोट—तारांकित प्रश्न ४१ से ४३ तक श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा जी ने पूछे।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो ट्रेंड विद्यार्थी हैं, यह सब काम पर लग गये हैं या बेकार हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—ऐसी कोई सूचना तो नहीं है, लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है करीब करीब सब लग गये हैं, क्योंकि जो काम पर नहीं लगते वह सरकार के पास अनुदान या नौकरी के लिये आते हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है ।

बखिरा, जिला बस्ती के श्री गोपीनाथ नायक का शिक्षा के लिए ट्रस्ट

*४२—श्री राजाराम शर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्री गोपीनाथ नायक बखिरा, तहसील खलीलाबाद, जिला बस्ती ने शिक्षा के लिये कुछ जायदाद या रुपया ट्रस्ट किया था ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां।

*४३—श्री राजाराम शर्मा (अनुपस्थित)—यदि उत्तर हां में है तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह ट्रस्ट कितने का था और ट्रस्ट उस धन का क्या उपयोग कर रहा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—ट्रस्ट ३,०२,१०१ रुपये का था। इस समय धन का कोई उपयोग नहीं हो रहा है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस ट्रस्ट में क्या जायदाद, जमीन और मकान भी शामिल हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—क्योंकि यह बिल्कुल प्राइवेट ट्रस्ट है इसलिये इतनी सूचना तो इसके सम्बन्ध में हमारे पास नहीं है। लेकिन इसमें कुछ कर्जा है और एंकम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट के बोड्स हैं। इसलिये अधिकांश रुपया वसूल नहीं होता है जो थोड़ा सा मिल का रुपया था वह स्कूल को मिलता था लेकिन दो एक वर्ष से वह भी मिलना बन्द हो गया है।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार को मालूम है कि बखिरा का जो स्कूल चल रहा है उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसकी तो कोई सूचना नहीं है। लेकिन यह हो सकता है कि जो आप की दृष्टि में ठीक न हो वह औरों की दृष्टि में ठीक भी हो सकता है।

*४४—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—[२५ मार्च, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

*४५—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—[१ अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

परिगणित तथा पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को सहायता

*४६—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि परिगणित तथा पिछड़ी जाति के उन विद्यार्थियों की कोई तालिका हरिजन सहायक विभाग के पास रहती है जो प्रतिवर्ष हाई स्कूल, इंटर और बी० ए० तथा एम० ए० की परीक्षा पास करते हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जितने हरिजन और बैकवर्ड छात्रों को छात्रवृति दी जाती हैं उनकी तालिका रखी जाती है, जो छात्रवृति ले कर पास करते हैं, इंट्रेंस, बी० ए० या एफ० ए० ?

श्री हरगोविन्द सिंह--कोई साल ब साल उनकी तालिका नहीं बनती लेकिन जिनको छात्रवृत्ति दी जाती है उनका एक रेकार्ड दफ्तर में तो रहता ही है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जिन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है और जब वे परीक्षा पास कर लेते हैं तो क्या वह किसी सरकारी काम में लगाये जाते हैं ? उनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान जाता है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--यह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता। आप तालिका के बारे में सवाल पूछ सकते हैं, यह तो उन छात्रों के उपयोग का सवाल है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--जो छात्र छात्रवृत्ति लेकर परीक्षा पास कर लेते हैं क्या सरकार उनकी कोई ऐसी एक तालिका रखेगी ताकि जब कहीं मांग हो पिछड़ी जाति या शेडयूल्ड कास्ट के लोगों की सरकारी नौकरियों में तो वह लिस्ट वहाँ भेज दे ताकि उनको नौकरियां मिल जायं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जहां तक शेड्यूल्ड कास्ट का संबंध है उसमें तो हर एक लड़के को जो डिग्री कालेज में पढ़ता है स्कालरशिप दी जाती है और उनके लिये १८ प्रतिशत नौकरियां सुरक्षित हैं। वह उन नौकरियों में पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा अथवा और दूसरे इम्तहानों द्वारा उस प्रतिशत तक तो भर्ती हो जाते हैं और दूसरे यह काम तो इम्प्लायमेंट एक्सचेंज का है। जो इम्प्लायमेंट नहीं पाते होंगे वह वहां अपने को रजिस्टर कराते होंगे और जब वहां मांग जाती होगी तो वह उनको भेजते होंगे। यह काम शिक्षा विभाग के करने का नहीं है।

शिक्षा विभाग के विशेषाधिकारियों के कार्य

*४७--श्री श्रीचन्द्र---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग में कोई आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी काम कर रहा है ? यदि हां, तो उसके क्या क्या कार्य हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां, शासन के हेड क्वार्टर्स पर एक तथा शिक्षा संचालक के कार्यालय में कई। सबके कार्यों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३६२ पर)

श्री श्रीचन्द्र--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इन विशेष पदाधिकारियों की नियुक्ति किन नियमों के आधार पर और किस प्रकार की जाती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--यह जितने अधिकारी हैं करीब-करीब सभी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं और जो उस काम के लिये उपयुक्त समझा जाता है, उसको बुला लिया जाता है उसके लिये कोई विशेष वेतनक्रम नहीं दिया जाता।

श्री श्रीचन्द्र--मेरा तात्पर्य यह था कि इनको नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन से होती है या विभाग ही करता है।

श्री हरगोविन्द सिंह--मैंने बताया कि यह तो कोई स्थायी चीज नहीं होती जो विभागीय कर्मचारी हैं उसमें से जो इस कार्य के लिये, जैसे शिक्षा सम्पादन है, उस कार्य के लिये जो उपयुक्त समझा जाता है वह बुला लिया जाता है या कोई कोड रिवीजन का सवाल हो, उसके लिये बुला लिया जाता है। तो इस प्रकार पब्लिक सर्विस कमीशन को नियुक्ति के लिये भेजने की आवश्यकता नहीं होती। यह तो विभागीय कर्मचारी हैं उनको जो निश्चित वेतन-क्रम है वह मिलता है और इस काम के लिये शायद कुछ और ज्यादा मिलता होगा।

*४८-५०—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—[४ मार्च, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*५१—श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर)—[४ मार्च, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

पर्वतीय क्षेत्रों में नेशनल कैडेट कोर की यूनिटें

*५२—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पर्वतीय प्रदेश में National Cadet Corps की शिक्षा कहां कहां दी जाती है?

श्री हरगोविन्द सिंह—पर्वतीय क्षेत्र के जिन-जिन विद्यालयों में नेशनल केडेट कोर की यूनिटें हैं उनकी एक सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३६३ पर)

*५३—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार पिथौरागढ़ व चम्पावत तहसीलों में जहां कि अधिकांश लोग सैनिक हैं इस शिक्षा का प्रचार करने का विचार रखती है?

श्री हरगोविन्द सिंह—यदि भविष्य में नेशनल केडेट कोर की और यूनिटें खोलने का निश्चय हुआ तो इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार इस बात का ध्यान रखते हुये कि पर्वतीय प्रदेशों में एक मात्र आजीविका का साधन फौज की नौकरी है, वहां आर्मी की शिक्षा देने की ज्यादा रूप में कोई व्यवस्था बनायेगी?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह जो योजना है इसमें कोई आर्मी की शिक्षा नहीं दी जाती इसलिये पर्वतीय इलाके का भी कोई प्रश्न नहीं उठता?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार एन० सी० सी० की शिक्षा पर्वतीय प्रदेशों के शहरों तक ही सीमित न रख कर इंटीरियर के पिछड़े हुये इलाकों में भी प्रसारित करने की योजना बनायेगी।

श्री हरगोविन्द सिंह—हां, वह तो जैसा कहा गया कि यदि और इसकी यूनिटें खोली गईं तो इस पर विचार होगा।

राजनीतिक पीड़ितों के आश्रित विद्यार्थियों को सहायता

*५४—श्री बलदेव सिंह (जिला बनारस)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजनैतिक पीड़ितों के आश्रितों को विद्यालयों में कक्षावार कितने कितने रुपये की सहायता दी जाती है?

श्री हरगोविन्द सिंह—सूचना संलग्न तालिका में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ३६४ पर)

*५५—श्री बलदेव सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजनैतिक पीड़ित कैसे लोग माने जाते हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह—राजनैतिक पीड़ित उन व्यक्तियों को माना जाता है जिनको कांग्रेस द्वारा संचालित १९२१, १९३१ या १९४२ के आन्दोलन में भाग लेने के फलस्वरूप ६ महीने से अधिक की लगातार कैद का दंड मिला हो या जिसको सम्पत्ति, नौकरी या जीविका साधन की हानि उठानी पड़ी हो। इसी सूची में ऐसे पीड़ितों की सन्तान या आश्रित व्यक्ति भी.....सम्मिलित हैं, जिनका जेल में देहान्त हो गया, जो आन्दोलनों में भाग लेते मारे गये, जिनको फांसी का दंड या आजन्म कारावास दिया गया या जो सदा के लिये गोली, लाठी, आदि की मार से पंगु हो गये हैं।

श्री बलदेव सिंह--शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजनैतिक पीड़ितों की कोई सूची है ? यदि हां, तो वह कहां मिल सकती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--सब राजनैतिक पीड़ितों की सूची अगर आप चाहते हैं तो जहां तक मुझे मालूम है, ऐसी कोई सूची तो तैयार नहीं है ।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)--क्या सरकार को ज्ञात है कि कभी कभी प्रामाणिक लोग सहायता से वंचित रह जाते हैं और अप्रामाणिक लोग सहायता प्राप्त कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--यह तो एक गोल सवाल है, राय का सवाल है ।

श्री गजेन्द्रसिंह (जिला इटावा)--क्या माननीय मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि वह राजनैतिक पीड़ितों की कोई सूची बनवायेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह--कोई ऐसी आवश्यकता तो नहीं मालूम पड़ती कि सबकी एक बड़ी लम्बी सूची बनवायी जाय क्योंकि उसमें तो मेरा ख्याल है कई लाख आदमी होंगे ।

श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पोलिटिकल सफरर्स को जो सर्टिफिकेट्स वगैरह दिये जाते हैं वह बगैर सूची के कैसे दिये जाते हैं ।

श्री हरगोविन्द सिंह--जो विभिन्न राजनैतिक दल हैं वह ऐसा सर्टिफिकेट देते होंगे ।

श्रम मंत्री की सेवा में कानपुर के मिल मजदूरों का शिष्टमंडल

*५६--श्री झारखंडे राय--क्या कानपुर के सूती मिलों के मजदूरों की ओर से कोई डेपुटेशन श्रम मन्त्री से अभी हाल में मिला था ? अगर हां, तो उनकी क्या मांगें थीं और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

आचार्य जुगल किशोर--जी हां, डेपुटेशन मुख्यतः

१--सन् १९५३ के मई दिवस को अवैध हड़ताल के आरोप में सवेतन छुट्टी न देने,

२--जे० के० काटन मिल के प्रबन्धकों द्वारा श्रमिकों की १९४२ के पहले की नौकरी को नगण्य करने,

३--देश में अन्य जगहों की तरह सूती मिलों की केन्टीनों के श्रमिकों को अन्य श्रमिकों की भांति मंहगाई भत्ता न देने,

४--वेतन की दरें निर्धारित करने, और

५--६ जनवरी, १९५४ को अवैध कार्य रोकने से सवेतन छुट्टी न देने के सम्बन्ध में प्रश्न उठाये थे ।

प्रश्न १ सरकार के विचाराधीन है ।

प्रश्न २ के विषय में जांच करने पर मालूम हुआ कि इस कथन में तथ्य नहीं है ।

प्रश्न ३ कानपुर के सूती मिलों में अधिकांश केन्टीन ठेके पर चलाये जाते हैं इसलिये इस सम्बन्ध में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न ४ पर अभी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

प्रश्न ५ मजदूरों की ६ जनवरी की गैरहाजिरी अवैध थी, इसलिये इस सम्बन्ध में कोई उचित कार्यवाही नहीं मालूम होती ।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय श्रम मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर नम्बर ४ में जो लिखा गया है "पर अभी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है" इसका क्या कारण है ?

आचार्य जुगल किशोर--इसलिये कि यह समय अनुकूल नहीं है।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ५ जनवरी को मजदूरों ने गैरहाजिरी क्यों की थी और उसे सरकार किस आधार पर अवैध मानती है ?

आचार्य जुगल किशोर--अवैध तो इस लिये मानती है कि ६ जनवरी अफिशल हालीडे नहीं मानी गयी है। उस दिन कोई शहीद दिन मनाया गया था, उस सिलसिले में यह हड़ताल कहिये या गैरहाजिरी कहिये, वह की गई थी, इसलिये वह अवैध है।

अतारांकित प्रश्न

बुलन्दशहर जिले के संस्कृत विद्यालयों को सहायता

१--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले में किस-किस संस्कृत विद्यालय को क्या-क्या सरकारी सहायता मिलती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--तालिका सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ३६५ पर)

२--श्री बाबूनन्दन--[२५ मार्च, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

१९५५-५६ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--अब वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के आय -व्ययक पर सामान्य विवाद जारी होगा। कल रामेश्वरलाल जी भाषण दे रहे थे वह अपना भाषण जारी रखेंगे।

* श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल इस बजट भाषण पर अपने विचार सदन के सामने आप के द्वारा प्रस्तुत कर चुका हूं। बहुत थोड़ा समय हमारे पास है, जिसमें मैं आपका और आदरणीय सदन का ध्यान कुछ खास विषयों पर ले जाना चाहूंगा। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में सिंचाई और बांध की बड़ी सराहना की है और उन्होंने कहा है कि हमने प्रान्त के मरे हुये जीवन में जिन्दगी ला दी है और अपने प्रान्त में पैदावार काफ़ी बढ़ा कर आत्म निर्भरता प्राप्त कर ली है और इसको समाजवादी प्रकार के राज्य की स्थापना के लिये उन्होंने अपना पहला कदम समझा है।

अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजों के काल में भी अंग्रेजों ने ३०० नलकूप लगाये और गंगा जमुना को नहरें बनवाईं, तो अगर वित्त मंत्री जी का समाजवादी प्रकार के राज्य की स्थापना के लिये यह पहला कदम है तो अंग्रेज भी काफी इसका ढिंढोरा पीट सकते थे। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो कुछ भी हो रहा है वह सब पक्षपातपूर्ण है और उसके बहुत से प्रमाण हैं। हमारे जिले में बाढ की रोकथाम के काम के लिये बहुत से लोग यहां से गये। हमें ऐसा मालूम होता है कि सरकार के शायद ऐसे आदेश हैं कि वे जब जिलों में जायं तो सरकारी पक्ष के लोगों से ही बातचीत करें और विरोधी पार्टियां जो उन जिलों में काम करती हैं उनसे वे बात न करें और जनता की राय की अवहेलना करें। इसका प्रमाण भी हमारे पास है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें दुख होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे प्रांत के आई० जी० और कमिश्नर एक कांग्रेस सभा में जाते हैं और मुझ जैसे विधान सभा के सदस्य से पूछा भी नहीं जाता कि हम तुम्हारी कांस्टीटुएंसी के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामेश्वरलाल]

किसी गांव में सभा करना चाहते हैं। नोतन गांव में पिछले महीने आई० जी० और कमिश्नर पहुंचते हैं लेकिन मुझे सूचना नहीं दी जाती है। माननीय गेंदासिंह जी ने लिखा भी लेकिन अभी तक नहीं बताया गया कि उनके आने का कारण क्या था ? लेकिन आई० जी० और कमिश्नर साहब ने भाषण दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें बड़ा ताज्जुब होता है जब हमारे कांग्रेस सदस्य कहते हैं कि सरकार को जनता का सहयोग नहीं मिलता। हम लोग कैसे सहयोग करें जब सरकार पक्षपातपूर्ण नीति अपनाने को उद्यत है ? अगर छोटे अधिकारी सरकारी अफसरों की पक्षपातपूर्ण नीति को इसी तरह अपनाते रहेंगे तो इस प्रदेश में अमन और व्यवस्था कभी कायम नहीं हो सकती। मैं आपका ध्यान एक पत्र की ओर जो मुझे अभी मिला है ले जाना आवश्यक समझता हूं, ताकि आपको बतलाऊं कि छोटे अधिकारी कितना गलत काम करते हैं और उसके साथ साथ हमारे मिनिस्टर उन्हें कितनी तरजीह देते हैं। माननीय मलखान सिंह जी सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से कांग्रेस में गये हैं, अध्यक्ष महोदय यह आपको मालूम है। अलीगढ़ में सोशलिस्ट पार्टी का एक दफ्तर है जिसे माननीय मलखान सिंह जी और कांग्रेस के लोग यह कहते हैं कि हमारी पार्टी का दफ्तर है और सोशलिस्ट लोग कहते हैं कि यह हमारी पार्टी का दफ्तर है। लेकिन माननीय मलखान सिंह जी ने, अध्यक्ष महोदय, अगर इजाजत हो तो मैं आपके सामने उसे पढ़ दूं। एक पत्र लिखा .....

श्री अध्यक्ष—ये वैयक्तिक झगड़े यहां नहीं आयेंगे ।

श्री रामेश्वरलाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इजाजत नहीं देते, लेकिन मैं इसे कहना चाहता हूं। माननीय मलखान सिंह जी ने चक्रवर्ती साहब को एक पत्र लिखा और उसमें लिखा है कि तुम्हारा टेलीग्राम मिला। मैंने माननीय सम्पूर्णानन्द और माननीय चन्द्र भानु जी गुप्त से माननीय हरगोविन्द पंत जी के सामने कह दिया है और मकान तुम्हारे नाम हो जायगा।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—प्वाइन्ट आफ़ आर्डर। मलखान सिंह जी का जो प्राइवेट झगड़ा है उसका बजट से कोई संबंध नहीं है।

श्री अध्यक्ष— (श्री शिवनारायण से) संभव है कि आप शायद कुछ पिछड़ गये हों।

श्री रामेश्वरलाल—तो माननीय मलखान सिंह जी ने जो लिखा उसमें यह लिखा है कि माननीय गुप्त जी ने वहां के कलेक्टर महेश्वरी को यह टेलीफोन किया कि तुम मलखान सिंह जी और उनकी पार्टी की वहां मदद करो और उस मकान को खाली न होने दो और जितनी भी सहायता की जरूरत है, कानूनी और गैरकानूनी तरीके से मलखान सिंह जी की सहायता करो।

श्री अध्यक्ष—यह बिलकुल पर्सनल बात है। इसलिये मैं मलखान सिंह जी को मौका दूंगा इस विषय में कहने के लिये चूंकि आप कह चुके हैं।

श्री रामेश्वरलाल—अध्यक्ष महोदय, यह चिट्ठी मैं आपको दे दूंगा और आप इसे देख सकेंगे। मेरा मतलब मलखान सिंह जी से नहीं है, मैं तो कहता हूं कि माननीय गुप्त जी ने और अन्य मंत्रियों ने इस प्रकार पक्षपातपूर्ण कार्य किया। तो जब तक इस प्रकार इन मंत्रियों की ओर से पक्षपातपूर्ण कार्य होते रहेंगे तब तक सबको बराबर न्याय मिल सकेगा यह नामुमकिन है। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं अगर आपका ध्यान 'स्वतंत्र भारत' में निकली एक खबर की ओर दिलाऊं जिसमें छपा है कि माननीय गुप्त जी.....

श्री अध्यक्ष—महज अखबार के ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते।

श्री रामेश्वर लाल—मेरे कहने का मतलब यह है कि फेवरटिज्म अगर आप इस प्रकार राजनीति में लायेंगे तो यह आशा करना कि वे अधिकारी जिनको इस तरह से तरजीह दी जाती

है न्यायसंगत तरीके पर जनता के आम फायदे के लिये, आम प्रशासन के लिये सहायक सिद्ध होंगे यह नामुमकिन है। इसलिये मेरा यह दावा है कि आज यदि राज्य को सम्हालना है, यदि जनता के स्तर को ऊंचा उठाना है तो कम से कम ऊंचे अधिकारियों और माननीय मंत्रियों को चाहिये कि वे कम से कम डेमोक्रैटिक होने के नाते इतना तो करें कि सब को कम से कम न्याय मिल सके। विरोधी पार्टियां हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विरोधी पार्टियां कुछ ऐसा काम करना चाहती हैं जिससे राज्य बिगड़ जाय। हम प्रजातांत्रिक तरीकों से, यदि आप गलत काम करेंगे तो आपकी कुर्सियों पर बैठने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)---अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि अब बजाय १५ मिनट के भाषणों का समय दस मिनट कर दिया जाय क्योंकि बोलने वाले अधिक हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, पहले भी यह होता था कि दूसरे दिन बीस मिनट हो जाते थे और तीसरे दिन १५ मिनट कर दिये जाते थे। दस मिनट में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो विरोधी दल वालों को तो १५ मिनट दे दिये जायं और उधर वाले अगर कम समय चाहते हैं तो पांच पांच मिनट दे दिये जायं। कम से कम विरोधी दल वालों को तो ज्यादा समय मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---वह काफी मिल चुका है। उसके लिये विरोधी पक्ष को कोई शिकायत नहीं हो सकती। लेकिन प्रश्न यह है कि बहुत से बोलने वाले हैं, और कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा कहना चाहेंगे, इसलिये मैं इसको सदन के ऊपर ही छोड़ देता हूं।

प्रश्न यह है कि अब भाषणों का समय १५ मिनट के स्थान पर १० मिनट कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस बजट पर तीन दिन से बहस चल रही है। विरोधी पक्ष की तरफ से, संयुक्त दल की तरफ से और हमारी तरफ से इस पर जो भाषण हुये उनको मैंने बड़े गौर से सुना।

एक तरफ यह कहा गया कि प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा है। वैसी ही गरीबी मौजूद है, वैसी ही बेरोजगारी मौजूद है। हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया। दूसरी ओर से कुछ हमारे सदस्य भी इसी राय के थे और माननीय राजनारायण जी ने तो आंकड़ों से यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि हमारे प्रदेश की पैदावार घट रही है। यदि उन्होंने संसद में दिये गये प्रोफेसर हीरेन मुकर्जी जो कम्युनिस्ट पार्टी के महत्वपूर्ण सदस्य हैं का भाषण पढ़ा होगा तो उन्हें मालूम होगा कि प्रोफसर हीरेन मुकर्जी ने यह बात कबूल की है कि देश का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और प्रदेशों का भी बढ़ रहा है। उनकी पार्टी के ही श्री कृष्णचन्द्र जी ने राज्य सभा में जो भाषण दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है। इतने पर भी उन्हें यकीन न हो और यदि आंकड़ों को ही लिया जाय जिन पर उनको बड़ा विश्वास है, अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा था कि खेती का एकरेज घट रहा है। लेकिन मैं जो आंकड़े दे रहा हूं उनसे मालूम होता है कि १९५०-५१ में ३८५.७ लाख एकड़ पर खेती हुई। १९५१-५२ में ३९०.७ लाख एकड़ में और १९५३-५४ में ३९४.२ लाख एकड़ में। तो आंकड़ों से भी सिद्ध होता है हमारा एकरेज बढ़ा है। उन्होंने यह साबित करने की चेष्टा की कि हमारे यहां गरीबी बढ़ रही है। यह गलत है। गरीबी है उसे ही मिटाने का प्रयत्न इस बजट में है। माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने एक अजीब बात कह डाली। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। वह काफी अध्ययन भी करते हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी व्यवस्था हम नहीं ला सकते, क्योंकि हमारे संविधान में समाजवाद की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन आर्टिकिल ३८ और ३९ वह देखें। डायरेक्टिव आफ स्टेट पालिसी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नेकराम शर्मा]

में क्या गरीबी को मिटाने में, बेरोजगारी को दूर करने, जनता के जीवन स्तर को ऊंचा करने में क्या कोई पाबन्दी है ? अध्यक्ष महोदय, समाजवाद के अर्थ के लिये हम दूसरे देशों का अनुकरण नहीं करने जा रहे हैं न उनके सिद्धान्तों को मानने वाले हैं। हमारा समाजवाद गरीबी को दूर करना है, लोगों को रोटी कपड़ा देना है और जिनके पास मकान न हों उनके लिये मकानों का इन्तजाम करना है। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारा समाजवाद विशाल उत्पादन नहीं बल्कि विशाल जन समूह द्वारा उत्पादन करना है। इसी मकसद को लेकर इस समाजवाद की स्थापना का यहां पर प्रयत्न किया जा रहा है। हमको देखना यह है कि उस समाजवाद की स्थापना के लक्ष्य में हमने कहां तक पहुंचने का प्रयत्न किया और करने जा रहे हैं। श्री नारायणदत्त जी तिवारी स्वयं जानते हुये भी जानना नहीं चाहते हैं लेकिन उन्होंने दूसरी बात यह कही कि यह बजट अनसाउन्डेड है और अनअकुरेट है। १२२ करोड़ का बजट जो इतने विशाल पैमाने पर बना हो उसमें इस प्रकार से अनअकुरेसी रह जाना कोई बड़ी बात नहीं है, उन्होंने कहा कि सन् १९५२-५३ के बजट में २१ परसेंट की सेविंग हुई। वह अर्थशास्त्र के विद्यार्थी रहे हैं। श्री नारायण दत्त तिवारी जी जानते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडीचर के ४ कैनन होते हैं। कैनन आफ बैनिफिट, कैनन आफ इकानामी , कैनन आफ सरप्लस और कैनन आफ सैक्शन। हमको इन्हीं सिद्धांतों पर बजट की आलोचना करनी चाहिये, तो हमने यहां पर कैनन आफ इकानामी को बर्ता है। अगर कोई बचत हुई है तो हमारे लिये कोई बुरी बात नहीं है। बल्कि सरकार को धन्यवाद देना चाहिये। यह अच्छा प्रतीक है अगर हमने बजट के अन्दर इकानामी की है। उससे डैफिसिट पूरा किया गया है।

जहां तक उन्होंने डैफिसिट फाइनेंस की बात कही उससे मैं सहमत हूं। डैफिसिट फाइनेंस के विषय में आज दुनिया के जितने राष्ट्र हैं उन सब की उसके बारे में एक राय है। अप्रैल सन् १९५४ में लंडन में ओवरसीज लीग की एक कांफ्रेंस हुई थी, उसमें बोलते हुये भारत के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर रैजमेन ने कहा था कि डैफिसिट फाइनेंस होना नहीं चाहिये। हमारे यहां ५।। करोड़ रुपये का डैफिसिट है। इसका मतलब यह है कि इतना रुपया दूसरी जगह से लेना पड़ेगा जो सरकुलेशन में आयेगा, इनफ्लेशन होगा जिसका असर गरीब जनता पर जाकर पड़ेगा। तो जहां तक डैफिसिट फाइनेंस का सवाल है उसके लिये ऐसा रवैया अख्तियार करना चाहिये जिससे डैफिसिट फाइनेंस पेश करना न पड़े।

जहां तक सदन में नेशनल इन्कम की बात कही कि राष्ट्रीय आय बिलकुल नहीं बढ़ी है परचेजिंग पावर गिर ही है और विकल जी ने भी इसके बारे में कहा कि बजट में जो सुधार के काम रखे जाते हैं वह सब शहरों में ही रह जाते हैं और गरीब जनता तक वह नहीं पहुंचते। तो इसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि अगर फैक्ट्स और फीगर्स को भी छोड़ दिया जाय तो हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ी है, अवश्य बढ़ी है, और इसका सबूत यहां के जो शिड्यूल बैंक के डिपाजिट हैं। उनका डिपाजिट ८५० करोड़ रुपया हो गया है। पोस्ट आफिस का डिपोजिट सन् १९४८ में १२८ करोड़ रुपया था जो अब बढ़कर २०० करोड़ हो गया है। लेकिन सवाल हो सकता है कि फिर यह परेशानी क्यों? गरीबी क्यों? वह इसलिये है कि हमारी जितनी राष्ट्रीय आय बढ़ी है उसके साथ-साथ दूसरे हमारे निर्माण कार्य भी बढ़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस बजट के द्वारा उस असमानता को दूर करने के लिये कोशिश नहीं की गयी है ? क्या मकानों की कठिनाई को भी दूर करने का इस बजट में प्रयत्न नहीं किया गया है ? लेबर के लिये और मिडिल क्लास के लोगों के लिये हमने इस बजट में ३ करोड़ रुपया नहीं रखा है जो ६ हजार से कम सालाना आय वालों को मकानों के लिये यह रुपया दिया जायगा जिसको वह ३० साल के अन्दर अदा कर सकते हैं। माननीय विकल जी ने कहा कि जो दूध जच्चों को दिया जायगा वह थोड़ा है। मैं भी मानता हूं कि यह थोड़ा है लेकिन यह खुशी की बात है कि माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान इस तरफ गया तो कि गरीबों के लिये कुछ रकम का प्रबन्ध किया जाय। और बजट में यह व्यवस्था की गयी है। मकानों की कमी दूर करने के लिये क्या यह व्यवस्था नहीं की गयी है? क्या

इस बजट में मजदूरों के लिये ख्याल नहीं किया गया है ? यही नहीं बल्कि अनइम्प्लायमेंट को हल करने के लिये भी इस बजट में व्यवस्था की गयी है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि भारत सरकार ने इस बात की घोषणा की है कि बेरोजगारी के दल के लिए नेशनल सेम्पल सरवै शीघ्र किया जायगा। हमारे यहां काटेज इंडस्ट्रीज के लिये भी काफी प्रोत्साहन दिया जायगा लेकिन इस बजट में जो कमी है वह यह है कि कोई भी प्राविजन इंडस्ट्रीज के लिये नहीं किया गया है। और जब तक काटेज इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तब तक यह बेकारी दूर नहीं होगी। जितना मिल का कपड़ा है उसको एक्सपोर्ट किया जाय और काटेज इंडस्ट्री का माल बाजार में ज्यादा आवे हम उसे प्रयोग करें तो ज्यादा हल बेरोजगारी का हो सकता है। बजट में आपने देखा होगा कि पहले हमारे यहां १०० करोड़ का सामान एक्सपोर्ट होता था वह अब १३३ करोड़ का हो गया है। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। इसलिये यह कहना कि स्टेट का जो फाइनेंस है वह अनसाउन्डेड है, यह ठीक नहीं है। माननीय गवर्नर महोदय के संबोधन के समय आंकड़े देते हुये मैंने इस बात को कहा था कि हमारी स्टेट की आर्थिक दशा बहुत ही साउन्ड है। बाहर और भीतर हमारी शाख बढ़ी है। इसका सबूत अल्पबचत योजना है। समय से पूर्व ही जिसमें ७॥ करोड़ रुपया जनता से आ गया। इससे पूर्व एक करोड़ भी मुश्किल से जमा होता था। लेकिन आज जनता का विश्वास सरकार में इतना बढ़ा हुआ है कि साढ़े सात करोड़ नेशनल सर्टिफिकेट्स इश्यू किये जा चुके हैं और यह इसलिये है कि सरकार ने उनके दिल में आशा का संचार किया है। उसके दिल में जनता के लिये दर्द है, उनकी बेकारी को दूर करने के लिये प्रयत्न कर रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात जो विकल जी ने कही वह यह थी कि आबपाशी की बढ़ौती का असर पश्चिमी जिलों में बहुत पड़ा है। इसमें शक नहीं आबपाशी में जो रुपया खर्च किया जाता था १९ करोड़ वह अब बढ़ कर ३१ करोड़ हो गया है। अब बिजली ३६ गांवों में हो जायगी, ६९ हजार किलोवाट बिजली और पैदा हो रही है ? क्या इन सब बातों का असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा क्या धन नहीं बढ़ेगा ? क्या इससे हमारा जीवन स्तर ऊंचा नहीं होगा ? लेकिन अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं अवश्य अर्ज करूंगा कि हमारी सिंचाई के ऊपर जितना रुपया खर्च हो रहा है उससे उतना संतोष किसानों को नहीं मिल रहा है, कारण ये हैं कि एक तो सिंचाई के रेट्स बढ़ा दिये गये हैं, और उस पर भी वक्त पर पानी नहीं मिलता। सिंचाई एकरेज तो बढ़ता चला जा रहा है लेकिन हम आवश्यक पानी नहीं दे पा रहे हैं। जहां पानी पहुंच भी जाता है तो पूरा पानी खेती के लिये नहीं मिलता, इधर कीमतें गिर रही हैं, इधर आबपाशी बढ गयी है, उधर वक्त पर पानी नहीं मिलता है और मिलता भी तो थोड़ा मिलता है पर्याप्त नहीं मिलता, इससे किसान परेशान हैं। इसलिये आबपाशी की दरों में कमी होना जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, समय कम है। अब मैं सिर्फ माननीय मंत्री जी का ध्यान केवल दो तीन बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं। जब हमने समाजवाद की स्थापना का संकल्प किया है, सोशल वैलफेयर मैनिस्ट्री की स्थापना की है तो जरूरत इस बात की है कि जिन लोगों के पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन है वह उनसे लेकर नीचे के लोगों में वितरित कर दी जाय। जब सरकार समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं तो जिन लोगों के पास एकसे ज्यादा मकान हैं वह उनके पास न रहने दिये जायं और वे उन लोगों को दे दिये जायं जो लोग उन मकानों में किराये से रहते हैं और अगर वे लागत के समान किराया दे चुके हैं तो मकान उनके हो जाने चाहिये। इतना ही नहीं समाजवाद के अन्दर एक भी भिखारी नहीं होना चाहिये। आज भिखारी लोग जगह जगह देखे जाते हैं। मैं समाजवादी मुख्य मंत्री जी और अर्थ मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि भिखारियों और प्रास्टीट्यूट्स को समाप्त कर दिया जाय। इस बात का भी प्रयत्न किया जाना चाहिये कि जिन लोगों की तनख्वाहें १०० रुपये से कम हैं उनके बच्चों और लड़कियों को फ्री एजूकेशन दिलाई जाय।

इसके अतिरिक्त जनता की सहूलियत के लिये एक कंप्लेंट सेक्शन एक डिप्टी मिनिस्टर के अन्डर में खोला जाय। आजकल लिख कर चला जाता है कि आपकी अरजी आ गयी है

[श्री नेकराम शर्मा]

फलां विभाग को भेज दी गयी है अब आप वहीं पत्र व्यवहार करें, उससे लाभ कुछ नहीं होता। इसलिये जनता की तकलीफ को दूर करने के लिये एक इस प्रकार का विभाग कायम किया जाय जिसका इनचार्ज डिप्टी मिनिस्टर हो।

श्री हरिसिंह (जिला मेरठ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अपने वित्त मंत्री जी को सन् ५५-५६ के आय-व्ययक के लेखा को प्रस्तुत करने के लिये बधाई देना चाहता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि जो आय-व्यय का लेखा प्रस्तुत किया गया है उसमें जनता के हितों का ध्यान रक्खा गया है परन्तु हमारे जो विरोधी दल के माननीय सदस्य हैं उन्हें एक भी चीज दिखाई नहीं दी, दो रोज के वाद विवाद के बाद मुझे ऐसा ज्ञात हुआ कि या तो उन्हें ईर्षा है या किसी प्रकार का डर है। ईर्षा इस बात की कि जो योजना या ध्येय बनाया गया था और जिसको कांग्रेस वाले अपना लेना चाहते थे, लेकिन विरोधीदल के जो लोग हैं वे कहते थे कि इसे कार्यरूप में परिणित नहीं कर सकते, परन्तु वह कांग्रेस सरकार ने, हमारे नेताओं ने उसको कार्यरूप में परिणित कर दिया। जनता में उन्होंने कह दिया कि हम असली समाजवाद जैसा कि हमारे प्रांत की जनता चाहती है उसे लाना चाहते हैं और उस पर सुचारु रूप से कार्य करना आरम्भ कर दिया। तो जहां तक इस बहाने का विरोध करने का प्रश्न था, वह तो उनके लिये मौका नहीं रहा कि वे जनता में जाकर कांग्रेस या कांग्रेस सरकार का विरोध करें और उसके खिलाफ क्या कहकर जबान खोल सकें। अब आखिर ये करें तो क्या करें, किस पार्टी में जायं और किसका विरोध करें क्योंकि जहां तक उनके विरोध का प्रश्न था वह तो खत्म हो गया। जो ये कहते थे उसे हम असली रूप में कार्य करके दिखा रहे हैं तो उनको डर हो गया है और इसमें वे हमारा सहयोग चाहते हैं। हम तो उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि आइये हम आपको सहयोग दें और आप हमें सहयोग दें और इस प्रकार शीघ्र से शीघ्र हमारे प्रांत का और हमारे देश का कल्याण हो सके। मैं तो अपने उन विरोधी भाइयों से निवेदन करता हूं कि शनैः शनैः मिलने की अपेक्षा स्पष्ट रूप से शीघ्र से शीघ्र मिल जायं।

जहां तक इस बजट का सवाल है, इसमें जो हरिजन विभाग के लिये रकम दी गयी है उसके लिये हम अत्यन्त प्रसन्न हैं क्योंकि हरिजनों के नाम पर जो हरिजन विभाग खोला गया है तो हरिजन सहायता के लिये बजट में दिया गया वित्त है कि ७४ लाख उसके खर्च के लिये हैं। इसके लिये मैं सरकार को क्या कहूं, आज प्रान्त के अन्दर करीब एक करोड़ २४ लाख हरिजन कहलाने वाली जनता है जिसका कहना है कि यह हरिजन विभाग बिलकुल बेकार है, व्यर्थ है और ७४ लाख रुपया हम पर क्यों लादा जाता है जब कि हरिजन विद्यार्थियों के आंकड़े को देखा जाय तो मालूम होगा कि कुल ५१ लाख रुपया ही उनके ऊपर खर्च हुआ है और उसमें भी अंसार, पिछड़े वर्ग के लोग और न मालूम कौन कौन शामिल हैं और सब को मिला कर हरिजन का नाम दे दिया गया कि हरिजनों पर इतना खर्च हुआ। मैं तो आपको यह सुझाव देना चाहता हूं कि आप जो यह छात्रवृत्तियां जिले में देते हैं इसे शिक्षा विभाग को दे दीजिये और हरिजनों के लिये जो कार्य आप करते हैं उसे प्लानिंग विभाग को दे दीजिये तथा हरिजनों के नाम पर जो खर्च किया जाता है उसको खत्म कर दीजिये। आज इस प्रांत का एक भी हरिजन इस हरिजन विभाग से प्रसन्न या खुश नहीं है, बिलकुल असंतुष्ट है। हम चाहते हैं कि हरिजन का नाम ही न रहे बल्कि सब सच्चे भारतवासी और हिन्दुस्तानी हों और हिन्दुस्तानी के नाम से ही हर व्यक्ति पुकारा जाय। जहां तक हरिजनों को छात्रवृत्ति देने की बात है, जो हरिजन एम० एल० एज० हों, एम० पीज० हों, सरकारी अफसर हों या ऐसे हों जो पैसा दे सकते हों उनके बच्चों को छात्रवृत्ति बिलकुल न दी जाय बल्कि इसके बजाय जो गरीब हों, चाहे वे हरिजन हों या सवर्ण ही क्यों न हों, खास कर के गांव के जो रहने वाले हैं उनका विशेष ख्याल किया जाय और उनके बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाय। जो अच्छी हैसियत के हैं उनको भीख मांगने की क्या जरूरत है? मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि एक गांव का उदाहरण है "कागज देखा यू, कुन बा डूबा क्यों।" एक गीदड़ था जो एक चमार के चमड़ा रंगने वाले

गढ्ढे में गिर गया और उसका सारा शरीर उसी रंग में रंग गया। गांव वालों ने देखा कि यह तो गीदड़ है। उन्होंने कहा कि कहां जा रहे हो, उसने कहा कि मुझे गीदड़ मत समझो, अब मैं इस गांव का चौधरी बना दिया गया हूं। लेकिन जब शाम का वक्त हुआ तो वह हुआं हुआं करने लगा। इस पर गांव वालों ने कहा कि तुम तो अपने को चौधरी कहते हो जरा चौधरी का कागज तो दिखलाओ, इस पर उसने कहा कि यहां तो सारे कुपड़ ही हैं, मैं किसको कागज दिखलाऊं। इस तरह वह छलांग मारकर तालाब में चला गया। तो मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके वे इस हरिजन विभाग को खत्म कर दें क्योंकि इससे हरिजनों को बहुत असंतोष है और यह विभाग हमारे लिये एक कलंक है। और सच्चे माने में पूछिये तो वह हमारी बिल्कुल सहायता नहीं करता। जो शरणार्थी लोग आये उनके लिये भारत का सारा बजट खर्च किया गया, लेकिन जो हजारों वर्षों से इस देश के शरणार्थी से रहे हैं उनके लिये कुछ नहीं है। आज मध्यम वर्ग के लिये ३ करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन हरिजनों के लिये एक लाख रुपया भी नहीं है। आप नगर-पालिकाओं में उनके लिये मकान बनवाने जा रहे हैं वह क्यों, उसके लिये तो धन्यवाद देता हूं लेकिन वह क्यों? वह इसलिये कि वह आपकी नालियां साफ करते हैं और अगर वह न करें तो जाने क्या हालत हो जाय। इसलिये आप मजबूर होकर कर रहे हैं लेकिन आज खेतिहर मजदूरों के लिये आप क्या कर रहे हैं? उनके लिये कितनी जमीन आपने बांटी, कितने मकान बनवाये? आज हमारे किसान ही उनको एक रुपया दो रुपया देकर उनकी जीविका चलाते थे। लेकिन आपने पश्चिमी जिलों में इतना सिंचाई का लगान रख दिया है कि वह बेचारे भी उस मजदूर को ८ आने से ज्यादा नहीं दे पाते हैं। तो चाहिये तो यह था कि उनसे सिंचाई कर जितना आवश्यक था जितना वह दे सकते थे उतना लगाना चाहिये था।

इसके बाद मैं सरकार का ध्यान अनाजों के कृषि से उत्पन्न वस्तुओं के गिरते हुये भावों की ओर ले जाना चाहता हूं और सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह इन गिरते हुये भावों को जल्द से जल्द रोके।

श्रीमन्, एक बात प्लानिंग के सिलसिले में यह है कि हमारे सरकारी अफसरान श्रमदान के सिलसिले में जायं यह सरकार ने व्यवस्था की है। लेकिन सरकारी पेट्रोल, सरकारी मोटरों में फूंकने के सिवाय ये करते क्या हैं? जाकर हमीं से काम कराते हैं, बेगारें ली जाती हैं, काम कराया जाता है तो पेट्रोल फूंकने के अलावा क्या करते हैं? अगर श्रमदान करना है तो डिप्टी कलेक्टर्स फावड़ा लेकर हमारे साथ चलें और मैं तो सरकार से कहूंगा कि जरा वह इन्क्वायरी करवायें कि वास्तव में सरकारी अफसरान ने कितना श्रमदान किया है और कितना सरकारी पेट्रोल फूंका है। इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। अगर आप श्रमदान कराना चाहते हैं तो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी और हमारे नेतागण अपने वालन्टियरों के जरिये से करवायें। सन् १९३८ में जब यह मिनिस्ट्री थी उस समय की मिसाल मौजूद है। हमारे कांग्रेस वर्करों ने जितना कार्य किया वह इतना रुपया खर्च करके भी श्रमदान के द्वारा सरकार नहीं करा पाती। तो हमारा कहना यह है कि इन सरकारी अफसरान द्वारा श्रमदान से कोई लाभ नहीं है।

फिर हरिजन विभाग को खत्म कर दीजिये, हम हरिजन भीख नहीं मांगना चाहते, हम इन्सान हैं और इस देश के रहने वाले हैं, हम हुकूमत कर चुके हैं और आज भी कर रहे हैं तो हम यह पसन्द नहीं कर सकते कि इस तरह से भीख मांगने पर जीवित रहें।

अब दूसरा निवेदन मैं गृहोद्योग के सम्बन्ध में यह करूंगा कि वर्तमान मिलों में से काम नहीं चलेगा, इनसे बेकारी नहीं दूर होगी। अब बेकारी दूर करने के लिये छोटे छोटे गृहोद्योगों को चालू कीजिये। लेकिन दुख है कि अब तक देहातों में गृहोद्योग चालू

[श्री हरिसिंह]

नहीं हुये हैं जहां जाकर गरीब किसान मजदूर अपने रोजगार में लग सकें और उनके द्वारा अपना जीवन निर्वाह कर सकें। तो मेरा नम्र निवेदन है कि यह कागज पर जो लीपापोती की गई है इससे काम नहीं होने वाला है। सिवाय सिंचाई विभाग के और किसी भी विभाग में कोई काम असलियत में नहीं हो रहा है। जहां तक सड़कों का सम्बन्ध है, एक दो सड़कें इधर उधर बन गई हों तो हों लेकिन वास्तविकता यह है कि सड़कें इतनी बनी नहीं हैं। सिर्फ ओवरसियरों और इंजीनियरों ने उसका रुपया खाया है और खा रहे हैं लेकिन उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है।

खेती के विभाग को लीजिये। बंजर जमींनें पड़ी हुई हैं लेकिन खेती हो रही है उस पर ऐसा दिखलाया जा रहा है। बंजर भूमि को तोड़ने के लिये ट्रेक्टर्स मंगवाये गये हैं। जो हजारों मजदूर खेती पर काम करने वाले थे उनको हटा कर आज बेकार कर दिया गया है और यहां का अरबों और करोड़ों रुपया विदेशों में ट्रेक्टर्स मंगाने पर खर्च किया गया है। इसकी क्या आवश्यकता थी कि ट्रेक्टर्स मंगवाये जायं? यहां तो हल और बैल से खेती होती है? मैं चाहता हूं कि उसी प्रथा को यहां रहने दिया जाय।

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारी बातों पर ध्यान दें।

श्री रामेश्वर लाल द्वारा लगाये गये पक्षपात विषयक आरोप का श्री मलखान सिंह द्वारा स्पष्टीकरण

श्री अध्यक्ष---श्री मलखान सिंह जी, अब आप अपना वैयक्तिक स्पष्टीकरण दे दें।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)---मैं उस पत्र को भी चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष---आपने जितना सुना है पहले आप उस पर जो कुछ आपको कहना हो कह दें। क्योंकि आप पर यह वैयक्तिक हमला हुआ, इसलिये बगैर पत्र को देखे हुये जो कुछ आप कहना चाहते हों कह दीजिये। उसके बाद मैं उस सम्बन्ध में कहूंगा।

श्री मलखान सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस मकान के सम्बन्ध में बात कही गई है और जिस पत्र का उद्धरण दिया गया है उसके सम्बन्ध में मैं यह कह देना चाहता हूं कि मैं पिछले रविवार को अलीगढ़ में था और जब इस वक्त मैं अलीगढ़ में था अपने घर पर ही था कि मुझे यह मालूम हुआ कि रामचन्द्र शुक्ल कुछ बीस बाईस आदमियों को जो बिल्कुल गुंडे किस्म के आदमी थे, जो पार्टी से अभी हाल ही में निकाल दिये गये थे वे सब लाल टोपी लगा कर उस आफिस में घुस गये जहां कि अवनिकान्त चक्रवर्ती पहले से रहते थे, जहां कि ६ लेबर आफिसेज थे और पार्टी आफिस पी० एस० पी० का था जो कि हाथरस शिफ्ट कर दिया गया था भगवानदास के सुपुर्द और वहां कोई उनका आफिस नहीं था। वे लोग जबर्दस्ती घुस गये। जब पता चला कि इस तरह से लोग घुस गये तो अवनीकान्त चक्रवर्ती कोतवाली गये और वहां से पुलिस आई और उसने कहा कि जबरदस्ती कोई कब्जा नहीं कर सकता, कायदे की कार्यवाही करिये। यह बात सुबह १०॥ बजे ११ बजे की है। जब ५ बजे शाम को मैं स्वयं दफ्तर में मौजूद था तो उन्हीं आदमियों को जिनको ट्रक में भर कर हाथरस ले गये थे ५ बजे शाम को वापस लौटे और जैसे ही वे आफिस में घुसे मैंने उनसे कहा कि "you get out" (यहां से निकल जाइये) और मैं किसी को घुसने नहीं दूंगा क्योंकि यहां पर कोई दफ्तर नहीं है। तो वे लोग फिर बाहर बड़ी मुश्किल से पुलिस के जरिये से निकाले गये। और उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी कार्यवाही की

हो मुझे पता नहीं लेकिन यह मैं बतला देना चाहता हूं कि २१ तारीख को सबेरे जब मैं यहां आया तो अवनिकान्त चक्रवर्ती का तार मिला जिसमें था कि वे लोग फिर गुंडागिरी पर तुले हुए हैं। तो मैंने वह तार ज्यों का त्यों चीफ मिनिस्टर साहब को दे दिया। यह मैंने किया। इधर गुप्ताजी से मैंने कहा कि सन् १९४७ में लीडर आफ दी सोशलिस्ट पार्टी मलखान सिंह के नाम से मेरे जिम्मे वह मकान था और १९५२ में जो किसान मजदूर पार्टी जब सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गई तो उस वक्त तक इस मकान में ६ लेबर आफिसेज आ चुके थे, नीचे के हिस्से में प्रजापार्टी का दफ्तर था और अवनिकान्त चक्रवर्ती ऊपर रहते थे और उसका किराया मलखान सिंह---मेरे नाम से दिया जाता था और मेरे नाम की रसीदें मौजूद हैं। उन सब बातों की दोनों समय की रिपोर्ट मैंने डी० एम०, एस० पी०, कोतवाल और सिटी मजिस्ट्रेट सब को दे दी थी अपने दस्तखतों से। एविक्शन (Eviction) के बारे में उनकी बातचीत हुई और मैंने गुप्ता जी से उसके बारे में कहा तो मुझे पता नहीं कि गुप्ता जी ने क्या किया लेकिन मैंने अपने साथी अवनिकान्त चक्रवर्ती जो वहां रहते थे उनको लिखा कि वे घबरायें नहीं और मैं इस सम्बन्ध में बातचीत कर रहा हूं और जो मुनासिब कार्यवाही होगी वह की जायगी।

(श्री मदनमोहन उपाध्याय के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठें। यह बहुत अफसोस की बात है कि इस तरह के झगड़े का जिक्र बजट के सामान्य विवाद में कोई माननीय सदस्य करें। उसमें यह होना चाहिये था कि अगर किसी माननीय सदस्य को किसी सदस्य के विरुद्ध कोई शिकायत हो तो प्रिविलेज का सवाल भी आ सकता है और मेरे पास वे कागज भेज देने चाहिये थे। प्रिविलेज का सवाल किसी मिनिस्टर के खिलाफ भी आ सकता है। लेकिन इस प्रकार से अगर हमले होने लगें और मैं इजाजत दे दूं और लोग बोलें और फिर पर्सनल एक्सप्लेनेशन हो तो मैं समझता हूं कि इस सदन की इसमें शान नहीं रहेगी और प्रतिष्ठा भंग हो जायगी। इसमें बहुत झगड़े पैदा हो सकते हैं। यह तरीका भी उचित नहीं है। इसलिये अफसोस जरूर मुझे यह है कि श्री रामेश्वरलाल जी ने यह मौका उचित समझा कि इस तरह के मामले को यहां पर उपस्थित करें। मैंने पत्र भी देख लिया और मैं यह समझता हूं कि अगर वे चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई छानबीन हो तो वह हो सकती है। अगर किसी सदस्य ने इस सदन की प्रतिष्ठा के विरुद्ध कार्यवाही की हो और मैं तो इसमें भी सदन की प्रतिष्ठा खत्म समझता हूं यदि अनुचित कार्यवाही या अनुचित फायदा किसी माननीय सदस्य ने उठाया हो तो उसमें भी विशेषाधिकार का प्रश्न हो जाता है। ऐसी अवस्था में इस सम्बन्ध में जो नियम बने हुये हैं उसके अनुसार रामेश्वरलाल जी चल सकते हैं और चूंकि उन्होंने यह प्रश्न उठा दिया तो वही अधिकार श्री मलखान सिंह जी को भी है अगर वे समझते हैं कि इस प्रश्न के उठा देने से सदन की प्रतिष्ठा की अवहेलना हुई है। तो वह भी बजाय इसके कि इसका जवाब व्योरे में अभी यहां पर दें और फिर सवाल जवाब यहां पर हों, वह अपनी शिकायत मुझे लिखित भेज दें और उसके ऊपर मैं अपना यह निर्णय कि वह प्रश्न सदन में उठाया जा सकता है या नहीं, दे दूंगा। लेकिन बजट के वाद-विवाद में इसका जिक्र अब न हो, यह उचित नहीं है, यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

१९५५-५६ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, एक गलती सदन में हुई है कि कुछ सदस्यों ने बहुत ज्यादा समय लिया और हमको समय नहीं मिला, यह समाजवाद का सबूत नहीं है।

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने साढ़े पांच करोड़ का डेफिसिट बजट रखते हुए भी अस्थायी कर्मचारियों को जो बहुत अधिक संख्या में स्थायी किया है और जो छोटे निम्नवर्ग के कर्मचारियों की तनख्वाह दो रुपया बढ़ाई है और विकास के काम पर इतना अधिक रुपया खर्च करने को रखा गया है उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। मैं उनका ध्यान कुछ आवश्यक बातों की ओर खींचना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन में इतना जो अन्तर है वह अन्तर दूर करने की तरफ जो ध्यान दिया जाना चाहिये वह नहीं दिया गया है। मैंने कल एक सवाल किया था तो उसका जवाब यह दिया गया कि कोई पे-स्केल रिवाइज करने का विचार सरकार का नहीं है। यह दूसरी बात है कि जो सरकारी कर्मचारी जितनी तनख्वाहें पा रहे हैं उनकी तनख्वाहें कम न की जायं लेकिन भविष्य के लिये पे स्केल रिवाइज न किये जायं यह ठीक नहीं है। जो अन्तर है वह पर कैपिटा इन्कम जो हमारे प्रदेश की है उसके लिहाज से जो ऊंचे वेतन हैं उनमें कोई सामञ्जस्य नहीं है। उन्हें कम होना ही चाहिये। विषमता जब ज्यादा होती है तो उस विषमता से समाज में असन्तोष पैदा होता है। समाज में एक रूपता आनी चाहिये। दो भूखे आदमी एक साथ सो सकते हैं प्रेम से, लेकिन एक आदमी भर पेट खाकर और दूसरा आधा पेट खाकर एक साथ शान्तिपूर्वक, प्रेम से नहीं सो सकते। हम रामराज्य की कल्पना करते हैं। रामराज्य में तो यह था कि "बैर न कर काहू सन कोई, रामप्रताप विषमता खोई।" जब विषमता नहीं होती तो बैर नहीं होता, जब विषमता होती है तो वही बैर का कारण होती है। आज अगर इस वेतन के क्रम में सामञ्जस्य लाने की तरफ हम कदम नहीं उठाते तो जैसा कि कल कहा गया कि धीरे-धीरे बढ़ाते चलेंगे और आपने दो रुपया चपरासियों की तनख्वाह बढ़ा दी तो यह अन्तर कैसे पूरा हो सकेगा? हमें नये स्केल कायम करने चाहिये तभी जो डिमोरेलाइजेशन है, मैं तो डिमोरेलाइजेशन ही कहूंगा, वह दूर हो सकता है। इसके अलावा मेरिट की बात है। एक कमेटी के जरिये से सरकार ने कबूल किया था कि मेरिट पर ही तरक्की होनी चाहिये। यह ठीक है और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन असली बात उसके ठीक उपयोग की है। जैसे अग्नि होती है। अगर उसका सही उपयोग किया जाय तो उससे हमें गरमी मिलती है, हम उससे खाना बना सकते हैं किन्तु अगर दुरुपयोग किया जाय तो उससे मकान जलाया जा सकता है और जाने ही कितने अत्याचार किये जाते हैं। इसलिये जो आज एक तरह की क्लिक सी सर्विसेज में चल रही है कि जो जितना चापलूस होता है और जो जितना ही अफसरों की खुशामद में लगा रहे उसको उतनी ही जल्दी तरक्की मिलती चली जाती है और दूसरे लोग जो मेहनत से अपना काम करने वाले हैं वैसी गुडविल नहीं पाते, तो इससे असन्तोष बढ़ता है। सीनियारिटी का लिहाज तभी नहीं रखना चाहिये जब उसके खिलाफ कोई शिकायत हो। मेरिट के नाम पर और सीनियर लोगों को दबाकर नीचे गिरा देना और जिसको चाहा मेरिट के नाम पर ऊंचा उठा देना मुनासिब नहीं है। ऐसी शिकायत सुनने में आती है और नीचे के दर्जे में तो यह शिकायत काफी बढ़ी हुई है, जहां तक कि जिले में इस तरह से तरक्की देने का सवाल है।

समय कम है, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आपके द्वारा उन छोटे गांवों के किसानों की तरफ ले जाना चाहता हूं, उन किसानों को इतना सब कुछ होते हुए भी ऐहसास नहीं हुआ कि उसको कोई राहत हुई है। उनको जो अलाभकर जोतें हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोई अलाभकर जोत है तो उससे टैक्स क्यों लिया जाता है, मालगुजारी क्यों वसूल की जाती है। अलाभकर जोत में जमीन तो किसान की है, सरकार की है नहीं, जो कुछ उससे आमदनी हो उसका लिहाज करके ली जानी चाहिये। इस तरह से करीब ४ करोड़ का जो घाटा सरकार को रकबे के लिहाज से है वह

४ करोड़ पड़ता है। तो यह घाटा मैं कहूंगा कि जो ४० करोड़ पिछले बजट में था सिविल खर्चे के लिये उसको बढ़ा करके ४५ करोड़ इस साल किया गया है। अगर ४५ करोड़ न किया जाता वही ४० करोड़ रहता और ४, ५ करोड़ की छूट जो छोटे काश्तकार हैं उनको मालगुजारी में दी जाती तो उनका बहुत बोझ हल्का हो जाता। खास तौर पर इन छोटे लोगों को कोई ज्यादा फायदा न सड़कों से है, न मेडिकल से ले पाते हैं, तो उनको तो राहत इसी से होती कि उनका बोझ घट जाता। हम रामराज्य की तरफ बढ़ना चाहते हैं, इसने अशोक के धर्मचक्र को स्वीकार किया है। अशोक के राज्य में ताला नहीं लगता था लेकिन आज तिजोरियां और लोहे के फाटक टूट जाते हैं। चोरों और डाकुओं से रक्षा नहीं है। जहां तक कि आज के सवाल से यह पता चला कि बिजनौर जिले में पुलिस ने बगैर किसी कारण के एक दिन और एक रात औरतों को बन्द रखा। जिस पुलिस से बहू-बेटियों की रक्षा होनी चाहिये उसी के द्वारा बहू-बेटियों की अस्मत पर प्रहार हो यह कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? पुलिस पर खर्चा बराबर बढ़ता चला गया और पिछले आंकड़ों के देखने से तो कभी कल्पना नहीं की जा सकती कि यह कल्याणकारी राज्य है, हरगिज नहीं है। बल्कि इसके विपरीत होना चाहिये कि कल्याणकारी राज्य में तो पुलिस का खर्चा निरन्तर कम हो और दूसरे छोटे कामों पर खर्च हो।

मैं दो, तीन बातों की तरफ संकेत में ध्यान दिलाना चाहता हूं। उद्योग के बारे में सरकार अगर यह समझे कि देश में बेकारी दूर होगी सरकारी नौकरों को बढ़ा करके तो इससे नौकर तो बढ़ जायंगे लेकिन उनका आत्मसम्मान नहीं बढ़ जायगा, केवल छोटे उद्योगधंधों से ही बेकारी दूर की जा सकती है। छोटे उद्योग धंधों की तरफ जितना ध्यान दिया जाना चाहिये वह नहीं दिया जा रहा है। आज देहात में बेकारी काफी बढ़ी हुई है। छोटे से छोटा जो काम करने वाला है, उसको उचित प्रोत्साहन जो मिलना चाहिये, नहीं मिल रहा है।

शिक्षा की तरफ यह कहा गया है कि ऐग्रीकल्चर की तालीम दी जायगी। लेकिन वहां तो भर्ती होती है। वह ऐसी होती है कि जिनको देहात की जिन्दगी से कोई वाकफियत नहीं है, जिन्होंने फसल को अपनी आंख से नहीं देखा। ऐसे लोगों का न तो रहन-सहन ठीक है और न शिक्षा की योजना में प्रगति कर सकते हैं। देहात के आदमी ही ऐसी योजना में रखने चाहिये, प्लानिंग के काम में भी देहात के आदमियों को लगाना चाहिये। जिनको देहात की वास्तविक परिस्थितियों का अच्छी तरह से ज्ञान हो और जिनका देहात से ज्यादा ताल्लुक हो, लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता।

अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। मोटर पर जो खर्च किया गया, खास तौर पर पुलिस में, तो उसके लिये हमारी कमेटी ने यह फैसला किया था और सरकार ने यह निश्चय किया था कि घोड़ों पर इन्तजाम ज्यादा अच्छा हो सकता है, इसलिये घोड़े खरीदे जायं पुलिस वालों के लिए खास तौर पर और और दूसरे विभागों के लिए भी। अगर कोई रकम इसमें घोड़ों के खरीदने के लिए नहीं रखी गई है और यह जो रिकमेंडेशन थी उसके ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया है। तो इन्हीं चीजों की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता था।

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय वित्त मंत्री को उनके इस कल्याणकारी बजट में जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनके लिए धन्यवाद देता हूं। उसके साथ साथ उनसे यह निवेदन करूंगा कि लोक कल्याणकारी शब्द बड़ा सुन्दर है और ऐसा होना चाहिये कि जिससे कि यह सार्थक हो सके और जो आज असन्तोष है और जो अराजकता फैल रही है आज कल वह सब दूर हो सके।

[श्री रणंजय सिंह]

सर्वे भवन्तु सुखिनः , सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखमाग्भवेत् ।।

यह परमात्मा से प्रार्थना है ।

आगे मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बजट में बहुत सी अच्छी बातें जहां हैं वहां यह भी देखने में आता है कि हिन्दी और उर्दू का एक ऐसा दुष्प्रश्न पैदा हो रहा है कि जिससे हमारे हिन्दी प्रेमी अथवा राष्ट्रभाषा प्रेमी सज्जनों को आशंका हो रही है कि यहां पर यह विवाद जो खड़ा हो गया है उसका क्या परिणाम होगा। भाषा के सम्बन्ध में इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सी भाषायें जितनी हैं, सब पनपें, उनका कोई विरोध नहीं है। किन्तु साथ ही साथ यह भी देखना है कि हमारे यहां जो राज्यभाषा मानी गई है, इस प्रान्त की भाषा मानी गई है, उसके सम्बन्ध में यह कहना है कि जो यहां पर बजट भाषण हुआ है उसके देखने से यह पता नहीं लगता है कि आखिर यह किस भाषा में है । लिपि अवश्य नागरी है लेकिन इसमें कहीं कहीं ऐसे फारसी के शब्द भर दिये गये हैं, और कहीं कहीं ऐसे अंग्रेजी के शब्द भर दिये गये हैं कि जिससे न तो यह हिंदी कही जा सकती है, न उर्दू कही जा सकती है और न अंग्रेजी ही कही जा सकती है । कहीं कहीं तो अंग्रेजी शब्द रोमन लिपि में ही लिख दिये गये हैं और उनको हिंदी या देवनागरी लिपि में भी नहीं लिखा गया है। २५० के करीब इसमें अंग्रेजी के शब्द हैं और करीब करीब डेढ़ सौ के ऐसे शब्द हैं जो कि सिर्फ रोमन लिपि में ही लिखे हुए हैं, नागरी लिपि में भी नहीं हैं । तो मैं उनसे यह नम्र निवेदन करूंगा कि उनका जो बजट भाषण हुआ है वह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो उसकी भाषा भी ऐसी विशुद्ध होनी चाहिये कि जो वास्तव में इस प्रदेश की, इस राज्य की भाषा हो और जो कि सब के लिए आदर्श रूप हो।

इसके साथ ही साथ मैं वित्त मंत्री जी को इसके लिये भी धन्यवाद देता हूं कि जो उन्होंने बहुत से सुधार सम्बन्धी कार्य बतलाये हैं। इस बजट में जैसा कि गत वर्ष प्रस्ताव पास हो चुका है लखनऊ में एक स्टेडियम बनाने का, उसका जिक्र है और और जिलों में भी व्यायामशालायें स्थापित की जा रही हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इससे बड़ा लाभ होगा और लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, युवकों का चरित्र इससे सुधरेगा और शरीर दृढ़ बनेगा और वह संयमी होंगे। मैं स्कूलों में देखता हूं कि खेलकूद का प्रबन्ध तो कर दिया गया है, लेकिन ऐसा कर दिया गया है कि लड़के घर से खा पीकर आये और खेलने लग गये। तो इसका असर उनके स्वास्थ्य पर अच्छा नहीं पड़ेगा। मैं यह भी समझता हूं कि जो लड़के इधर-उधर घूमा करते हैं उनका दिल अगर खेल कूद में लगाया जाय तो उनका इधर उधर घूमना बन्द हो सकता है, इसलिये उनको खेलकूद की तरफ लगाने की कोशिश होनी चाहिए। स्टेडियम के सम्बन्ध में मैं थोड़ा सा यह निवेदन करना चाहता हूं। वह स्टेडियम जो है वह ऐसे स्थान पर बने जो कि लखनऊ के किसी मध्य स्थान पर हो जिससे कि अधिक से अधिक जनता उससे लाभ उठा सके। मैंने सुना है कि गोमती पार कहीं पर वह बन रहा है। इससे बहुत से लोगों को असन्तोष है। तो इसे किसी मध्य स्थान पर बनाया जाय।

संस्कृत विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जो यहां पर बतलाया गया है उसके लिए मैं हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सी बातें हैं। मगर कम समय में निवेदन करने में कठिनता है। मैं चाहता हूं कि हमारा प्रान्त आदर्श प्रान्त हो। अहिंसा की भावना बढ़े और मैं यह चाहता हूं कि जो भी प्रबन्ध हो वह दया भाव से हो। दया का भाव लोगों में पैदा हो। खाद्य पदार्थों की उन्नति के विषय में भी कहा गया, तो उसके लिये अवश्य प्रयत्न होना चाहिये और वह शुद्ध मिलना चाहिये। डालडा आदि का चलन बन्द किया

जाय जिससे लोगों का स्वास्थ्य सुधरे। इसी प्रकार से और बहुत से प्रश्न हैं, जैसा कि एक औषधालय के संबंध में है। औषधालयों के बारे में यहां पर यह बतलाया गया कि १५ औषधालय खुलेंगे एलोपैथिक के और १० ऐसे खुलेंगे जो कि यूनानी और आयुर्वेदिक होंगे। पहले तो मुझे यह आश्चर्य है कि जहां सरकार की भावना ऐसी प्रतीत होने लगी थी कि यहां पर आयुर्वेदिक औषधालयों की उन्नति और वृद्धि होगी और उन्हीं के द्वारा सबसे अधिक लाभ जनता को हो सकता है, लेकिन अब इसको देखने से यह पता चलता है कि सबसे ज्यादा एलोपैथिक के लिये प्रबन्ध किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं और भी यह निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से हमारे यहां जहां पर यह कहा जाता है कि सरकार धर्म निरपेक्ष है, साम्प्रदायिकता से दूर भागती है, वहां पर जब मैं बजट में देखता हूं तो मिलता है कि सरकारी पत्रों में प्रकाशित जहां पर आयुर्वेदिक का प्रश्न आता है प्रायः वहां यूनानी का भी प्रश्न आता है। जिस जगह संस्कृत का प्रश्न आया प्रायः वहां अरबी के लिय भी प्रश्न आयेगा। जहां पर हिन्दी का प्रश्न होगा वहां पर प्रायः उर्दू का भी होगा। इसमें कुछ साम्प्रदायिकता की गंध जान पड़ती है। अंग्रेजों की यह भावना थी "डिवाइड ऐंड रूल" विभक्त करो और शासन करो। यह उनके लिये कहा जा सकता था, लेकिन इस प्रकार जहां यह हो वहां वह हो, जहां वह हो वहां यह हो, यह उसी प्रकार की भावना के समान है। मैं यह नहीं कहता कि यूनानी की उन्नति न की जाय या उर्दू को बन्द किया जाय। जहां जो जिस भाषा को पढ़ना चाहें वह पढ़े, लेकिन उसी जगह जहां पर हिन्दी का प्रश्न हो वहीं उर्दू का भी उठाया जाय, यह ठीक नहीं जान पड़ता। अंग्रेजों के समय में जो हमारे यहां एक साम्प्रदायिकता की दूषित भावना लोगों में फैल गयी थी वही आज भी चलती चली जा रही है।

इसके पश्चात् मैं यह निवेदन करूंगा कि यहां पर जब यह समाजवाद की चर्चा आती है, मैं देखता हूं कि समाजवाद के लिये इधर से और उधर से भी बड़ी-बड़ी बातें कही जाती हैं। रूपरेखा के संबंध में बहुत सी बातें कही जाती हैं। मैं समझता हूं कि समाजवाद वह अच्छा है जो समाज सुधार कर सके। मैं एक समाज सुधारवादी होने के नाते यह चाहता हूं कि देश का सुधार हो, समाज में सुधार हो और वह उन्नति की ओर बढ़े। आज हम विषय वासना की ओर बढ़े चले जाते हैं। बहुत सी शादियों में जलसों में नाच रंग और आतिशबाजी में लोग काफी धन फूंकते दिखायी देते हैं। एक ओर तो यह कहा जाता है कि लखनऊ इन्हीं बातों में तबाह हुआ और वही शान शौकत और आतिशबाजियां आज भी दिखलाई देती हैं। आज भी बड़ी धूमधाम से आतिशबाजी, जिसके धुंये से वायुमंडल इतना दूषित होता है और रोग फैलते हैं उसकी इतनी धूम मच रही है कि अन्धाधुन्ध पैसा उसमें फूंका जाता है और इस प्रकार से बड़ा अनर्थ होता है और उस ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता। आज भी नाच रंग इत्यादि जैसा पहले होता था अब भी हुआ करता है। तो मैं इन सब बातों की ओर प्रार्थना करते हुये अपने वित्त मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि हिन्दी या जो कुछ भी हो, न्याय के साथ सब काम हों और देहात में भी जो व्यायामशालायें खोली जायं उनमें ध्यान रखा जाय कि कहीं दलगत भावनाओं में, पार्टी पालिटिक्स में लोग न पड़ें जिससे सब की सब जनता पूरा लाभ उठा सके। धन्यवाद।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश के वार्षिक बजट पर जब हम विवेचन करने बैठते हैं तो इसमें संदेह नहीं कि उस प्रदेश की बुनियादी नीति का दिग्दर्शन उस बजट में रहता है और इसलिये यदि हमारे इस बजट के संबंध में आंकड़ों को छोड़ कर नीतियों के संबंध में भी विवेचना हुई है तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ हद तक वह विवेचना सही माने में हमारे इस बजट के संबंध में की जा सकती थी। लेकिन मुझे पिछले दो तीन दिनों में जो कुछ भी सुनने का मौका लगा है, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि हमारे विरोधी दल के पक्ष में बैठे हुये लोगों ने हमारे देश की नीति और कांग्रेस की परम्पराओं के प्रति या तो विश्वास करना छोड़ दिया या स्वयं उनमें आत्मविश्वास की कमी है कि वह किन्हीं सच्चे रास्तों पर चलने की शक्ति स्वयं रखते हैं, या उन्होंने जानबूझ कर सत्य और असत्य के बीच में उतनी

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

दूर तक पहिचानने की कोशिश की। जहां तक उनकी जरूरत को बल दे सकने का काम कर सकती थी। श्रीमन्, मैंने माननीय राजनारायण जी के आंकड़ों को पढ़ा। राज नारायण जी जिस किताब से आंकड़े लाये थे मैंने उसके अंतर्गत पूरे आंकड़े पढ़ने की कोशिश की। मेरे पास समय नहीं है, माननीय वित्त मंत्री जी के एक घंटे के बोले गये सूत्रों का माननीय राज नारायण जी ने साढ़े पांच घंटे में व्योरा दिया, अगर मैं उनको अलग अलग बताने की कोशिश करने लगूंगा तो बहुत समय लग जायगा.....

श्री अध्यक्ष—आपके आंकड़े भी गलत हैं, वह साढ़े पांच घंटे नहीं बोले।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—चार घंटे से कम नहीं लिये होंगे। साढ़े तीन घंटे सही, मैं सही किये लेता हूं। मैंने इस किताब को देखा, जहां तक हमारी भिन्न भिन्न चीजों का संबंध है जो कृषि के उत्पादन से संबंध में रखती हैं या कृषि जोतों से संबंध रखती है या अफीम, गांजे और चरस वगैरा की बात उन्होंने उठाई, जब मैंने उनको देखा तो यह बात पाई कि उन्होंने उन्हीं आंकड़ों को उद्धृत किया जो या तो कम पड़ते थे या जिनकी गलत धारा में ले जाकर खपत दिखाई जा सकती थी और मैं इसलिये आपके द्वारा उनके और इस भवन के बीच में आंकड़ों में समय नष्ट नहीं करूंगा। मैं इकोनोमिक्स और स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के बुलेटीन माह सितम्बर की तरफ उनका व सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने अगस्त के बुलेटीन पर ज्यादा बल दिया था, लेकिन मैं समझता हूं कि उसमें पूरी बात नहीं आती है।

दूसरे आंकड़े माननीय नारायण दत्त जी तिवारी ने आदरणीय सदन में प्रस्तुत किये। मेरा दुर्भाग्य है कि वह भी इस समय में सदन में उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने इस बजट को पंच-वर्षीय योजना का आखिरी चरण का बजट कहते हुये इस बात पर बल दिया कि योजना के दृष्टिकोण से जितना हमारा लक्ष्य था वह हमारे इस बजट वर्ष के अन्त तक पूरी तरह से समाप्त होने पर भी नहीं आ रहा है। उन्होंने संदेह प्रगट किया कि ३ साल के बजट को पूरे तौर से देखने के बाद वह नहीं जान सके कि हम किस तरह से उक्त लक्ष्यों तक पहुंच सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैंने इसके भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के आंकड़ों को देखा। चाहे वह रुई से संबंधित हों, चाहे वह जूट से संबंधित हों, चाहे जानवरों के अस्पतालों से संबंधित हों, चाहे बिजली और श्रमिकों के मकानों से संबंधित हों, श्रीमन्, मैं अधिक तो नहीं कह सकता हूं लेकिन, इतना अवश्य कहूंगा कि वह उत्तर प्रदेश फाइव ईयर प्लान के प्रोग्रेस के रिव्यू के आंकड़ों को अगर देखेंगे तो सब स्पष्ट हो जायगा और वह इस बात के गवाह हैं कि जहां तक रूई और जूट का संबंध है हमारे प्रदेश ने बहुत काफी उन्नति की है और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जायेंगे।

इस प्रकार से जानवरों के अस्पतालों के संबंध में हमने अपने टारगेट को ही प्राप्त नहीं किया है बल्कि तीन और नये जानवरों के अस्पताल खोल जा चुके हैं और इसके अतिरिक्त यह भी है कि वित्तीय वर्ष १९५५ के अन्त तक ५ और नये जानवरों के अस्पताल पूरे हो जायेंगे। इसके माने यह है कि हमने अपने टारगेट को प्राप्त करने के बाद आठ नये अस्पताल इस वर्ष के अन्त तक खोल लेंगे और करीब ९०,००० रुपया दवाओं के रूप में हमने ग्रामीण सेंटरों में अधिक भेजा है। जहां तक जानवरों के जीवन का संबंध है हमने उनके जीवन को सुखी बनाने का काफी प्रयत्न किया है और उनकी नस्ल सुधारने का काम भी किया है और हम इस संबंध में तीन वर्ष के बजट के अन्तर्गत टारगेट से आगे पहुंच गये हैं।

इसी प्रकार यदि श्रीमन्, जी सहकारी समितियों को देखें तो हमें कुल मिलाकर एक हजार सहकारी समितियां प्रतिवर्ष बनानी थीं। हमारे प्रदेश में पिछले तीन वर्ष में दो हजार नौ सौ पिच्चानवें (२९९५) सहकारी समितियां बन चुकी हैं। इसी प्रकार यदि सिंचाई के संबंध में और सड़कों के संबंध में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे मित्रों ने इस बात की तरफ जरा भी तवज्जह देने की कृपा नहीं की कि हमारे कार्य कितने बड़े बड़े थे जिनको पूरा करने की जिम्मे-

बारी हमारी सरकार पर आई। इस संबंध में मैं केवल दो बातों की तरफ आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा कि किसी भी प्रदेश की प्रगति को यदि देखना है तो उस प्रदेश के लोहे की खपत, बिजली की खपत, सल्फयूरिक एसिड की खपत और कास्टिक सोडा की खपत को जान लेने से आपको मालूम हो जायगा कि उस प्रदेश के अन्दर इंडस्ट्रीज का कितना महत्व है और कितना उस प्रदेश को इंडस्ट्री से लाभ है। उन आंकड़ों में यदि हम अपने देश सारे देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों के आंकड़ों को बराबर बराबर देखें तो मालूम होगा कि यद्यपि पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत अधिक खर्च किया, दूसरे प्रदेशों के मुकाबिले में अपने पूरे बजट का अधिकांश हिस्सा बुनियादी चीजों में खर्च किया और यद्यपि गवर्नमेंट आफ इंडिया और प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं उनमें भी इन बातों का सिलसिला है कि उत्तर प्रदेश अपनी पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य की प्राप्ति में सिंचाई और पावर के संबंध मे अत्यधिक सफल रहा है। मैं इंडिया ५४, पब्लिकेशंस डिवीजन, मिनिस्ट्री आफ इन्फारमेशन, भारत सरकार के भिन्न भिन्न आंकड़ों की तरफ नारायण दत्त जी और दूसरे सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तो मैं यह बता दूं कि यद्यपि हमारी रेल माइलेज पर थाउजेंड स्क्वेर माइल्स बहुत कम थी, यद्यपि हमारी बिजली जो पर कैपिटा अवेलएबिल थी और जनरेट होती थी वह बहुत कम थी और यद्यपि सिंचाई के साधनों की हमारे पास पंजाब और दूसरे प्रदेशों के मुकाबिल में कम गुंजाइश थी जब हमने इस प्लान को शुरू किया था, लेकिन पिछल कई वर्षों में जो काम हुआ उससे सिद्ध होता है कि हमारे प्रदेश ने काफी प्रगति की है और हम उन दूसरे प्रदेशों से अधिक सफल भी रहे।

राजनारायण जी ने एक अजीब तर्क उठाया। उन्होंने कहा कि हमारे टैक्सेज गिर रहे हैं। वह आज यहां हैं नहीं। मैं आपके सम्मुख यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस बात का मानने वाला हूं कि हमारे टैक्सेज को उन जगह लगना चाहिये जहां ब्लड हो, सिर्फ हड्डी पर कोई टैक्स लग नहीं सकता। खून और गोश्त हो तो आप टैक्स लगाइये मुझ कोई उज्र नहीं है और उस रूप में हमारे टैक्सशन की जो नीति है उससे बहुत कुछ मात्रा में मैं सहमत नहीं हूं कि सारे टैक्स सब पर लगें। मैं मानता हूं कि १०० रुपय से कम तनख्वाह वालों पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिये, लेकिन अगर राजनारायण जी इंडिया ५४, पेज ११२–११३ को पढ़ेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि हमारे रेवेन्यूज बढ़े हैं। लेकिन रेवेन्यू बढ़ना ही एक मात्र साधन प्रगति का नहीं हो सकता क्योंकि बड़े बड़े राजाओं आदि ने भी जुल्म करके अपने रेवेन्यू को बढ़ाने की बात की है। मैं स्वयं इस बात को मानता हूं कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने काफी प्रगति की है। अवाडी में जो कांग्रेस का रेजोल्यूशन हुआ और जो कुछ अब रीति नीति अपनाने का संकल्प वित्त मंत्री ने इस बजट भाषण में किया है वह निश्चय ही सराहनीय है। एक तो हमारे वित्त मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि अब सरकार को खर्च करने की नीति इस बात पर निर्भर करेगी कि खर्चे की जरूरत जनहित में कितनी है। जो कुछ हमारे रेवेन्यू से पैसा आयेगा सिर्फ उससे खर्चा करके जनता की प्रगति को रोकेंगे नहीं। हो सकता है कि इसमें मतभेद हो लेकिन जितने अर्थशास्त्री हैं उन सब की राय है कि हमारे खर्चे को जनता की प्रगति के कामों में लगाया जाय और आवश्यकतानुसार डेफिसिट फाइनेंन्स का सहारा लिया जाय। जिस वक्त किसी मुल्क का निर्माण होता है और अन्डर डेवलप्ड एकोनामी होती है उस वक्त सरकार बिना डेफिसिट फिनैन्सिंग के सफल नहीं हो सकती।

अब मुझे एक दो बातें विशेषकर श्रमिकों के संबंध में कहनी हैं। जो हमारे मजदूर गांवों में और शहरों में रहते हैं उन पर लोकल सेल्फ बाडीज की तरफ से तमाम टैक्सेज लगते हैं जो उनके लिये असह्य हो रहे हैं। उनको अपनी तनख्वाह पर ही नहीं बल्कि और जो उन्हें भत्ते मिलते हैं उन सब पर मिला कर उन्हें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड को कर के रूप में या प्रोफेशनल टैक्स या हैसियत टैक्स के रूप में बराबर देना पड़ता है जिसकी वजह से हमारे प्रदेश भर के मजदूरों में, चाहे वे बिजली के कारखानों के हों, चाहे वे रेल के मजदूर हों, या चीनी की मिलों के हों, बड़ा असंतोष है। पिछले तीन सालों से हम बराबर कह रहे हैं कि इन टैक्सेज

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

में कुछ कमी की जाय। कम से कम सरकार इतना तो मान ले कि बुनियादी तनख्वाह पर ही टैक्स लगेगा और भत्तों पर टैक्स नहीं लगेगा।

दूसरी बात यह है कि सरकार ने यह बड़ा अच्छा किया कि १०० रुपये से कम तनख्वाह पाने वालों को आधा मंहगाई भत्ता उनकी तनख्वाह में मर्ज कर दिया जायगा। लेकिन यही नीति सरकार को केसा के मजदूरों के संबंध में भी अपनानी चाहिये ऐसी मेरी आशा है। यदि मंत्री जी इस बात का एलान कर दें तो मैं उनका बड़ा आभारी हूंगा कि यह नीति केसा पर भी लागू करने वाले हैं या नहीं।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले इस बजट के ले आने पर गवर्नमेंट को, माननीय वित्त मंत्री जी को और इस विभाग के कर्मचारियों को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि होशियारी से, बड़ी खूबी के साथ, प्रदेश की हालत को सामने ले आये।

हमारे मुख्य मंत्री जी का शुभनाम है श्री सम्पूर्णानन्द, यथा नाम तथा गुणाः। आपने सबसे पहला काम छोटी तनख्वाह पाने वालों की तनख्वाह बढ़ा कर किया। यह शुरुआत हुई छोटे कर्मचारियों के तनख्वाह बढ़ाने से। एक नयी बात हुई कि गर्भवती स्त्रियों को जो गरीब हैं, उन्हें सरकार की तरफ से दूध मिलेगा जब बच्चा होने के कुछ दिन बाकी रह जायेंगे। स्त्री और पुरुष दोनों की तरफ से चुन कर आया हूं इसलिये यहां हमें दोनों तरफ ध्यान देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—समय थोड़ा है।

श्री सीताराम शुक्ल—लेकिन इसके बाद भी हमारे लाल टोपी वाले भाइयों ने.....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके सोशलिस्ट वगैरह कहें तो ज्यादा अच्छा हो, बनिस्बत लाल टोपी वालों के। मैं उसको अच्छा नहीं समझता।

श्री सीताराम शुक्ल—विरोधी कहें, सोशलिस्ट कहें, अगर लाल टोपी वाले अच्छा नहीं लगता।

उनकी मुखालिफत की कोई शिकायत नहीं, वे विरोधी हैं। वे तो इसीलिये आते हैं। उनका फर्ज है विरोध करना इससे हमको फायदा उठाना चाहिये और अगर उनका एतराज जायज हो तो उसको मान लेना चाहिये, उसको ठीक करना चाहिये। मैंने कल ध्यान से इस पक्ष के लोगों के भाषणों को भी सुना, धन्यवाद से शुरू किया। उसके बाद काफी क्रिटिसिज्म भी सुना, एक साथ में धन्यवाद भी और क्रिटिसिज्म भी। यह सुन कर जरा ताज्जुब हुआ, बड़े जोरदार शब्दों में गरीबी का चित्र खींचा गया, देहात में यह परेशानी है, वह परेशानी है। हुजूरवाला, यह तो मालूम है, गरीबी इस मुल्क में है। जिस वक्त कांग्रेस ने चार्ज लिया था तो बड़ी परेशानियां थीं, बड़ी दिक्कतें थीं। उस वक्त के बाद से अगर परेशानियां बढ़ गयीं तो हम कहेंगे कि गवर्नमेंट का काम खराब है। लेकिन चार्ज लेने के बाद से अगर काम अच्छा हो गया तो फिर शिकायत नहीं की जा सकती, और एक दिन में सारे का सारा काम ठीक करना कैसे संभव हो सकता है? ठीक नहीं किया जा सकता है। हमारे कुछ भाइयों ने बड़े जोरदार शब्दों में कहा कि छोटे-छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ा दी गयी लेकिन बड़े कर्मचारियों की घटायी नहीं गयी। सोशलिज्म आया कहां? वह सोशलिज्म का यह अर्थ लगाते हैं कि बड़ों का वेतन घटा दो, छोटों की आमदनी बढ़ाना नहीं मानते। हमारे

पढ़े लिखे लोग आज कहने लगे कि बड़े अफसरों का वेतन घटाया क्यों नहीं जाता, कम से कम एक ही रुपया महीना घटा दीजिये तो मालूम होगा कि कुछ हुआ। वाजे रहे कि कांग्रेस सरकार का उद्देश्य घटाना नहीं है, बल्कि बढ़ाना है। हम आराम देना चाहते हैं। तकलीफ देना नहीं चाहते हैं। सरकारी कर्मचारियों को क्रिटिसाइज किया गया। हम यहां बैठे हैं सरकारी कर्मचारियों की सहायता से। स्वराज्य से पूर्व पीछे पुलिस जाती थी हमारी कार्यवाहियों की रिपोर्ट करने के लिये, वह हमारी मदद करती थी। मैं हूं। मैंने थानेदार के घोड़े पर चढ़ कर कांग्रेस का काम किया है। उस वक्त को सोचिये यदि अंग्रेज सुपरिंटेंडेंट को मालूम हो जाता तो जिसने घोड़ा दे दिया है तो वह बरखास्त हो जाता। मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, जिस वक्त स्वराज्य की लड़ाई चल रही थी वायसराय के पास खबर बाद में पहुंचती थी, पहले कांग्रेस के दफ्तर में पहुंच जाती थी। इसमें अच्छे आदमी भी हैं बुरे आदमी भी हैं, जैसे कांग्रेसमैनों में भी अच्छे बुरे आदमी हैं, वैसे सरकारी कर्मचारियों में भी अच्छे बुरे आदमी हैं।

इसलिये कुछ की गलती से सबकी शिकायत करना अक्लमन्दी नहीं है। जोश में आकर अगर आप उच्च कर्मचारियों का वेतन घटा देंगे तो उसका परिणाम बुरा होगा। आज निम्नवर्ग के कर्मचारी बहुत परेशान हैं जो बेनवर्क नहीं करते हैं। उनको पैसा कम मिलता है, मगर आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पर गरीबी नहीं लाद सकते हैं, अगर ऐसा कर देंगे तो हो सकता है कि कल वे ही रिश्वत लेने लग जायं। वह अगर ऐसा करने लगें तो उसका परिणाम यह होगा कि आपको ज्यादा नुकसान उठाना होगा। यह भी हो सकता है कि कुछ लोग इस्तीफा दे दें और इंग्लैन्ड में अथवा अमरीका में जाकर नौकरी कर लें जिनमें जज भी हो सकते हैं और बड़े-बड़े डाक्टर भी हो सकते हैं। इसलिये मेहरबानी करके अफसरों को नाखुश करने की कोशिश न कीजिये वरना वह कुरसी पर बैठे रहेंगे और किसी कानून की पकड़ में भी नहीं आयेंगे और आपका बहुत नुकसान हो जायगा। आप यहां पर कानून बनाते हैं। लेकिन फिर भी रिश्वत बन्द नहीं होती है। हम चाहते हैं कि हर एक आदमी काम करे और साथ ही यह भी चाहते हैं कि उनको आराम दिया जाय। हम आराम भी देना चाहते हैं और उनकी तनख्वाह भी बढ़ाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि छोटे आदमियों की क्या तकलीफें हैं और बड़े की क्या परेशानियां हैं। उन्हें दूर करने की कोशिश की जाती है मगर फिर भी शिकायतें बनी हैं। शिकायतें क्यों होती हैं? मालूम होता है कि हमारा प्रचार विभाग कमजोर है? बजट में रुपया है, हमारे कर्मचारी भी अच्छे हैं और सूचना मंत्री जी योग्य हैं, फिर क्या बात है? बात यह है कि प्रचार की कमी है और उसके लिये रुपया कम दिया गया है।

श्रीमन्, इस बात की जरूरत है कि प्रजातंत्र के जमाने में सरकार अच्छा काम करे और साथ ही जनता भी अच्छा काम करे। अगर रुपया कम होगा तो फिर सूचना का काम अच्छा नहीं हो सकेगा। जब नौकरी दी जाती है तो उस समय रिश्तेदारी का विचार नहीं होना चाहिये क्योंकि अफसरों के जिम्मे बहुत बड़े काम होते हैं; जहां पर बन्दूक और तलवार काम नहीं करती है वहां पर प्रचार काम करता है। किसी स्वार्थी को त्यागी बनाना और दूसरों की सेवा करने वाला बनाना यह प्रचार का ही काम है। इस विभाग का यह काम ही नहीं है कि सूचना दे दे, बल्कि अच्छे प्रचारक तैयार करना भी उसका काम है। उनके लिये पैसा कम है तो फिर इतने कम पैसे में अच्छा काम कैसे हो सकता है? इसलिये मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस विभाग के लिये कुछ और पैसा बढाने की कृपा की जाय। मैं जानता हूं कि इस विभाग के जो मंत्री महोदय हैं वह बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। जिस समय आप बोलते हैं तो आपके सुनने वाले खुश हो जाते हैं। मुझे मालूम है कि एक बार इलाहाबाद में लड़कों की मीटिंग में आप बोलने वाले थे तो आपको वहां पर आने में कुछ विलम्ब हो गया तो लड़के बहुत नाराज हो रहे थे, लेकिन जिस समय आपने व्याख्यान दिया तो सब लड़के खुश हो गये। आप ट्यूबवैल और नहरों को भी बनवाते हैं जिससे गल्ला पैदा होता है और फिर वक्तामृत वर्षा कर दूसरों को आनन्दित करते हैं। इस कारण मेरा आपसे निवेदन है कि कुछ पैसा इस विभाग के लिये और बढ़ा दें

वित्त समिति तथा सार्वजनिक लेखा समिति के निर्वाचन-कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष—मैं एक सूचना सदन को दे देना चाहता हूं। सन् १९५५–५६ की वित्त एवं सार्वजनिक लेखा समिति के लिये क्रमशः १४ एवं २० सदस्यों के निर्वाचन के लिये निम्न-लिखित कार्यक्रम रखा गया है—

नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तथा समय ..३ मार्च, १९५५ को ३ बजे दिन तक।

नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा ... ५ मार्च, १९५५ को ३ बजे दिन।

नामों की वापसी की अंतिम तिथि तथा समय ... १५ मार्च, १९५५ को ३ बजे दिन तक।

निर्वाचन की तिथि समय व स्थान यदि आवश्यकता हुई, तो बाद में सूचित किये जायंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

१९५५–५६ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

श्री भूपालसिंह खाती (जिला अल्मोड़ा)— माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री महोदय को हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने जो १९५५–५६ का आय-व्ययक इस सदन में प्रस्तुत किया है वह इस बात का द्योतक है कि वह हमारे प्रान्त की निरन्तर वृद्धि करेगा। मेरे सामने जो तीन दिन से व्याख्यान हुए हैं और उनमें मुझे जो अपने विरोधी मित्रों की भावनायें सुनने को मिली हैं उनसे मैं यही कह सकता हूं कि वह हमारे प्रदेश की स्थिति को समझे नहीं हैं। असल में वे ज्यादातर आर्थोडोक्स एकानोमी से प्रभावित होते हैं। वे ऐसी पुस्तकों को पढ़ते हैं जो विलायत और अमेरिका के अर्थशास्त्रियों और विद्वानों ने लिखी हैं और उनसे वे आज हमारे प्रदेश और देश की परिस्थिति पर प्रकाश डालना चाहते हैं, विचार करना चाहते हैं और कुछ यहां की परिस्थितियों को तोलना चाहते हैं। मैं उनसे यह निवेदन करता हूं कि वे इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे देश की जो परिस्थितियां हैं वे उन आर्थोडाक्स अर्थशास्त्रियों के सामने नहीं थीं जो विलायत या अमेरिका में रहते हैं क्योंकि विलायत या अमेरिका में जो विकास हुआ है, जो आर्थिक उत्थान हुआ है वह एक दूसरे ही वातावरण में हुआ है, दूसरी सूरतों में हुआ है, दूसरे हालात में हुआ है। हमारी सूरतों और परिस्थितियों का अगर मुकाबला किया जा सकता है तो रूस और चीन से किया जा सकता है। मुझे जो विरोधी सदस्यों के व्याख्यान यहां सदन में सुनने को मिले उनमें एक भी व्याख्यान या उदाहरण ऐसा नहीं मिला जिसमें चीन या रूस से प्रेरणा लेने की कोशिश की गयी हो। उनकी तरफ से केवल यह कहा गया कि हम बहुत खर्चा कर रहे हैं, कर्जा बढ़ा रहे हैं और यदि हम इस कर्जे को रफ्तार से चलेंगे तो अपना विकास नहीं कर सकते। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि सन् १९२८ में रूस की जो पहली पंचवर्षीय योजना बनी और १९३३ में जो उसकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनी उनमें आप यदि देखेंगे तो यही पायेंगे कि जिस देश में बड़ा जनसमुदाय होता है तथा कम साधन होते हैं वहां यही तरीका इस्तेमाल किया जाता है जो हमने अपने प्रदेश के उत्थान के लिये अपनाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि समय केवल १० मिनट का है, मैं बजट की बारीकियों में नहीं जाऊंगा। क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो जो पर्वतीय जिलों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं, वह नहीं कह पाऊंगा, इसके लिये अवसर न रहेगा। इन ढाई दिनों में जो बजट के सम्बन्ध में कहा गया उसमें एक प्रकार से पहाड़ी जिलों के सम्बन्ध में अधिक राय व्यक्त करने का अवसर प्राप्त नहीं हो सका। मैं वित्त मंत्री महोदय को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने पहाड़ी प्रदेश में अधिक से अधिक यातायात के साधनों को सुलभ करने के लिये तथा उनकी वृद्धि के लिये समुचित कदम उठाये हैं, उसके लिये वहां की जनता की ओर से यह सरकार धन्यवाद की पात्र है। इसके साथ ही साथ फलों के विकास के लिये जो प्रयत्न किया जा रहा है उसके लिये भी हम सरकार के ऋणी हैं। साथ ही साथ वहां के कुछ मौलिक प्रश्न भी हैं जिनको अगर जल्द से जल्द न सुलझाया गया तो वहां अराजकता और अशान्ति फैलने का डर है। अगर अशान्ति और अराजकता का इस्तेमाल ग़लत हो तो यह तो कहा ही जा सकता है कि वहां की जो आर्थिक अवस्था है उसमें एक बहुत बड़ी खराबी आती जा रही है, आ जाने का डर है। आज कई वर्षों से इस प्रकार के आंकड़े इस सदन के सामने रखे जाते रहे हैं कि वहां की जो भूमि है वह वहां की जनसंख्या के लिये बहुत ही नाकाफी है। इस सदन के माननीय सदस्यों को मैं फिर याद दिलाता हूं कि वहां पर प्रत्येक व्यक्ति करीब १/३ एकड़ भूमि पड़ती है और वह भूमि ऐसी है जिसका मुकाबला मैदान की उपजाऊ भूमि से नहीं किया जा सकता है। आज वहां भूमि के लिये हाहाकार है और वहां के लोगों की यह मांग बहुत दिनों से है कि उनको तराई भावर में जमीनें दी जायं। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि उन पर कोई विशेष ख्याल आज तक सरकार ने नहीं किया। यह एक इतना बड़ा प्रश्न है कि आज यह कहा जाता है कि तराई में आप बस सकते हैं लेकिन आपकी जमीन नहीं तोड़ी जायगी क्योंकि सरकार के पास रुपया नहीं है। मैं कहता हूं कि आज हमारे यहां बाढ़ का प्रश्न नहीं है, हमारे यहां आज कोई मानसिंह डाकू का प्रश्न नहीं है, आज हमारे यहां जो देश के और जिलों में इन्तजाम आदि की खराबी है उसका प्रश्न नहीं है। आज जब कहीं बाढ़ आती है तो उसके ऊपर आप चार-पांच करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं, तो क्या यह ऐसी बात है कि हमारे पहाड़ी जिलों में वह रुपया नहीं खर्च किया जा सकता है? मैं समझता हूं कि खास कर तराई में जो जमीनें अब तक टूटी नहीं हैं, उस पर जो वहां के लोगों को आबाद किया जा रहा है, उनको इस बात का अवसर दिया जाय कि जिस तरह से शरणार्थियों को बसाया गया है, जिस तरह से राजनीतिक पीड़ितों को बसाया गया है, उसी तरह से पहाड़ के लोगों को भी बसाया जाय।

इसके साथ ही मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि बहुत दिनों से मांग की जा रही है कि वहां के काश्तकारी कानून को यहां के कानून के मुताबिक लाया जाय, लेकिन उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जिस वक्त माननीय राज्यपाल के सम्बोधन पर विवाद चल रहा था तो उस सिलसिले में भी मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अर्ज किया था कि यह काम नितान्त जरूरी है और वह जल्द से जल्द होना चाहिये। लेकिन मैं पुनः सरकार को याद दिलाऊं कि इस काम को अब अधिक दिनों तक नहीं ढिलाया जा सकता है। अगर ढिलाया गया तो जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ऐसे राजनीतिक दल जिनका सरकार से कोई सहानुभूति नहीं है और जो सरकार के विरोधी हैं वे उससे काफी फायदा उठायेंगे और आज उठा रहे हैं और थोड़ी बहुत वहां पर वे जड़ पकड़ रहे हैं वह उसी काश्तकारी अव्यवस्था के कारण पकड़ रहे हैं। लेकिन यदि इसको जल्दी दुरुस्त नहीं किया गया तो इससे भी अशान्ति फैलने का डर है। एक और बात सुनकर मुझे बहुत सुख हुआ और प्रसन्नता हुई जो हमारे माननीय अर्थ मंत्री महोदय ने यह कहा कि हमारे प्रान्त में यदि साढ़े ६ घंटा प्रतिदिन काम करने का समय मान लिया जाय तो हमारे यहां बेकारी नहीं है। मैं उनको बधाई देता हूं इस आंकड़े के लिये। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि शायद जब प्रान्त का पूरा औसत

[श्री भूपालसिंह खाती]

लगाया जाता हो तो सम्भव है बेरोजगारी नजर न आवे लेकिन यदि हम वहां के केवल चार पहाड़ी जिलों को लें तो वहां पर अधिक बेकारी है। शिक्षित और अशिक्षित हर प्रकार के लोग बेकार हैं जिनको देखकर एक साधारण आदमी को अच्छी तरह से यह प्रतीत हो सकता है कि आज हमारे हजारों नन्हें-नन्हें बच्चे जिनकी अवस्था ६ से ८ वर्ष तक की है वे कलकत्ता, बम्बई, देहली, लखनऊ आदि के होटलों में काम करते हुए दिखलाई देते हैं। क्या यह बेरोजगारी का सबूत नहीं है? आज जो हमारे हजारों बच्चे हाई स्कूल और इंटर पास हैं वे भी बेकार हैं जिसकी वजह से उनके अन्दर बड़ी बेचैनी है। छोटे-छोटे पहाड़ी बच्चे जो नौकरी की खोज में आ जाते हैं आखिर वह किस बात का सबूत है? अभी उनके पढ़ने की अवस्था थी, अभी घर पर उनकी कुछ परवरिश पाने की अवस्था थी, लेकिन आज वे नौकरी के लिये चारों तरफ मारे-मारे फिर रहे है। आज आवश्यकता तो इस बात की है कि कोई ऐसा कानून बनाया जाय और एक अवस्था सीमित कर दी जाय कि इतने छोटे-छोटे बच्चे इन होटलों के काम में न लगाये जायं। इससे उनके चरित्र का निर्माण नही होता, उनका चरित्र भ्रष्ट हो जाता है और उनका सामाजिक संगठन तथा उत्थान भी नही हो पाता। जहां तक शिक्षित नौकरियों का सम्बन्ध है मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज शिक्षित नौकरियों के लिये एक अजीब किस्म की होड़ है। उसमें इतना पक्षपात, उसमें इतना गोलमाल किया जाता है कि साधारणतया एक धारणा लोगों में यह बन गई है कि जब तक सिफारिश न हो तब तक नौकरियां नहीं मिल सकतीं। चाहे जिलों के अन्दर हों और चाहे प्रान्त की नौकरियां हों सभी जगह होड़ लगी हुई है और एम० एल० ए०, एम० एल० सी०, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और मिनिस्टर सभी प्रमुख व्यक्तियों के घरों पर जाकर सिफारिशें प्राप्त की जाती हैं कि अमुक नौकरी हमें दिलाई जाय। मैं समझता हूं कि यह परिस्थिति बड़ी नाजुक परिस्थिति इस देश के लिये है और अगर इसका सुधार नहीं हुआ तो हमारे देश के लिये यह बहुत बड़ा खतरा है।

*श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने वेलफेयर स्टेट के सम्बन्ध में जो भावनायें अपने भाषण में प्रकट की हैं उनके लिये तो मैं उनको बधाई देता हूं, और यह जानना चाहता हूं कि वे विचार कब तक कार्यरूप में परिणित हो जायेंगे? मैंने उनकी बजट स्पीच को पढ़ा तो यह देखा कि वेलफेयर स्टेट की इच्छा तो की गई है, लेकिन उसका कितना प्रतिशत नीचे के तबके पर, मासेज पर खर्च किया जाता है? जितने भी मद इस बजट में हैं वह सब या तो आबपाशी के लिये, या खेतीबारी के बड़े-बड़े कामों के लिये, या बिजली और यातायात के अन्य साधनों के लिये या बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज उनके लिये हैं। यह सही है कि यह सब चीजें वेलफेयर स्टेट बनाने में सहायक होंगी, लेकिन एक वर्ग जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है खेतिहर मजदूरों का, जो सदियों से कुचला हुआ है और जिनके बच्चे आज भी शिक्षित नहीं हैं, फटे चीथड़ों में जो अपनी जिन्दगी बिताते हैं, जिनको खाना नहीं मिलता उनकी ओर ध्यान नहीं है। उनकी हालत मजदूरी की यह है कि हफ्तों गुजर जाते हैं मजदूरी नहीं मिलती। मैं नहीं समझ पाया कि इस बजट के नक्शे में उनका स्थान कहां है, उनको इससे कुछ लाभ कैसे और कहां से हो पायेगा? मैं तो समझता हूं कि यह सारा बजट ऊपर के लोगों के लिये है। मैं, पंडित जवाहरलाल जी ने जो शब्द बाराबंकी में कहे थे उनकी याद दिलाना चाहता हूं कि "आज भी हिन्दुस्तान के अन्दर कुछ ऐसी जातियां हैं जो दूसरे बाकी समाज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लोगों की छाती पर चढ़े बैठे हैं और वही हुकूमत कर रहे हैं और इस सारे समाज को एक्स्प्लायट कर रहे हैं"। तो यदि आज किसी जाति बिरादरी के नाम पर यदि डिस्क्रिमिनेशन किया जाता हो और सब चीजों का इस्तेमाल स्वयं कर लिया जाता हो तो फिर छोटे लोगों के लिये कहां गुंजायश हो सकती है और कैसे जन-कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती है? जहां तक पुलिस और दूसरे विभागों का भी सम्बन्ध है, जितने ऊंचे-ऊंचे स्थान हैं सब ऊंचे तबके के लोग ले जाते हैं और कहने को यह कहा जाता है कि हरिजनों का भी उसमें हिस्सा है। जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि जब हमारी बहू बेटियों की अस्मत लूटी जाती हो, जब हमारे ऊपर कोई ध्यान न दिया जाता हो तो फिर कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कैसी? अभी बुलन्दशहर जिले में मुजफ्फरहसन साहब और धर्मसिंह जी भी गये और वहां उन्होंने उन वाक़यात को देखा और कहा कि वाकई यहां जमींदार लोगों ने हरिजनों को लूटा, खसोटा और मारपीट की और बड़ा जुल्म किया। तो एक तबके की तो यह हालत है और उसके बाद एक समझौता सरकारी तरीके से हुआ। तो एक ओर तो हमारी बहू-बेटियों की अस्मत लूटी जाती हो और दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों की तरफ से, सरकारी नुमाइन्दों की तरफ से समझौता कराया जाय, यह कहां का सोशल जस्टिस है, कहां का सोशल न्याय है? इस तरह से हमारे साथ सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता का व्यवहार नहीं हो सकता है। हमारी बहू-बेटियों की अस्मतें लूटी जाती हैं और बदले में पैसा दे दिया जाय, इस तरह से सामाजिक न्याय की समस्या हल नहीं हो सकेगी। श्रीमन्, कैसे सरकारी आफिसर्स किलक बना लेते हैं। ऐसी हालत में कहा जा सकता है कि जनकल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। वे नम्बरदार और मुखिया के हाथों में खेलते हैं और इस तरह का काम करते हैं।

यहां डिसपेरिटी का सवाल पैदा किया गया। मैं पूछता हूं कि छोटी आय और बड़ी आय में कितना अन्तर है? उस खाई को कैसे पाटा जाय? २ रुपये तनख्वाह या छोटे कर्मचारियों का आधा डीयरनेस एलाउन्स तन्ख्वाह में मर्ज कर देने से डिस्पेरिटी दूर नहीं हो जाती है। बड़ी आय वालों और छोटी आय वालों में तब तक फर्क कम नहीं होगा जब तक कि बड़ी आय वालों को कम न किया जाय। मैं यह नहीं कहता कि उनको नीचे गिरा दिया जाय, लेकिन नीचे वालों को ऊंचा अवश्य उठा दिया जाय। लेकिन मैं देखता हूं कि यह नहीं हो सकता क्योंकि आज सरकारी मशीनरी में वही ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी के लोग हैं और उन्हीं लोगों को फायदा हो सकता है जो या तो उनसे सम्बन्ध रखते हों या जो उनके स्टेट्स के हों। ऐसी अवस्था में कैसे कहा जा सकता है कि जनकल्याणकारी राज्य होगा? जो उद्गार माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में जाहिर किये हैं उनके लिये तो मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और उसी भावना को लेकर हमारे शेडयूल कास्ट कमिश्नर, श्री श्रीकान्त ने जो सिफारिशें की हैं उन पर सरकार को अमल करना चाहिये। दूसरे विभागों में जो पैसा शेडयूल्ड कास्ट के लिये रखा जाता है वह उनके हित में खर्च नहीं किया जाता, ऊपर के लोग दूसरे इस्तेमाल में उसे ले आते हैं। राज्य की आय का पर्याप्त भाग राज्य में रहने वाली पिछड़ी जातियों की संख्या के अनुपात से इन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिये और प्रथम से उसके लिये रुपया रखना चाहिये। अब मैं बतलाना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक हरिजन सहायक बोर्ड बना और कहा जाता है कि वह कस्टोडियन है हरिजनों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिये और उनके लिये पालिसी निर्माण करने के लिये। कहा जाता है कि हरिजनों के लड़कों को वजीफे दिये जाते हैं, निशुल्क शिक्षा दी जाती है। हमारे यहां ३८ लाख बच्चों की तादाद पढ़ने लिखने वालों की है जब कि १२ लाख ही बतलाई जाती है। तो या तो यह गलत है या वह गलत है। मैं समझता हूं कि जो आंकड़े हमारे सामने पेश किये गये हैं वे गलत हैं और हमारे हरिजन सहायक

[श्री जयपाल सिंह]

बोर्ड का जो बजट है वह बहुत ही कम है। पारसाल वह ७५ लाख का था लेकिन अब घटा कर वह ७४ लाख कर दिया गया और १ लाख की कमी कर दी गई। ऐसी अवस्था में मैं यह कह सकता हूं कि शेडयूल्ड कास्ट का जो बजट है उसमें दूसरे आइटम्स को अगर छोड़ दिया जाय तो हरिजनों के लिये कुल मिला कर ५५ लाख रुपया ही है। हरिजन आश्रम और दूसरी संस्थाओं को छोड़ दिया जाय तो एजूकेशन के लिये ४० लाख रुपये के करीब खर्च होते हैं और ३ आने ९ पाई के करीब यह पर कैपिटा आता है जब कि फी आदमी के हिसाब से ४ आने साढ़े ९ पाई पड़ता है। ९० करोड़ के बजट में इस प्रान्त के हर आदमी पर सवा १४ रुपये खर्च होते हैं लेकिन आप देखिये कि हरिजनों के ऊपर कितना पड़ता है। दो रुपये के ही लगभग पड़ता है। तो ऐसी हालत में मैं कैसे कह सकता हूं कि यह लोक-कल्याणकारी बजट है?

अब मैं एक बात और एक मिनट में कह देना चाहता हूं।

पिछले दिनों हमारे यहां हरिजन कार्य क्षेत्र मे किसी काम के लिये एक अनुदान मांगा गया था। वह साढ़े तेईस लाख का था। वह अनुदान की मांग यहां सेक्रेटेरियट में घटा करके ३ लाख की करदी गई। मुझे ठीक मालूम है कि स्कालरशिप के लिये साढ़े ग्यारह लाख की मांग की गई थी जिसे दो लाख कर दिया गया। हमारी जो फाइनेन्स कमेटी है उसमें भी इसकी डिमांड की गई और वहां हमने यह भी कोशिश की कि यह हमारी मांग जैसी है वैसी ही स्वीकार कर ली जाय, लेकिन सेक्रेटेरियट ने नहीं माना और उसमें भी कमी की गई है। तो मैं समझता हूं कि यह हमारा कल्याण होने की बात नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

†श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट को और उसके विषय में दिये गये भाषण को देखने और पढ़ने के बाद मुझे फिर एक बार निराशा हुई। जनरल एलेक्शन के बाद यह चौथा बजट यहां पेश किया गया और जिस तरह पिछले सालों में मायूसी हम लोगों को हुई है उसी तरह इस साल भी हुई। सोशलिस्ट पैटर्न का नारा लगा कर मैं समझता हूं कि पाखंड पूर्ण प्रवंचना के क्षेत्र में हम सब को उतारने की कोशिश की गई है। मैं मुख्य मंत्री जी से इस बात की अपील करूंगा कि जो काम उनसे हो सके उसे वह करें, लेकिन जो काम उनसे न हो सके, जिस शासन प्रणाली को लेकर वह चल रहे हैं और वह प्रणाली जिस सामाजिक व्यवस्था पर आधारित है, उसके चलते हुये जो काम वह कर ही नहीं सकते, उसका नारा दे करके जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश उन्हें नहीं करनी चाहिये। सोशलिस्ट पैटर्न का नारा पं० नेहरू ने चीन से लौटने के बाद दिया। जहां तक मुझे याद है सब से पहले उनका भाषण पार्लियामेंटरी पार्टी मीटिंग दिल्ली में हुआ था। उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया था और आवदी कांग्रेस के प्रस्ताव के बाद इसका चर्चा देश में और प्रदेश में आमतौर पर हो रहा है। लेकिन इस विषय में जो प्रस्ताव आवदी कांग्रेस में पेश हुआ था उसको पेश करते हुये मौलाना आजाद ने जो भाषण दिया था और उस के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष, आज के अध्यक्ष, जिस प्रकार उसकी व्याख्या देश के कोने-कोने में करते फिर रहे हैं उसको देख कर अब किसी को यह भ्रम नहीं रह गया है कि यह सोशलिस्ट पैटर्न का नारा और वेलफेयर स्टेट की बात केवल भ्रामक और एलेक्शन स्टंट मात्र ही है। क्योंकि सोशलिस्ट पैटर्न के आधार पर समाज को बनाने की कुछ पूर्व आवश्यकतायें होती हैं जिनकी ओर सरकार का पहले ध्यान जाना चाहिये था। केवल दो रुपया निम्न कर्मचारियों का वेतन बढा देने से काम नहीं चलेगा। मैं तो मुख्य मंत्री जी से विनती करूंगा और विशेषकर जब वह यहां बैठे हुये हैं कि मुझे तो इस बात से बड़ी निराशा हुई और हम आशा करते थे उनसे, जिन्होंने कि समाजवाद पर पुस्तक लिखी है, कि उनके मुख्य मंत्रित्व में इस उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी बातें होंगी, इस बजट में कुछ ऐसी बातें होंगी कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिन से कि नीचे की जनता के हृदय में कुछ रोशनी आती और वह समझती कि हां, कुछ बेहतरी होने जा रही है। केवल एक ओर बीस के अनुपात के, १ और १३ के अनुपात के आंकड़े पेश करके यह भ्रम फैलाने की कोशिश, मैं समझता हूं कि गलत है।

हमारे सूबे में जो सरकार है उसकी जो आमदनी है उस आमदनी से जिन कर्मचारियों को या जिनको तनख्वाहें दी जाती हैं, चाहे वह राज्य का चौकीदार हो जो सब से कम तनख्वाह पाता है, या राज्यपाल महोदय हों, उनके वेतन में अगर हम अन्तर देखें तो एक और ग्यारह सौ का कम से कम है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस विषमता को दूर करने का कोई स्पष्ट कदम उठाया गया है? क्योंकि एक कर्मचारी की ५०० रुपया स्टार्टिंग पे है, और एक चपरासी की २५ रुपया स्टार्टिंग पे है, इन दोनों की तुलना करके यह भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है और इस विषय में माननीय परिपूर्णानन्द जी ने चीन का जिक्र किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चीन में राष्ट्रपति की तनख्वाह हिन्दुस्तानी सिक्कों में ६०० रुपया है। वहां के मिनिस्टर की तनख्वाह केंद्रीय सरकार के, हिन्दुस्तानी सिक्कों में ४५० रुपया है, और वहां के हाई कोर्ट के जज की तनख्वाह हिन्दुस्तानी सिक्कों में ३५० रुपया। वहां के निम्नतम कर्मचारी की तनख्वाह हिन्दुस्तानी सिक्कों में १५० रुपया है, डिसपेरिटी हटाने की यही कोशिश है, एक और चार का अन्तर न रहे बहुत सुन्दर है, लेकिन एक ठोस कदम तो उधर को उठाया गया है। हमारे माननीय परिपूर्णानन्द वर्मा जी ने इस बात की भी चर्चा की कि चीन में बेकारी है। मैं उपाध्यक्ष महोदय आपके द्वारा कहना चाहूंगा कि चीन में बेकारी का हल करने के लिये उन्होंने ११ करोड़ ७५ लाख एकड़ जमीन अपने शासन के दो साल में बांट करके बेकारी के ऊपर सबसे बड़ा मर्माघात किया। उसके बाद २२ लाख शहरातियों को बेकारी में काम दे करके उन्होंने उस समस्या को काफी दूर तक हल किया। लेकिन फिर भी अगर आज कोई दावा करे कि चीन में कोई भी ६० करोड़ में बेकार नहीं है, यह ठीक नहीं है। लेकिन जो बेकार हैं उनको २५ सेर चावल प्रति मास भोजन के लिये दिया जाता है उनके आश्रितों को १० सेर अगर बालिग हैं, और ५ सेर अगर नाबालिग हैं। मैं समझता हूं कि यह हमारे लिये एक सबक होना चाहिये, मैं कहता हूं कि बेकारी हल करने के लिये वह आगे बढ़े। हमें आशा थी माननीय मुख्य मंत्री जी से, जो समाजवाद के लेखक रहे हैं, कि वे इस बात का ऐलान किये होते कि जमीन का बंटवारा होगा फिर से जिससे देहात में फैली हुई बेकारी, जो सरकार की विकास योजनाओं के चलते हुये बढ़ती जा रही है। और मैं कहता हूं चकबन्दी आने दीजिये ५,७,१० वर्ष में लागू हो जाय, तो जो बेकारी फैलेगी वह सरकार को भस्म कर देगी, इसलिये कि जो बड़े-बड़े भूस्वामी होंगे वे ट्रैक्टर मंगायेंगे और जो हरिजन बिरादरी है जिनमें खेतिहर मजदूर अधिक हैं वे बेकार होंगे। आज ही सिंचाई की योजनाओं की वजह से बेकारी बहुत बढ़ी है। आप हरिजन बस्तियों को देखिये मैं कहता हूं कि मंत्री लोगों को छोड़ दीजिये, लेकिन जो माननीय सदस्य, जिनका संबंध देहातों से है वे देख सकते हैं कि आज हरिजन बस्तियों में बच्चे, मर्द और औरतें बिलबिलाते फिर रहे हैं, उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है।

माननीय परिपूर्णानन्द जी ने इस बात का जिक्र किया कि चीन में जो सरकार की आमदनी है उसमें ज्यादातर आमदनी सरकारी उद्योगधंधों से होती है। मैं आपके सामने सोवियट यूनियन के बारे में आंकड़े देना चाहता हूं। इस वर्ष सोवियट यूनियन की आय ५६२ अरब रुबल है जिसमें ५०० अरब रुबल केवल सरकारी उद्योगधंधों से होने वाली है और असमाजवादी आर्थिक व्यवस्था में यही आमदनी कुछ आदमियों की पाकेट में चली जाती है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं उन्होंने हमारे प्रदेश में जो व्यक्तिगत पूंजी है और जो अर्थ तंत्र के ऊपर हावी है, चाहे देश की हो या विदेश की हो, उसको कंट्रोल करने का उस पूंजी को एक व्यक्ति के हाथ में न जाने देने के लिये कौन सा कदम उठाया है? समाजवाद टैक्सों के बढ़ाने से नहीं आयेगा। सोवियट यूनियन, में, इतना सब लोग मानेंगे, कि समाजवादी समाज की रचना करने की उन्होंने चेष्टा की। वहां १.५ परसेंट उनकी पूरी नेशनल इनकम आय केवल टैक्स से ही होती है और वह इस साल १.२ रह गई है। दिन प्रति दिन टैक्स कम होते जा रहे हैं। सरकारी आय अन्य प्रकार से बढ़ती जा रही है। यही हालत उपाध्यक्ष महोदय, चीन में भी है। चीन की सरकार की आमदनी भी अगर सन् १९५० में १०० मानी जाय तो सन् १९५४ में ३५५-६९

[श्री झारखंडे राय]

हो गई और उसमें जो पब्लिक सेक्टर है, सोशलिस्ट सेक्टर है वह हर साल बढ़ता गया। मैं इतना ही कहूंगा कि इस तरह उनकी आमदनी का मुख्य जरिया जनता के ऊपर टैक्सों से नहीं है। जैसा कि इन बजटों से हमें दिखाई देता है, बल्कि वह अपने यहां कल कारखाने बढ़ा करके और जो पब्लिक सेक्टर है उसको बढ़ाकर के जो प्राइवेट सेक्टर है उसको स्क्वीज आउट करके, तब आमदनी बढा रहे हैं और मैं समझता हूं कि यही हमारे लिये भी उचित रास्ता होगा। सोशलिस्ट पैटर्न का नारा लगा देने वाले लोगों से हम कहना चाहते हैं और खासकर माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि अब भी समय है, वह सोच सकते हैं कि क्या उनके समाजवादी सिद्धांत के मुकाबिले, क्या उसके सामने किसी प्रकार इसका मेल बैठता है, क्या उससे यह मेल खाता है। मैं अपील करूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी से कि एक बार वह फिर सोचें। उसी पुराने ढर्रे पर बजट बनाकर के सोशलिस्ट पैटर्न पर जो सोसाइटी बनाने की कल्पना है, वह कल्पना मात्र ही सिद्ध होगी।

*श्री मदनमोहन उपाध्याय--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय झारखंडे राय जी ने कहा मुझे भी जब माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण मैं सुन रहा था तो बड़ी निराशा सी हुई। और इसलिये हुई कि आवदी कांग्रेस में एक प्रस्ताव पास हो गया था कि अब हिन्दुस्तान का ढांचा सोशलिस्टक पैटर्न का होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि इस बजट में सोशलिस्टक पैटर्न की बात बिलकुल भी नहीं रखी गई है और मैं यह समझता हूं कि एक छोटी सी बात हमारे चपरासियों की दो रुपया तनख्वाह बढ़ाने और पुलिस के कांस्टेबिलों को ४ रुपया खुराक के लिये देने भर से अगर इसको समाजवादी कहा जा सकता है तब तो फिर वह समाजवाद वही हुआ जिसकी कि कल व्याख्या माननीय रामनरेश शुक्ल जी कर रहे थे। उनका कहना था कि सोशलिस्ट पार्टी यह कहती है कि उनका समाजवाद जो है उसी समाजवाद को हम मानें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह राय दूंगा माननीय रामनरेश शुक्ल जी को कि वह जो उनका अपना समाजवाद है उसको पेटेंट करवा लें, कलकत्ते में जाकर रजिस्टर्ड करवा लें ताकि हम उनके समाजवाद को न ले पायें और अगर लें तो हम पर मुकदमा चले। हमारा समाजवाद जो है उसकी एक परिभाषा है उसकी एक निश्चित रूपरेखा है और माननीय मुख्य मंत्री जी तो हमारे समाजवाद के बड़े विद्वान हैं, उनकी विद्वत्ता की तो हम सब कद्र करते हैं। पर जब हम इस सदन के अन्दर ऐसे-ऐसे लोगों को समाजवाद की व्याख्या करते देखते हैं जैसे कि हमारे लक्ष्मीरमण आचार्य जी हैं, उन्होंने समाजवाद की क्या व्याख्या की कि मुख्यमंत्री ही स्टेट है। तो जब ऐसी-ऐसी व्याख्या समाजवाद की हमें सुनाई जायं, और माननीय शिवमंगल सिंह जी भी बोले समाजवाद पर, उन्होंने कहा कि हम समाजवाद की तलाश में लगे हुये थे समाजवाद के हाथी को ढूंढ़ रहे थे। कुछ अन्य लोग समाजवाद के हाथी को ढूंढ रहे थे। तो किसी ने उसकी टांग पकड़ी, किसी ने उसकी सूंढ पकड़ी, और किसी ने उसके कान पकड़े, मगर बदकिस्मती से माननीय शिव मंगल सिंह जी उसकी दुम पकड़ पाये और उस दुम को पकड़कर वह सोचने लगे कि यह किसी हाथी की दुम है या किसी गधे की? और फिर उन्होंने समझा कि किसी गधे की दुम होगी। तो समाजवाद का जो हाथी है वह तो सामने खड़ा हुआ है। उसको कोई ढूंढने की जरूरत भी नहीं थी। मगर सब हमें समाजवाद की व्याख्या सिखलाने लगे। माननीय मुख्य मंत्री जी समाजवाद के विद्वान हैं। वह इसको अच्छी तरह समझते हैं। मैं मान सकता हूं जैसा कि नारायणदत्त जी ने कहा कि समाजवादी व्यवस्था करना हमारी स्टेट गवर्नमेंट का ही काम नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी काम है। हमारे पास कमियां हैं। मगर हम आशा करते थे कि एक स्पेक्टकुलर चीज इस बार होगी, बजट पेश होने के बाद मालूम होगा कि हां समाजवाद आ रहा है। अभी थोड़े दिन हुये कि जब कि मुख्य मंत्री पंडित गोविन्द बल्लभ पंत जी की विदाई हुई थी तो एक दावत दी गई। उस दावत में हमारे यहां के सारे चपरासी से लेकर बड़े से बड़े आई० सी० एस०, पी० सी० एस० अफसर, और सब एम० एल० ए० और एम० एल० सी० सब एक साथ शरीक हुये। उस दिन एक हवा थी कि यह सोशलिस्ट की सी बात कैसे हो गयी? लोगों को हुआ कि अब तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समाजवाद आ रहा है। तो इसी किस्म की अगर कोई चीज होती तो हमें बड़ी खुशी होती। समाजवाद तब स्थापित हो सकेगा जब कि हमें कुर्बानियां करनी पड़ेंगी। हमारे बड़े-बड़े जो अफसरान हैं, जो कि बड़ी-बड़ी तनख्वाहें पाते हैं वह यह कहते हैं कि विधान के जरिये, हमारी तनख्वाहें सुरक्षित हैं, इसे कोई बदल नहीं सकता। तो जब तक यह चीज नहीं मिटेगी तब तक कोई सुधार नहीं हो सकता। कभी पुलिस का सिपाही, चपरासी एक जगह कहीं ड्यूटी पर जाता है तो थर्ड क्लास का किराया मिलता है। साथ में बोरिया बिस्तर और फाइल होती है, मगर खूराक के लिये केवल ३ आने मिलते हैं और जो हमको डयोढ़ा मिलता है वह भी उसको नहीं मिलता है, क्या यही समाजवाद का नक्शा है? जहां तक आंकड़े वगैरा की बातें हैं, मैं कहीं भूल न जाऊं, एक बात कह दूं कि कल माननीय परिपूर्णानन्द के मुख से आंकड़े आ रहे थे, उनको सुनकर मैं बड़ा खुश था कि कम से कम एक व्यक्ति ऐसे हैं जो आंकड़ों पर कंट्रोल रखते हैं और जिस तरह से कि वह आंकड़े कहे गये, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह ख्याल हुआ क्या वास्तव में जो वह आंकड़े कह रहे हैं वह सच हो सकते हैं? क्या इतना उनका दिमाग भरा हुआ है कि इस प्रकार धारा प्रवाह वह कहते चले जाते हैं? खैर मैं उनकी सत्यता को तो नहीं जानता हूं, उसके लिये तो नारायणदत्त जी और वह आपस में लड़ लें, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि माननीय परिपूर्णानन्द जी का जो विद्वतापूर्ण भाषण हुआ, अगर वह आंकड़े सच है, एक दफा माननीय मुख्य मंत्री जी टेस्ट कर लें, अगर सत्य है तो जो हमारा इकोनामिक्स और स्टेटिस्टिक्स का डिपार्टमेंट है वह तोड़ दिया जाय और वहां पर केवल एक स्पीच रिकार्ड करने वाली मशीन रख दी जाय और माननीय परिपूर्णानन्द जी को बैठाकर उनके सारे जीवन के जितने स्टेटिस्टिक्स हैं वह उसमें रिकार्ड हो जायं ताकि वह फ्यूचर में काम आ सकें, तो इससे एक बड़ी समस्या हल हो जायगी। तो आंकड़े के जाल में और स्टेटिस्टिक्स में फंसने के मैं बिलकुल खिलाफ हूं। बड़ी लम्बी चौड़ी दास्तान दी गयी कि इतनी सड़क बन गयी, इतना श्रमदान ने काम कर लिया और न जाने क्या-क्या। मालूम होता था कि उत्तर प्रदेश को स्वर्ग बना लिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझ नहीं पाया कि अगर यह हो भी गया तो भी उत्तर प्रदेश ने कितनी तरक्की कर ली। कहा जा रहा है कि सड़कें बन गयी, इतने पुल बन गये, नहर बन गयी, सारी चीज बन गयीं, तो अगर सारी चीजों का बनना ही समाजवाद की स्थापना है तो मेरे ख्याल में अमेरिका फिर सब से बड़ा सोशलिस्टिक कंट्री है। वहां पर भी अच्छी अच्छी सड़कें हैं, हवाई जहाज हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन उसको कोई समाजवादी मुल्क नहीं कहा जायगा। समाजवाद केवल आंकड़ों के बल पर नहीं हो जाता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्या बताऊं समाजवाद के बारे में, समय बहुत कम है .....

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—शिवनारायण जी कह रहे हैं कि कुछ लोगों को रोशनी में दीखता नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—जी हां, कल शिवमंगल सिंह जी का भाषण सुनने के लिये कबूतर भी आ गये थे बिना इजाजत के कि रोशनी बहुत हो रही है। तो मैं नये मुख्य मंत्री जी के सामने क्या बात करूं समाजवाद की। उपाध्यक्ष महोदय बहुत से लोग उधर के कहते हैं कि समाजवाद यहां हो गया, हमने भी सोशलिस्टक पैटर्न रख लिया आप हमारे साथ आइये। बहुतों को तो डर हो गया है कि अगर सचमुच में सोशलिज्म आ गया तो कहीं बदकिस्मती से उधर के लोग यहां आ गये तो हमारी जगह छीन ली जायगी, यह भी खतरा है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि माननीय लक्ष्मीरमण जी और रामनरेश जी को कि अगर यह ख्याल हो कि जब दोनों एक चीज में विश्वास करने लगें तो उधर की सारी पार्टी इधर आ गयी और मेल हो गया तो उनकी जगह छीनने वाले हम नहीं हैं, क्योंकि हम उनसे ऊंची जगह पायेंगे ताकि वह अपनी जगह पर बराबर रहें। वह हमें समाजवाद सिखायेंगे।

मुख्य मंत्री जी से एक शिकायत है। आपके बजट में मैंने देखा कि ५०० प्राइमरी स्कूल खोले जायंगे और शिक्षा में भी उन्नति की जायगी। लेकिन मैं उनसे यह भी कहना चाहता

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

हूं कि जब मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री थे तो उनके समय में हजारों स्कूल खोले गये और कहा यह गया था कि प्रत्येक को एक-एक हजार रुपया अनुदान देंगे। वह रुपया अभी तक नहीं दिया गया और आज तक भी हमारे पास लोग आते हैं कि वह एक-एक हजार रुपया हमको दिला दीजिये, हमें अभी तक नहीं दिया गया जो देने के लिये कहा गया था। तो पहले उन रुपयों को पूरा कर दीजिये, तभी जनता में आप विश्वास प्राप्त कर सकते हैं और श्रमदान का काम भी तभी पूरा हो सकता है।

इंडस्ट्रियल पालिसी के बारे में भी कुछ कहना चाहता था। आज मैं देख रहा हूं कि कुमायूं में कोई डेवलपमेंट बोर्ड कायम हो रहा है और वहां का भी डेवलपमेंट होने वाला है। मैं सरकार से कहूंगा कि कुमायूं के डेवलपमेंट की बात मैं अखबारों में पढ़ रहा हूं, वह इस बात का ख्याल रखें कि कुमायूं के जो लैन्डलेस लोग है जो कि लाखों की तादाद में हैं, उनके पास जमीन नहीं है। पहाड़ के हर एक हिस्से को खोद डालिये तब भी कुमायूं डेफिसिट ही रहेगा। इसलिये उनके लिये जगह प्लानिंग में भी रहे, उनका अवश्य ख्याल माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। बाकी इंडस्ट्रियल पालिसी पर जब एक-एक अनुदान आयेंगे तो उस समय में अपने विचार प्रकट करूंगा।

श्रीमती लक्ष्मीदेवी (जिला हरदोई)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज तीसरा दिन है इस वर्ष के बजट पर आम बहस होते हुये और मैं देखती हूं कि बजट राज्य का एक आईना होता है उसमें राज्य की तरक्की का पूरा-पूरा इजहार होता है। आज हमारा यह चौथे साल का बजट हर तरीके से एक उन्नतिशील बजट है और सारे प्रोग्राम जनता के कल्याण के इसमें निहित हैं, जितनी भी उन्नति की बातें हो सकती थीं वह सब इसमें मौजूद हैं। लेकिन हमारे उस तरफ के बैठने वाले भाइयों को पता नहीं क्यों इस समाजवादी बजट के नाम से परेशानी हो रही है। मैं अपने लिये यह तो नहीं कह सकती कि मैं बजट के विषय में पारंगत हूं। लेकिन जो कुछ हमने इसमें देखा और समझा है उससे यह साफ जाहिर है कि दुनिया के सामने हमारे सूबे का बजट कितना अच्छा और सुन्दर कहा जा रहा है यों तो किसी भी चीज की नुक्ताचीनी करने में ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिनसे खामियां दिखाई देती हैं।

आज हमारे देश में सड़कों की उन्नति हो रही है, नहरों की उन्नति हो रही है और ट्यूबवेल बन रहे हैं और जितने जनता के कल्याण के कार्य शुरू हुये हैं वह सब प्रशंसनीय हैं और इसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं। लेकिन इतना सब कुछ होते हुये भी जो राज्य की जरूरतें हैं वह सब एक दम पूरी नहीं हो सकती हैं। हमारा देश उस समय जर्जर हो चुका था, इसकी गलियां तक खराब हो चुकी थीं सड़क की बात तो दूसरी है। आज इस देश को बनाने में कितने समय और वृद्धि की जरूरत है यह सब महसूस करते हैं और हमारे देश में कोई चीज शेष नहीं रह गई थी जिसको लेकर हम राहत पाते। ऐसे उजाड़ और जर्जर देश को बनाने में सरकार ने काफी प्रयास किया है जो काबिले तारीफ है और हिम्मत की बात है। मैं समझती हूं कि इसमें दो रायें नहीं होंगी कि यही सरकार ऐसी थी जिसने अपने कंधे पर बोझा उठाकर देश को आगे ले जाने का इतनी खूबी के साथ काम किया है।

मैं अब एक बात माननीय मुख्य मंत्री जी के सम्मुख रखना चाहती हूं कि हमारे राज्य का अभी आधा अंग ऐसा है जिसमें चेतना नहीं आई है और वह हमारा नारी समाज है। इसकी शिक्षा के लिये और जो हकूक इसे मिले हैं उनको यह ठीक तरह से बरत सके इसकी अभी चेतना नहीं आई है, उसमें सरकार का प्रयत्न होना चाहिये। सामाजिक व्यवस्था में जो स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड बना है उसके अन्तर्गत इस बात का प्रयत्न होना चाहिये इसमें जितना रुपया रखा गया है उससे कोई काम ऐसा नहीं हो सकेगा जिससे इतनी बड़ी नारी संख्या को राहत मिल सके। इसलिये किसी न किसी प्रकार से माननीय मुख्य मंत्री जी को इस कार्य को पूरा करने की ओर ध्यान देना चाहिये।

अब मैं एक बात यह कहना चाहती हूं और शायद यह मेरे निवेदन करने का चौथा वर्ष है कि मेरी कांस्टीटुएंसी संडीला जिला हरदोई में अभी तक कोई भी उन्नति का कार्य नहीं हो सका है मुझे वहां जाने में शर्म आती है। वहां न सड़क बन सकी है और न कोई ऐसा काम हो सका है जिससे जनता को शिकायत न हो कि राजस्व से पूरा-पूरा रुपया सब जगह को बराबर नहीं मिलता है। वहा कोई काम क्यों नहीं शुरू किया गया है ? मेरे हरचन्द कोशिश करने पर बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा अस्पताल बना और कई बार मंत्री महोदय से मैंने प्रार्थना की कि कुछ ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाय जिससे वह अस्पताल चलता रहे। वहां से दस मील तक कोई और अस्पताल नहीं है और स्त्री, पुरुष तथा बच्चों की दवाई दारू का कोई प्रबन्ध नहीं है। लेकिन कोई मदद नहीं दी गई जिससे जनता की शिकायत मिट सके।

शिक्षा की बाबत ऐसा है कि लड़कियों की शिक्षा पर कम ध्यान दिया जाता है जो ठीक नहीं है। इधर सरकार को ध्यान देना चाहिये। इधर ध्यान नहीं देते हैं तो राज्य की उन्नति की बात जब सामने आती है तो इसमें थोड़ी सी कमी नजर आती है .....

(इस समय ३ बजकर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

हर मंत्री जी ने और मेम्बरों ने देखा होगा कि आज कल जो कोढ़ियों की जमात सड़कों पर लगी रहती है वह बहुत ही चिन्तनीय है क्योंकि यह एक ऐसा रोग है जो संक्रामक है। इसके लिये तो एक ऐसी जगह बना दी जाय जहां उनके खाने-पीने और रहने के लिये माकूल इन्तजाम हो सके और उन्हें मजबूर किया जाय कि सड़कों पर न बैठें। इसके लिये जनता तैयार है कि उसके ऊपर एक्सट्रा टैक्स लगा दिया जाय, लेकिन उनके लिये जरूर ऐसा इन्तजाम हो जाये। एक तो यह देखने में भी बुरा लगता है और दूसरे लोग भी ऐसे हैं जिससे और भी फैलने का अन्देशा रहता है।

गांवों की स्थिति ऐसी है कि वहां पर समुचित तरीके से अभी ऐसा प्रबन्ध नहीं हो सका है कि वहां की जो तकलीफें हैं, जैसे बहुत जगह तो ऐसा है कि अभी आब-पाशी का भी पूरा इन्तजाम नहीं हो पाया, क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी दोनों तरफ के जिलों के झगड़े में बीच का हिस्सा ऐसा रह जाता है कि उसकी कहीं आवाज नहीं उठाई जाती है। पूर्वी और पश्चिमी जिलों की ही चर्चा हाउस में सुनने में आती है। तो मेरा सुझाव माननीय मंत्रियों से यह है कि बीच के हिस्से की तरफ अगर वे निगाह डालें और उस पर ध्यान दें तो अच्छा हो क्योंकि दूसरों के साथ उसका एक हक मारा जाता है। यह हमारे मन्त्रियों के लिये अनुचित बात होगी।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्तुत आय-व्ययक है उस पर कई प्रकार के मत भवन में व्यक्त किये गये हैं। इस भवन में कुछ लोगों का यह कहना था कि सम्पूर्ण समाजवाद इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है और इस लिये किन्हीं-किन्हीं सदस्यों ने यह भी कहा कि यह तो एक ढोंग सा है। लेकिन सम्भवता वे इसे स्मरण करेंगे कि कांग्रेस ने जितने वादों को पिछले वर्षों में किया था उनको हर एक को उसने पूरा किया है। प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में यह सिद्धान्त सर्वविदित है कि जो प्रगति होती है वह धीरे-धीरे होती है लेकिन स्थायी रूप से होती है। मैं राजेन्द्र बाबू के शब्दों का यहां स्मरण दिलाता हूं। उन्होंने यह कहा था कि "कोई भी व्यवस्था हो वह एक मरी हुई सी चीज होती है जिस तरह से एक मशीन है, लेकिन वास्तव में उसका प्राण उसके संचालक हैं और यदि वे ईमानदार हुये और उन्होंने राष्ट्र के दृष्टिकोण से हर एक चीज को देखा तो एक त्रुटि और दोषमय विधान से भी हम अच्छा काम कर लेंगे।" आज हमारे देश में ईमानदार व्यक्तियों की आवश्यकता है। इस बजट में इतनी धनराशि रखी गयी है लेकिन हमें एक बात की प्रसन्नता है कि कोई कर वृद्धि नहीं की गयी है। लेकिन इसके साथ ही हम यह देख रहे हैं कि कर वृद्धि न होते हुये भी यह कहा जा रहा है कि इसमें ऋण लिया गया है। लेकिन रचनात्मक कार्य

[श्री रामजी सहाय]

में हमें ऋण लेना ही पड़ेगा जैसा कि माननीय सदस्यों ने अपने बहुत से तर्कों और आंकड़ों से सिद्ध किया कि दूसरे देशों ने भी इस तरह से कार्य किया है। अपने रचना के काल में। लेकिन जिस तरह से एक साधारण वस्तु से एक कुशल गृहणी अच्छा व्यंजन प्रस्तुत करती है उसी तरह से यदि हम जो धनराशि देते हैं उसका हमारे कर्मचारी सदुपयोग करें तो उससे बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। यह सही है कि इसमें रेखा समाजवाद की या उस प्रकार के समाज की रचना की नहीं मिलती है लेकिन अगर आज इस बात का पूरा ध्यान रखें तो आप देखेंगे कि हमें जो सब से पहला काम प्रारम्भ हुआ है उस रेखा की तरफ, उस स्वर्ण भवन के निर्माण के लिये उसका पहला संकेत एक वेतन वृद्धि का इसमें आया है। तथा दूसरा संकेत अशरण-शरण-गृह के रूप में आया है। यह ऐसी छोटी-छोटी चीजें प्रारम्भिक हैं। लेकिन एक चीज हम इस परिस्थिति में कर सकते हैं, वह अधिकतम खेतों की जोत पर प्रतिबन्ध लगाकर या अधिकतम वेतन को निश्चित करके, हम यह चीज साधारण रूप से जिस अवस्था में हम हैं, ला सकते हैं। सुधारकों की आवश्यकता है जैसा कि विवेकानन्द जी कहा करते थे। लेकिन वह दूसरों को सुधारने के लिए नहीं, स्वयं अपने को सुधारने के लिए। इस तरह से यदि हम अपना आत्मनिरीक्षण करें और हर जगह हर समय इस दृष्टि से गौर करें तो हमारा विश्वास है कि हमारे राज्य की कार्यक्षमता अवश्य बढ़ेगी। और इसके लिए हमें भ्रष्टाचार निवारिणी समितियों को सजग सजीव करना पड़ेगा। उनके आर्थिक आय-व्यय तथा रहन-सहन पर ध्यान रखना पड़ेगा। जो हमारे अधिकारी हैं, और दूसरे कार्यकर्ता हैं यहां तक कि सरकारी बेंचों पर जो लोग बैठे हैं वह अपनी आत्म-निरीक्षण की दृष्टि को रखें। इस तरह से हम हर एक के जीवन पर ध्यान दें कि इसमें कहीं भ्रष्टाचार का प्रवेश न हो तो मैं समझता हूं कि इसमें हमें कोई अवरोध नहीं होगा। इस दृष्टिकोण से अगर हम इन चीजों को ले सकें तो हम देखेंगे कि जितना भी हमारे पास धन है उसका हम एक सच्चा सदुपयोग कर सकते हैं और हम आशा करते हैं कि इस दिशा में हमें मार्ग दर्शन मिलेगा।

मैं सरकार का ध्यान गन्ना उत्पादकों की तरफ दिलाता हूं। मैं उनके भावों पर नहीं वरन् केन कमिश्नर के उस आदेश की ओर जिसके अनुसार तीन वर्षों का अनुपात निकाल कर जो औसत आता है उससे गन्ने की सप्लाई पुर्जियां दी जा रही हैं। उसका नतीजा यह है कि हमारे यहां जो गरीब किसान हैं, जो पिछले सालों में पुर्जियां प्राप्त नहीं कर सके, जैसा कि श्रीमान् जानते हैं जो आज समर्थ व्यक्ति हैं वह आसानी से पुर्जियां ले लेते हैं और इस तरह से उन्होंने पुर्जियों को ले कर दूसरों के गन्नों को अपने खातों में जब गिरवाया तो उनका अनुपात ऊंचा आया और यहां तक वहां औसत आया है कि एक किसान को हमने देखा एक एकड़ में १२ मन गन्ने का अनुपात आया और दूसरे का ५ सौ मन का अनुपात आया। परिणाम यह हुआ कि जो गरीब साधनहीन है पैसा नहीं दे सकता है, उस किसान का गन्ना वहां खड़ा है। आज यह कहा जाता है कि चीनी का उत्पादन घट रहा है। हमारे प्रदेश में जो ईख का उत्पादन इस वर्ष प्रकृति की कृपा से बढ़ गया है अगर उसका ठीक से प्रबन्ध नहीं किया गया तो पिछले दिनों की भांति आपको गन्ना जलाना पड़ेगा। इस तरफ हमारी सरकार का ध्यान अवश्य जाना चाहिये।

नियोजन के बारे में बड़े कार्य किये हैं और यह भी कहा जाता है कि जन सहयोग की उसमें आवश्यकता है। लेकिन मैं आपसे बताऊं कि इस पर अमलों का असर जोरदार हो रहा है। मैं स्वयं जहां रहता हूं वहां एक एन० ई० एस० ब्लाक है। मैं चाहता था कि मैं उसमें भाग ले सकूं। लेकिन आज तक मुझे उसमें आमंत्रित नहीं किया गया और विकास योजना में इत्तफ़ाक से यह समझा गया कि हर एक को अधिकार देना चाहिए। अतः वहां के जो वी० एल० डब्लूज० हैं उन्हें गांव पंचायत का सेक्रेटरी भी

बना दिया गया है। वह पंचायत भ्रष्टाचार में जाकर सम्मिलित हो गये, उनका जो वास्तविक कार्य था वह अलग हो गया। इस चीज को उनसे अलग करने की अति आवश्यकता है।

मैंने देखा कि जो सरकार ने यह घोषणा की कि इस प्रदेश में गौकशी बन्द की जायगी हर तरह की उसमें रायें व्यक्त हुईं। लेकिन यह चीज आज से पहले हो जानी चाहिये थी। लेकिन उसके साथ जो मैंने टटोला कि सचमुच गोवध निषेध हो सकेगा तो मुझे मालूम हुआ कि वह शायद असम्भव है। इसलिये कि जब हमने गोसदनों की अवस्था देखी, कुछ पन्नों को उल्टा, तो मुझे केवल नैनीताल और इटावा में ही कुछ संकेत मिला। श्रीमन्, आप जानते हैं कि प्रदेश में और खास कर पूर्वी जिलों में, मुझे दूसरे जिलों का अनुभव नहीं, एक चप्पा भी ऐसी भूमि नहीं रह गयी है जहां जानवर जा कर खड़े हो सकें। तब इन अशक्त पशुओं का रक्षण कैसे सम्भव होगा? उस तरह से आपको गोसदनों की जिम्मेदारी जो है वह हर एक जिले में उठानी पड़ेगी। तभी यह सम्भव हो सकेगा कि हम गोरक्षा के सम्बन्ध में आगे बढ़ेंगे। हमारे कृषि मंत्री ने जो बन्दरों इत्यादि के बारे में नारा दिया उसके विषय में हम उनका स्वागत करते हैं। यदि इस तरह से हम अनावश्यक उपद्रवी जीवों को यहां से नहीं हटायेंगे तो अन्य जो ये जानवर हैं उनको हम आश्रय नही दे सकेंगे। यह इस तरह की चीज है जिसका हटाना जरूरी है।

इसी प्रकार से मैं शिक्षा के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। आज हर जगह स्कूल खुल रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं हमने देखा कि जहां जहां पर बालकों के स्कूलों का इन्तजाम करने वालों ने गबन किया और यह साबित हुआ कि भ्रष्टाचार हुआ है तो इस चीज के साबित होने पर भी उनके विरुद्ध किसी तरह की विभागीय कोई बात नहीं की गयी। न उनको दण्ड दिया गया और न उन पर कोई ध्यान रखा गया। आप देखेंगे कि इससे अराजकता फैलती है, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। कुछ पेशेवर लोग हैं जो यह स्कूल चलाते हैं और वह अपने व्यक्तिगत लाभ के लिये इनको स्थापित करते हैं। श्रीमन्, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कुछ लोग राजनैतिक पीड़ित हैं। मैं कुछ को व्यक्तिगत भी जानता हूं जो वास्तव में राजनैतिक पीड़ित भी नहीं हैं, लेकिन उनके लड़के सरकार से इसी कारण सहायता पाते हैं और जो वास्तव में राजनैतिक पीड़ित हैं वह सरकार की सहायता से वंचित हैं। इसी प्रकार से अगर यह चीज आगे बढ़ेगी तो हमारा किसी तरह से कल्याण नहीं हो सकेगा। मैं उद्योग को भी देखता हूं कि उसमें काफी पैसा रखा गया है। पिछले वर्ष से लगभग दूना रुपया उसमें रखा गया है। उसमें अनुदान जो सहायता के लिये रखा गया है वह ५ या ७ लाख का है, लेकिन मैं इसके लिये सरकार को सतर्क कर देना चाहता हूं कि जो पेशेवर लोग हैं वे उद्योग के नाम पर सरकार से पैसा लेते हैं मगर उसको उसमें नहीं लगाते हैं। इनकी ओर ध्यान नहीं रखा गया। यदि ठीक प्रकार से इन लोगों पर नियंत्रण नहीं रखा जायगा और कम से कम उनके उत्पादन पर आप ख्याल नहीं करेंगे तो देश को लाभ नहीं हो सकता है। इस चीज को जहां जहां पर यह कमी है, उसको कड़ाई और सख्ती के साथ अगर आप नहीं देखेंगे तो, हमारा ख्याल है कि हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मैं श्रीमन्, आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि हम समाजवाद को लाते हैं या नहीं लाते हैं, लेकिन संसार का जो आज चक्र है वह समाजवाद को लाकर रहेगा। मैं आपका ध्यान बढ़ी हुई आबादी की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसके कारण हमारे यहां बेकारी की कठिनाई मालूम होती है। अगर आप बालविवाह निषिद्ध करें तो कम से कम हमारा देश गढ़े की तरफ नहीं जायगा या और किसी तरह से नियंत्रण करें और यदि आप यह नहीं करेंगे तो मेरा अपना विचार यह है कि आप कितना ही उत्पादन बढ़ावें वह सब वैसे ही होकर रह जायगा। जितना आप उत्पादन बढ़ाते जायेंगे उतने ही लोग खाने वाले उत्पन्न होते जावेंगे और जो दिक्कत है वह अपनी जगह पर बनी रहेगी। आबादी के

[श्री रामजी सहाय]

नियंत्रण के लिये क्या किया जायगा मैं इसको नहीं जानता हूं। हमारे देश से बड़ा देश चीन है, वह क्या करेंगे उसकी तरफ भी ध्यान देने की बात है, लेकिन वह तो बाद को होगा। हमको अपने देश में उसके लिये नियंत्रण करने की आवश्यकता है। हमारे जिले में टैस्टवर्क का कार्य हो रहा है। उसके प्रति हम सन्तोष प्रकट करना चाहते हैं। हमारे यहां बाढ़ के सम्बन्ध में भी सजगता दिखायी जा रही है और काफी काम हो रहा है। मुझे पूर्ण आशा है कि उसका भी कुछ नियंत्रण हो सकेगा। जो अमला वहां पर कार्य कर रहा है उसको देखकर कुछ विश्वास हो रहा है कि इस दिशा में कुछ किया जायगा। इन शब्दों के साथ मैं इस आय-व्ययक का हृदय से स्वागत करता हूं।

श्री रामेश्वरलाल द्वारा श्री मलखानसिंह पर लगाये गये पक्षपात विषयक आरोप का मुख्य मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, और कुछ कहने के पहले एक सम्बन्ध में मैं आपका आदेश चाहता हूं। आज इस सदन में एक खत का मजमून पढ़ा गया, उसमें मेरा और माननीय स्वास्थ्य मंत्री का भी चर्चा था। यदि आप उचित समझें तो जहां तक मेरा और उनका सम्बन्ध है उसके बारे में कुछ निवेदन कर दूं।

श्री अध्यक्ष--जो बातें उन्होंने अपने भाषण में कही हैं यदि आपने उनको सुन लिया हो तो उसका स्पष्टीकरण आज कर दें। मैं इतना और बतला देना चाहता हूं कि मेरे पास श्री मलखान सिंह जी ने यह आवेदन-पत्र भेजा है कि वह उस पत्र की नक़ल चाहते हैं। मैंने उस पत्र को श्री रामेश्वरलाल जी से मंगा लिया है और वह मेरे पास मौजूद है। उसकी नक़ल मैं उनको दे दूंगा। और उन्होंने यह भी अपनी भावना प्रकट की है कि अगर उनके भाषण के द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है तो उस प्रश्न को भी उठाने का मौका उनको मिलना चाहिए। इस पर प्रश्न उठने पर विचार होगा, आज तो यह चीज नहीं होगी।

जहां तक माननीय मुख्य मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी का जिक्र उस भाषण में किया गया, अगर उस भाषण का अंश उनके कानों तक नहीं पहुंच गया है और वे अगर उसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो वे दे सकते हैं। उसके बारे में मैं यह निर्णय देता हूं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री दोनों उसके बारे में अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--श्रीमन्, मैं उस समय मौजूद था जब कि यह भाषण हो रहा था। उस मामले की बाबत जो कुछ मेरी जानकारी है और उससे जो कुछ मेरा सम्बन्ध है वह यह है कि आज से कुछ रोज हुए मलखान सिंह जी मेरे पास आये और उन्होंने यह बयान किया कि अलीगढ़ में जो मकान उनके पास है कुछ लोग, जिनका सम्बन्ध पी० एस० पी० से है, उस पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। मैंने कहा कि मुझको पूरी बातें नहीं मालूम लेकिन मैं डी० एम० को खबर कराये देता हूं, यह दरियाफ्त करने के लिये कि क्या मामला है? मैंने होम सेक्रेटरी से कह दिया था और उन्होंने अलीगढ़ के डी० एम० को कह दिया। दूसरे दिन मिस्टर राजनारायण ने मुझसे इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वह मकान पी० एस० पी० को अलाटेड था और उसमें श्री मलखान सिंह रहते हैं और वे जबरदस्ती उस पर कब्जा किये हुए हैं, पी० एस० पी० को देते नहीं हैं। इस सम्बन्ध में डी० एम० से जो इत्तला मिली है वह यह है कि वह मकान मलखान सिंह के नाम अलाट हुआ था और उनके नाम के साथ लीडर आफ दी सोशलिस्ट पार्टी लिखा था।

जो अलाटमेंट किया गया था उसके शब्द यह थे। उन्होंने यह भी बताया कि इस बात का प्रबन्ध कर दिया गया है कि ब्रीच आफ पीस न होने पायेगा और मामला कानूनी तरीके पर तय हो जायगा। इसके बाद मैंने उस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ली। आज सुबह माननीय राजनारायण जी ने उस पत्र के लिये, जिसकी चर्चा यहां हुई, मुझसे कहा कि वह मलखान सिंह जी ने लिखा है उसे सुन लीजिये। मैंने उनसे कहा कि जहां तक मेरा सम्बन्ध है मुझे इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है और न मैंने किसी प्रकार का कोई दबाव ही डालने की कोशिश की है मेरा उनसे जो व्यक्तिगत सम्बन्ध है उससे वे मेरा विश्वास करते हैं लेकिन उन्होंने कहा कि इसको सुन लीजिये। खैर उन्होंने खत को सुना दिया, मैंने समझा कि किस्सा खत्म हो गया लेकिन वह फिर यहां पढ़ा गया। माननीय गुप्ता जी से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि श्री मलखान सिंह उनके पास गये थे और उनसे उन्होंने शिकायत की कि कुछ गुन्डे उनके मकान पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। यह उनका डिपार्टमेंट है। उन्होंने डी० एम० स कह दिया कि कानूनी तरीके से काम होना चाहिये। मुझे इसके बारे में इतना ही कहना था। इसके आगे इससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है।

१९५५-५६ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—श्रीमन्, यह जो बजट के सम्बन्ध में वादविवाद हुआ है उसमें जहां तक आंकड़ों की बात है उसके बारे में तो वित्त मंत्री जी कहेंगे। मैं तो कुछ ऐसी बातों का जिक्र कर देना चाहता हूं जिनका खासतौर से बजट की फिगर्स से तो सम्बन्ध नहीं है। लेकिन जिनकी चर्चा व्योरे की बातों में यहां की गयी, उनमें मैं दो बातों का विशेष तौर पर जिक्र कर देना चाहता हूं। श्री मदनमोहन उपाध्याय ने दो बातों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाया। एक बात तो यह कि जब शुरू में शिक्षा का प्रसार किया गया था तो बहुत से स्कूल खोले गये थे और लोगों से कहा गया था कि कुछ रुपया वे स्वयं जमा करें और कुछ रुपया गवर्नमेंट देगी। यह बात बिल्कुल सही है और यह भी सही है कि जितना रुपया मिलना चाहिये था उतना मिला नहीं है। इस समय मैं इस हालत में नहीं हूं कि यह बता सकूं कि कितना रुपया बाकी है, लेकिन यह मानता हूं कि वह रुपया गवर्नमेंट के ऊपर ऋण है, जब इस बात का पता लग जायगा कि वह रुपया कितना है तो वह दे दिया जायगा क्योंकि वह लोगों का ही रुपया है और उनसे किसी खास काम के लिये लिया गया था तथा जिस काम के लिये वह लिया गया था उसी काम में वह खर्च भी होना चाहिये।

दूसरी बात उन्होंने कुमायूं के डेवलपमेंट के बारे में बतायी। जहां तक डेवलपमेंट का सम्बन्ध है, अभी तक डेवलपमेंट बोर्ड कोई नहीं बना है, लेकिन ख्याल किया जाता है, और जिस बात का श्री मदनमोहन जी ने जिक्र किया और जिसका खासतौर से ज्यादा सम्बन्ध पहाड़ों से है, बेरोजगारी सभी जगह थोड़ी बहुत है, लेकिन पहाड़ों में एक विशेष प्रकार की समस्या है। पहाड़ी जिलों को जमीन चाहिये, वहां की आबादी बहुत बढ़ रही है। पहाड़ से मेरा मतलब कुमायूं, गढ़वाल आदि सभी जिलों से है। अगर वे पहाड़ पर किसी तरह से जमीन निकालते हैं तो इसका मतलब यह है कि जंगल कटता है और जंगल कटने से वहीं का नहीं बल्कि सारे प्रदेश और सारे देश का नुकसान होता है। इसलिये यह उचित है कि इस तरह से जंगल को काटा न जाय। लेकिन उनके लिये खाने कमाने का कोई रास्ता होना चाहिये। अगर कहीं जमीन है मैदानी इलाके में तो उनके बसाने का प्रबन्ध होना चाहिये और अगर जमीन नहीं है तो उनके लिये कोई दूसरा व्यवसाय मिलना चाहिये। यह एक बहुत ही महत्व का प्रश्न है और इन सब बातों को सामने रख कर हम लोगों को सोचना है, सारे प्रदेश के मसले को इससे अलग रखना है। कुमायूं का प्रबन्ध करने में जो वहां के मेम्बर्स हैं और जो दूसरे आदमी हैं उनके परामर्श से मैं फायदा उठाने की अवश्य कोशिश करूंगा।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

दूसरी बात जो थ्योरे की है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। अभी श्री रामजी सहाय ने भी जिक्र किया और विवाद के सिलसिले में एकाध सदस्यों के मुंह से भी ऐसी बात निकली और वह यह है कि जो लोग राजनीतिक पीड़ित हैं उनके घर के बच्चों को कुछ सहायता दी जाती है, यह ठीक है। यह सम्भव है कि जिनको मिलनी चाहिये न मिलती हो, लेकिन जो बार-बार कहा गया है कि ऐसे लोग जो अनाधिकारी हैं उनको सहायता मिलती है, यह सुनकर मुझे कुछ आश्चर्य और दुःख होता है। जो लोग राजनीतिक पीड़ित होने का दावा करते हैं वे अपनी दरख्वास्त कांग्रेस पार्टी के किसी सदस्य या किसी एम० एल० ए० या किसी प्रमुख कांग्रेस जन की सिफारिश से भेजते हैं। कांग्रेसजन से मेरा मतलब यह है कि चाहे आज उनका कांग्रेस से सम्बन्ध न हो, वे दूसरी तरफ बैठे हों लेकिन ऐसे भी कितने लोग हैं जिनकी सिफारिश होती है और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अथारिटी से भी पूछ लिया जाता है कि यह ठीक है या नहीं है। इतनी पूछताछ करने के बाद भी अगर किसी को गलत तरीके पर सर्टिफिकेट मिलता है, जिलाधिकारी पक्षपात करता है या जो लोग सिफारिश करते हैं वे पक्षपात करते हैं तो इसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। इसके लिये मैं इतना ही कह सकता हूं कि अगर हमारी नोटिस में यह बात लायी जाय कि फलां आदमी राजनीतिक पीड़ित खानदान का नहीं है और जबरदस्ती रुपया ले रहा है तो मैं इस मामले को देखने की अवश्य कोशिश करूंगा कि असलियत क्या है! जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सी बातों का जिक्र किया गया है, और इस सदन का बहुत सा समय तो सोशलस्टि, सोशलिज्म, सोशलिस्टिक, इन शब्दों की बहस में गया।

एकाध बात तो स्पष्ट है और सबसे पहले मैं उनका जिक्र करूं। श्री झारखंडे राय ने यह कहा कि उनको इस बजट में पाखंड और कपट ऐसा ही दिखलाई पड़ता है। इसके लिये मैं अपने शब्दों में क्या कहूं, गोस्वामी तुलसीदास जी के ही शब्दों में कहता हूं "जाकी रही भावना जैसो, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी" मजबूरी है, उनको तो पाखंड और कपट के सिवा और कोई चीज दिखलाई ही नहीं देती। जरा अपने दिल में तो देखें कि पाखंड और कपट किस जगह है. दूसरी बात उन्होंने और कही और वह यह कि महज टैक्सेशन के जरिये सोशलिज्म नहीं लाया जाता है। मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं लेकिन उनकी सोशलिज्म का मतलब कुछ और है कि लोगों की आजादी बन्द करदी जाय, अखबार बन्द कर दिये जायं, हमारे जो विरोधी हैं उनका गला काट दिया जाय, उनको गोली मार दी जाय। लेकिन हम इस रास्ते पर नहीं चल सकते हैं और हम अपनी बदकिस्मती समझते हैं कि उस प्रकार के सोशलिज्म को नहीं मानते और उस प्रकार के सोशलिज्म को हम अपने प्रदेश और देश में नहीं लाना चाहते। और भगवान न करे कि हमारे देश में उस प्रकार का सोशलिज्म आवे? इन शब्दों पर बहस करने से कोई फायदा नहीं है। अगर सोशलिज्म लफ्ज का कहीं व्यवहार भी कर दिया गया है तो भी उससे कोई नतीजा नहीं निकलता। इसलिये कि बहुत जगह इसका गलत तरीके से भी प्रयोग किया गया है। हिटलर ने जब नाजीज्म कायम किया तो उसका नाम रखा नेशनल सोशलिज्म इसके अलावा और भी बहुत से आर्गनाइजेशन हुए जिन्होंने गिल्ड सोशलिज्म और सिन्डीकलिज्म के तौर पर नाम रखे। तो अगर कोई ग़लत तरीके से शब्दों का व्यवहार करे तो उसके लिये क्या कहा जाय? जहां तक पी० एस० पी० की बात है, मेरा ख्याल है कि उन्होंने भी उस शब्द का प्रयोग तो किया है। लेकिन उनकी कोई अपनी व्याख्या उसके लिये है, इसमें मुझे सन्देह है। प्रजा समाजवादी पार्टी की अपनी कोई व्याख्या नहीं है। हां, एक विशेषता थी जो कुछ दिनों पहले निकली थी। अच्छी थी, बुरी थी, जैसी भी थी लेकिन एक चीज थी जो उनकी पार्टी के विद्वान् नेता डाक्टर लोहिया ने निकाली थी ईक्वी डिस्टेंस की थ्योरी। और वह ईक्वी डिस्टेंस की थ्योरी क्या थी कि जितनी दूर हमसे कम्यूनिज्म है उतनी ही दूर कांग्रेस है। लेकिन

अभी हाल में ही जब से कम्यूनिस्ट पार्टी ने सोशलिस्ट पार्टी को गोद ले लिया, जैसा कानपुर और लखनऊ में देखने में आया है, तब से कम्यूनिस्ट पार्टी की कोई दूरी तो रह नहीं गई, कांग्रेस से क्या दूरी रही या नहीं यह तो दूसरी बात है, लेकिन बहरहाल जो विशेषता वाली चीज थी वह खत्म हो गई। अब मुश्किल हो गया है कि पी० एस० पी० के भाइयों को संतुष्ट करने के लिये किस सोशलिज्म का प्रयोग करें। अब एक ही अर्थ रह जाता है और वह अर्थ मार्क्सिज्म का है जिसको हमारे कम्यूनिस्ट भाई भी मानते हैं और मानना चाहिये कि जब सोशलिज्म शब्द को कहा जाता है तो उसी अर्थ में कहा जाता है।

तो मैं एक बात कह दूं कि कांग्रेस के रिजोल्यूशन में कहीं सोशलिज्म शब्द की व्याख्या चाहे न की गई हो, लेकिन उस रिजोल्यूशन में जिसको हमने माना है इस बात का काफी संकेत है जिससे यह समझा जाय कि हम जिस अर्थ में सोशलिज्म का अर्थ करते हैं उस अर्थ में मार्क्सिज्म में वह जिस अर्थ में प्रयुक्त होता है उससे भिन्न है। और इसी कारण हमें सोशलिज्म के मूल अर्थ को समझना होगा। सोशलिज्म केवल नेशनलाईजेशन या सोशलाइजेशन नहीं है उसको समझने के लिये यह हमको समझना होगा कि साध्य और साधन में क्या फर्क होता है। साध्य है एक्स्प्लायटेशन को रोकना शोषण को रोकना। अब शोषण कैसे रोका जाय, किस प्रकार से एक्स्प्लायटेशन को रोका जाय ? तो बहुत से लोगों की समझ में यह बात आयी कि उसको रोकने का तरीका है कि जो मीन्स आफ़ प्रोडक्शन हैं उनका नेशनलाईजेशन कर दिया जाय उनका सोशलाईजेशन कर दिया जाय। यद्यपि नेशनलाईजेशन में और सोशलाईजेशन में भी फर्क है फिर भी व्यवहार में एक ही अर्थ में प्रयोग होता है इसलिये सोशलिज्म का जब प्रयोग होता है तो बहुधा लोग सोशलाइजेशन मीन्स कंट्रोल आन मीन्स आफ प्रोडक्शन समझते हैं। यह तो साध्य है। जैसे हमारे यहां जमीन है, जमींदार या ताल्लुकेदार या लैंडलार्ड या चाहे जो कह लीजिये वह काश्तकारों का एक्सप्लायटेशन करते थे। इस एक्स्प्लायटेशन को दूर किया गया। वह रूस में एक तरीके से दूर किया गया बहरहाल वह क्लास खत्म हो गया और वह जमीन सोशलाइज्ड हो गई। चीन में पीजेन्ट प्रोप्राइटर्स को जमीन दी गई हिन्दुस्तान में भी पीजेन्ट प्रोप्राइटर्स को जमीन दी गई। तो हमने भी ऊपर से एक्स्प्लायटेशन को बन्द किया। हमने और चीन ने एक रास्ता अख्तियार किया यानी जिस तरह से हमने जमीन का सोशलाइजेशन किया उस माने में रूस ने जमीन का सोशलाइजेशन करने का तरीका नहीं अख्तियार किया। इसका क्या अर्थ है? साध्य तो एक ही था लेकिन उसको प्राप्त करने के लिये उसकी सिद्धि के लिये चीन और हिन्दुस्तान ने एक रास्ता अख्तियार किया और रूस ने दूसरा। इसलिये मैं कहता हूं कि सोशलिज्म कहने के माने यह हैं कि एक्स्प्लायटेशन को खत्म करना जो कि साध्य है। इस चीज को जो मानेगा वह सोशलिस्ट कहने का अधिकारी है लेकिन अब किस तरीके से खत्म किया जाय इसमें फर्क हो सकता है। और इस माने में मार्क्स का जो तरीका है और हमारा जो तरीका है उसमें फर्क है और एक माने में फर्क है। क्लासवार के शब्द का प्रयोग किया जाय या न किया जाय लेकिन जो भी आंखें खोलकर देखेगा उसको मालूम होगा कि इस वक्त ऐसे क्लासेज हैं जिनके इंटेरेस्ट्स में, जिनके हितों में आपस में संघर्ष है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि है वह संघर्ष। जमींदारी और काश्तकारों का मसलन् था। वैसे ही आज जो बड़ी-बड़ी फैक्टरीज हैं कारखाने हैं उनके जो मालिक हैं और जो मजदूर हैं उनके हितों में फर्क है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती।

एक बात और समझनी चाहिये कि जिसको आज भी पूरा-पूरा रूप सोशलाइजेशन का नहीं है अगर वह भी हो जाय तो भी क्लास रहेंगे। जब हम क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं उसका जिक्र करते हैं तो हमें समझ लेना चाहिये कि इसके माने यह नहीं हैं कि क्लास नहीं

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

रहेंगे। यह भी जान लेना चाहिये कि क्लास की डेफनीशन सोशलिस्ट स्ट्रक्चर में क्या है—

"People who perform the same and similar functions in the process of production consist a class."

उत्पादन की क्रिया में जो लोग एक ही प्रकार के कर्म करते हैं उनके समूह को क्लास या वर्ग कहते हैं। तो वह हमेशा रहता है। चाहे मालिक का क्लास हो या न हो। लेकिन टेक्नीशियंस का क्लास, जो मैनेजमेंट में काम करते हैं उनका क्लास रहता है, लेकिन सोशलिज्म में यह बात रहती है कि जिस किसी भी प्रकार का सोशलाइजेशन किया जाय उसके अन्दर यह हो सकता है कि क्लास कनफिलक्ट न हो, एक्सप्लायटेशन न हो। अगर यह चीज किसी तरीके से भी होती है तो वह सोशलिज्म की बात होती है। अब एक तरीका था जिसको रूस में ट्राइ किया गया। दो वर्ग हैं, दोनों में लड़ाई है। एक को खत्म कर दिया। जो अपने को कैपिटलिस्ट क्लास समझता था उसको खत्म कर दिया दिया गया। यह एक तरीका है। लेकिन हमने उस तरीके को नहीं बरता। मिलों और फैक्टरियों पर अमल नहीं किया। केवल जमींदारों पर अभी अमल किया। रूस के तरीके को अगर बरता होता तो जो जमींदार भाई बैठे हैं और पी० एस० पी० की तरफ से कोई एडजर्नमेंट मोशन आता है तो झट उनके साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन जरा गौर करना चाहिये कि अगर रूस के तरीके को फालो किया होता तो हमको यह करना चाहिये था कि एक पैसा भी मुआविजा का न देना चाहिये था और उनको भूखा मरने देते, जिस तरह से रूस ने पूंजीपतियों को खत्म कर दिया, यह सोच कर कि लाख दो लाख मर गये तो क्या होगा। ६ करोड़ की आबादी है इस प्रदेश की अगर दो चार लाख मर भी जायें तो क्या हो जायगा। लेकिन हमने उस तरीके को अख्तियार नहीं किया। अखदी कांग्रेस में स्पष्ट कर दिया गया कि हमारे यहां चाहे पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो उस सबको पूरे नियंत्रण में रक्खा जायगा। उसमें यह भी है कि एक्सपलायटेशन न हो सके और अगर किसी वक्त किसी तरह से किसी प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर में परिणित किया जायगा तो जो लोग उसे चला रहे हैं उन्हें मुआविजा जरूर दिया जायगा। न हम किसी का गला काटना चाहते हैं और न किसी से भीख मंगवाना चाहते हैं। लिहाजा जो मार्क्सिज्म का तरीका है उससे यह कुछ भिन्न है। चाहे जो डेफिनीशन दी गई हो लेकिन इससे जो परिचय मिलता है, जिस तरह से हम सोशलिज्म ले आना चाहते हैं, मूल सिद्धान्तों को सामने रखते हुए इसमें और उसमें फर्क है जो और देशों का जिक्र किया जाता है। और भी कुछ बातें होती हैं लेकिन उन सब बातों पर जिक्र करने का यहां पर समय नहीं है। इसलिये उन बातों को छोड़े देता हूं और सोशलिज्म की परिभाषा के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यह कहा जाता है कि परिभाषा चाहे कुछ हो, लेकिन इस बजट में तो कहीं रत्ती भर भी जगह नहीं मिलती सोशलिज्म को। ठीक है, अध्यक्ष महोदय। उसके सम्बन्ध में मुझे एक दो बातें कहनी हैं। पहले तो हम जब शब्दों का प्रयोग करें तो यह देखना चाहिये कि उसका संदर्भ क्या है, कांटेक्स्ट क्या है? जो प्रसंग है, जो संदर्भ है उसके बाहर तो कोई अर्थ नहीं होता। हम सोशलिज्म की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश क्या है? कोई इंडिपेंडेंट स्टेट तो है नहीं। भारत भले ही इंडिपेंडेंट स्टेट हो लेकिन उत्तर-प्रदेश तो उसका एक टुकड़ा है बहुत सी बातों में अगर उत्तर प्रदेश चाहे भी तो जो मूल नीति है, जो दिल्ली से नीति चलती है उसके बाहर नहीं जा सकता। कई वर्ष हुए मैंने ही इस सदन में एक प्रस्ताव पेश किया था जिसमें इस बात का जिक्र था कि जमींदारी खत्म होनी चाहिये और कुछ इंडस्ट्रीज को सोशलिज्म के तरफ ले जाना चाहिये। लेकिन वह केवल हमारी इच्छाओं का द्योतक था, वैसा हम

कर नहीं सकते। जितनी इंडस्ट्रीज और मिलें हैं उनको हम नेशनलाइज खुद नहीं कर सकते या प्राफिट के लिये कोई नियम बना दें। जो कुछ होगा वह सारे देश के लिये होगा। अपनी इच्छा को हम केवल व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जो नीति होगी वह दिल्ली से ही चल सकती है, उसी यूनियन के हम टुकड़ हैं, किसी मामले में उसकी नीति के बाहर नहीं जा सकते।

नौकरों के वेतनों को घटाने बढ़ाने की बात कही जाती है। बहुत सी सर्विसेज आल इंडिया सर्विसेज हैं। उन सर्विसेज के वेतन में एक पाई भी हम छू नहीं सकते। और जब उनका वेतन छू नहीं सकते तो हमारी जो सर्विसेज हैं उनको भी हमें उसी अनुपात में रखना होता है। इन सब चीजों का फोरम दिल्ली है। जिसको कुछ कहना है वह दिल्ली में कहें कि कांस्टीटचूशन बदला जाय। अवादी कांग्रेस में जो प्रस्ताव पास हुआ था वह उत्तर प्रदेश के लिये नहीं हुआ, सारे देश के लिये हुआ है। उसका मूल सूत्र है दिल्ली। वहीं से जो होना होगा वह होगा, वहीं किया जायगा, यहां पर ऐसी बातें कह कर समय को नष्ट करना होगा, जो हमारी शक्ति के बाहर हैं, न केवल हमारी शक्ति के बाहर की बात है बल्कि किस व्यक्ति या पार्टी की शक्ति के बाहर की बात है।

हम उतनी बातों की कोशिश कर सकते हैं जो कि हमारे वश में है। यह कहा गया है कि चपरासियों की तनख्वाह बढ़ाई गई केवल दो रुपया यह तो कुछ नहीं है। लेकिन इस दो रुपये के अन्दर भी एक चीज है। दो रुपया तनख्वाह बढ़ाई गई, महंगाई का आधा वेतन का अंग बनाया गया, इसके माने क्या हैं? इसके माने बहुत कुछ हैं। इसके माने हैं कि चाहे कितनी भी सस्ती हो जाय, लेकिन इतना रुपया तो चपरासियों का या जिनकी भी तनख्वाह बढ़ी हो वह उनके वेतन से कट नहीं सकता। माननीय राजनारायण जी ने २० लाख रुपये का जिक्र किया। मैं कहता हूं कि यह केवल २० लाख रुपया ही नहीं है इसके साथ ही और भी कितनी ही चीजें हैं। जो लोग सौ रुपया तक तनख्वाह पाते हैं उनका कम्पलसरी इंशोरेन्स होता है, उनका अनिवार्य बीमा होता है जो उनकी तनख्वाह से कटता है और उतना ही रुपया सरकार मिलाती है। तो इतना बाकी का रुपया उनको अधिक मिलेगा जो पेंशन के समय मिलता है। पेंशन जो मिलती है वह तीन बरस की तनख्वाह के औसत के हिसाब से मिलती है और यह तनख्वाह बढ़ने से उनकी पेंशन का रुपया भी अधिक हो जायगा और इस तरह से यह तनख्वाह बढ़ने से उनका एक तरह से ही नहीं बल्कि कई तरह से फायदा हो जायगा। अगर हम और बढ़ा सकते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन जो है मौजूदा हालत में वह भी हमारी सदेच्छा का द्योतक है और उस हिसाब से हमने कोशिश की है। लेकिन हम यह करने के लिये तैयार नहीं हैं और कर भी नहीं सकते कि ऊपर वाले थोड़े से आदमियों का गला काट दें। हम नीचे वालों को उठाना चाहते हैं और उसके लिये हमने एक कदम उठाया भी। अगर हमारी आर्थिक स्थिति सहायता दे तो और कुछ भी करने को तैयार हैं।

और भी बातें होती हैं समाजवाद के अन्दर। जो समाजवाद की नीति को समझते और उसे जानते हैं वह कभी यह नहीं कहते कि सबकी आमदनी बराबर हो। जो पागल होंगे वही ऐसा कहते होंगे। लेकिन यह जरूर है कि बहुत अधिक अन्तर नहीं होना चाहिये, यह ठीक बात है। इसमें भी एक चीज है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो मनुष्य की बेसिक आवश्यकताएं होती हैं। उनमें कोई फर्क नहीं होता। अन्न, वस्त्र, रहने की जगह सब को चाहिये और उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिये और इसके बाद अपनी-अपनी इच्छा और शौक के अनुसार चीजें होनी चाहिये। इसी तरह से एक और भी मौलिक अधिकार है। मसलन अनबार्न चाइल्ड को

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

भी एक अधिकार होता है। समाजवादियों के जो आचार्य हैं उन्होंने इस बात को जनता के सामने रखा था कि हर बच्चे को अधिकार है कि उसका जो जन्म हो वह अच्छी तरह से होना चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि उसे जन्मते ही दुःख उठाना पड़ जाय। हमारे जो दोस्त हैं अगर वह पोथियों को छोड़ कर इस बात को ध्यान से बजट में देखें तो पायेंगे कि हमने इस बात का जिम्मा लिया है कि जितनी भी स्त्रियां होंगी जिनको बच्चा होने वाला है और जिनके पास पैसा नहीं है अपने लिये करने को, उनको तीन महीने के लिये दूध का प्रबन्ध किया गया है। अनबार्न चाइल्ड का एक राइट है जिसको हमें पूरा करना है (तालियां)। अभी हमने यह केवल पांच बड़े शहरों में और दो देहातों में शुरू किया है। देख लें कि कैसे काम चलता है और उसके बाद हम इसे सारे प्रदेश में फैलाने वाले हैं। यह काम है इक्वेलाइज करने का।

एक और चीज है कि हर आदमी को इस बात का अधिकार है कि वह काम करे। राइट आफ वर्क, जो शरीर से तन्दुरुस्त है उसको काम मिले और अगर वह काम नहीं करता है तो समाज का कर्तव्य है कि उसके लिये जीविका का प्रबन्ध करे। साथ ही ऐसे आदमी भी मिलते हैं कि जो कोई काम करने के योग्य नहीं होते, जिनकी इंद्रियां जवाब दे देती हैं और वह अगर ऐसे घर में पैदा हुए हैं कि जो संपन्न हैं, सम्हालने वाले लोग हैं उसको तब तो ठीक है, लेकिन जो आदमी बोझ ढोता है, जो रोज काम करके पैसा कमाता है उसे तो पेंशन नहीं मिलती, उसके पास पैसा भी नहीं होता, उसको प्रावीडेंट फंड भी नहीं मिलता तो ऐसे आदमी के लिये भी समाज का एक कर्तव्य होता है। यह बात भी समाजवाद के आचार्य ने दुनिया के सामने पहले पहल रखी थी। उन्होंने भी उस आदमी के इस अधिकार को माना था और उसमें लिखा है कि हमारा कर्तव्य है कि जो बूढ़े, अपाहिज और बेकार हैं उनके पोषण का जिम्मा समाज को लेना चाहिये। इसके लिये लखनऊ में कुछ वर्ष पहले एक प्रयोग शुरू हुआ था और हमने कहा है कि प्रदेश में ऐसे लोगों की जितना संख्या है उसका अन्दाजा लगाया जाय और हमने इसका जिम्मा लिया है कि जो अपाहिज या बेकार हैं शरीर से, और काम करने वाले नहीं हैं, जो अपनी उस कमाई से ऐमिनिटीज नहीं प्राप्त कर सकते, वह ऐमिनिटीज जो सामान्य घरों में प्राप्त हों, उनको प्रोवाइड की जायं। एक कदम है समाजवाद के रास्ते पर। लेकिन अफसोस है कि हमारे दोस्तों ने जहां बहुत सी बातें कहीं उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया कि वे यह देखते कि समाज का रुख किस तरफ बढ़ रहा है। कुछ दोस्तों ने कहा, कुछ ने क्यों बहुतों ने कहा कि हमको तरक्की नहीं देखने को मिला। मरे हुए आंकड़ों को ला करके यह बात कही जाती है। मैंने टिम्बकटू का नाम सुना है, देखा नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स का बजट मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं यहां पर बैठे-बैठे और खड़े-खड़े इत्मीनान से सारे बजट की खिल्ली उड़ा सकता हूं, जिस देश के बजट की कहें खिल्ली उड़ा सकता हूं। किसी ने ५ हजार स्कूल खोले क्यों नहीं ६ हजार खोले, दो लाख मील लम्बी सड़क बनी क्यों नहीं ११ लाख मील लम्बी सड़क बनी, कहना बड़ा आसान है, हम जो मन में आये कह सकते हैं। हम कहते हैं कि जितना हमें काम करना चाहिये उतना नहीं कर सके हैं, लेकिन यह कहना गलत है कि कोई काम नहीं हुआ।

एक बात याद पड़ती है कि एक अच्छा शहर हो, सुन्दर मकान हों, अस्पताल हों, कालेज हों लेकिन कहीं गंदा नाला तो जरूर होगा। कोई सारे शहर का जिक्र करता तो एक बात क्षम्य थी लेकिन केवल गंदा नाला ही दिखाई दे तो उनकी नीयत का दोष है। इसी वक्त मुझे महात्मा गांधी की एक बात याद पड़ती है Miss Mayo की किताब Mother India के ऊपर लिखा था कि "this is drain inspectors report" कि जिसे कोई भी तरक्की की चीज नहीं दिखाई पड़ती उसको अपने दिल की तरफ देखना चाहिये। हो सकता है कि जो एक मैयार हमने बनाया हो वहां तक न पहुंच सके हों, लेकिन यह कहना कि कोई तरक्की

ही नहीं हुई, खराबी ही खराबी हुई है, हमारे भौतिक मामले खराब हुए, अंग्रेजों के राज्य में इरिगेशन अच्छा था, अन्न ज्यादा पैदा होता था, सब कुछ अंग्रेजों के ही राज्य में होता था और कांग्रेस राज्य के आने के बाद करप्शन बढ़ गया या फिजिकली, मौरली, इंटलेक्चुअली हम गिर गये, कितनी अच्छी बात है, कितना हमें सुख है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहियें। जहां हम बुराई देखते हैं वहां कम से कम अच्छाई भी देखने की तकलीफ गवारा करें। हमारे अधिकांश दोस्तों ने बजट की आलोचना की, कोई भलाई उनको कहीं नहीं दिखाई दी। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि दूसरे देशों के जो बजट होते हैं हमारे दोस्त मेहरबानी करके वहां के अपोजीशन लीडर्स की स्पीचें देखें कि कौन बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में कहा जाता है। आज कांग्रेस पार्टी है, कल को पी० एस० पी०, परसों तीसरी पार्टी आ सकती है। लेकिन यह मान लिया जाता है कि कोई भी पार्टी हो उन बातों का जिक्र नहीं करना चाहिये जिनसे कोई फायदा न हो। मिसाल के लिये कोई पार्टी है वह स्कूल खोलती है, अस्पताल खोलती है, नहरों में पानी का इन्तजाम करती है तो उन छोटी-छोटी बातों को लेकर बहस में समय नष्ट किया ही नहीं जाना चाहिये। उदाहरण के लिये यह कहा गया कि अन्न ज्यादा नहीं हुआ। नहर तो ऐसी चीज नहीं है कि जो जेब में छुपा ली जाय। पानी बहुत कम आता होगा, एक नहर में मुमकिन है सेर दो सेर ही पानी आता हो लेकिन अगर इतना ही पानी आता है तो कुछ तो आता ही ही है उससे कुछ तो फायदा होता ही है, २, ४ दाने अन्न के पैदा हुए ही होंगे तो यह सब कौमन सेन्स की बातें हैं। ऐसी बातों पर बहस करने से क्या फायदा ?

जो अपोजीशन पार्टी होती है, जो खास पालिसी की चीज होती है उनको सामने लाती हैं कि और काम तो गवर्नमेंट ने किये लेकिन यह काम नहीं किया इसको करना चाहिये। लेकिन यहां शुरू से लेकर आखिर तक कोई अच्छा काम ही नहीं दिखाई दिया, हर बात निगेटिव में कहना, इसका कोई नतीजा नहीं है। मैं यह कहता हूं कि हमारे सामने जो मित्र बैठे हैं उनमें से और किसी नाते नहीं तो कम से कम उम्र में बड़ा हूं, इस नाते कहता हूं और आशा करता हूं कि होनहार आदमी पब्लिक लाइफ में लगें और अपनी जिम्मेदारी को समझें कि इस तरह की आलोचनाओं से क्या फायदा होता है और किसका फायदा होता है। इतना बड़ा हमारा देश है, इतना बड़ा हमारा प्रदेश है, इस प्रदेश को ऊंचा उठाना मामूली काम नहीं है। अकेले हमारे बूते का वह काम नहीं। हमको और आपको सबको अपनी-अपनी ताकत लगानी होगी, तब हम इसको कुछ ऊंचा उठा सकेंगे। लेकिन अगर डिस्ट्रक्टिव बातें ही कही जायं, सब ऐब ही ऐब दिखायें जायं, तो उससे क्या फायदा होगा ? आपकी योग्यता का, आपकी प्रतिभा का क्या फायदा मिलता है ? अपोजीशन आफिस में भले ही न हो पर अपोजीशन बहुत कुछ मदद दे सकता है। अपोजीशन राज्य की नीति पर बहुत ही असर डाल सकता है। लेकिन अगर यह केवल नहीं ही करता रहे तो उसकी आलोचना का कोई मूल्य नहीं रह जाता। हमारे दोस्त अगर सारे बजट का श्रेय खुद लेना चाहें तो हम तैयार हैं। मैं तो खुश होता अगर वह यह कहते कि हां, गवर्नमेंट ने कुछ काम किया हमारी शिक्षा ग्रहण करके, मैं पूरा श्रेय उनको देने को तैयार हूं। वह यह कहते हैं कि गवर्नमेंट ने इतना किया लेकिन इतना और करना चाहिये था। अगर कोई अच्छी बातें हमारे उधर के दोस्तों के मुंह से निकलती हैं तो कोई वजह नहीं कि हम उनको स्वीकार न करें, उनके अच्छे परामर्श पर गौर न करें, मगर वह तो तब जब कि आप हमको कोई रास्ता बतलायें। आप हमको बतलाते नहीं कि कहां गलती है। मैं कहता हूं कि जिस तरीके से बातें की जाती हैं, उसका परिणाम जरा सोचना चाहिए। क्या उसका परिणाम होगा ? आज जो लोग कि सामने बैठे हुए हैं वह कल तक कांग्रेस में थे, जो आज कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता हैं, चाहे पंडित जवाहर लाल जी हों, चाहे पन्त जी हों, चाहे मौलाना अबुल कलाम

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

आजाद हों, कल तक वह उन दोस्तों के भी नेता थे। इसी तरह हम लोग जो इधर बैठे हुए हैं, कल तक हमारा और आपका एक सा सम्बन्ध था। उस कांग्रेस में हमारा भी कोई स्थान था। आज जनता के सामने आप जाते हैं और आप लोगों के मुंह से यह बात निकलती है कि कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ तो इसका जनता के ऊपर क्या असर पड़ता है? उसका असर यही पड़ता है कि कल तक जिनको वह बड़ा मानते थे, जिनके लिए उनके अन्दर सम्मान था, उन लोगों ने जब कुछ नहीं किया और देश को चौपट कर दिया तो फिर ये लोग आयेंगे तो क्या करेंगे। इससे जनता का सेल्फ कांफिडेंस चला जाता है। वह समझते हैं कि जिनको हम बड़ा मानते थे और कल तक जिनको ये सब लोग बड़ा मानते थे, वह सब इतने नालायक निकले, बिल्कुल निकम्मे निकले कि देश को आगे बढ़ाने के बदले देश को पीछे ढकेल दिया, चौपट कर दिया तो फिर ये लोग क्या करेंगे? अगर देश सम्पन्न हो, भरा पूरा हो तो उसके लिए वह लड़ाई भी की जाय, लेकिन एक मुर्दा बना कर देश को, उसकी मुर्दा लाश के लिए क्या लड़ाई की जाय? तो अगर एक बार जनता में से सेल्फकांफिडेंस चला जाय, आत्म निर्भरता की भावना खत्म हो जाय तो फिर तो हमारे मित्र झारखंडे राय जी की ही बात रह जायगी कि हमको जो शिक्षा लेनी है, जो दीक्षा लेनी है वह चीन और रूस से लेनी है, हिन्दुस्तान के लीडर्स बिल्कुल नालायक हैं। अब हमको अगर कुछ रोशनी लेनी है, स्फूर्ति लेनी है तो चीन और रूस से ही लेनी है। भगवान के लिए आप ऐसी कोशिश न करें कि जिससे देश की जनता में अपने ऊपर से विश्वास उठ जाय। यह कहिए कि काम इतना हुआ लेकिन और होना चाहिए था और-और अच्छे ढंग से होना चाहिए था, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। हम सौ बार उसको ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। हमको और आपको मिल कर काम करना है देश के उठाने में, एक दूसरे से परामर्श लेकर ऐसी बातें करनी हैं कि जिनसे हमारी जनता मजबूत बने, बलवान बने और अपने ऊपर, अपनी शक्ति के ऊपर और अपने देश की प्रतिभा के ऊपर उसके मन में उत्तरोत्तर विश्वास बढ़ता जाय। मुझे इतना ही निवेदन करना था और जैसा कि मैंने कहा, शेष बातें तो वित्त मंत्री जी कहेंगे।

*वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)---अध्यक्ष महोदय, मैंने तीन रोज से उस बहस को सुना जो कि सन् १९५५-५६ के बजट और विशेष कर उसकी स्पीच के मुताल्लिक हुई। उसमें जो बातें कही गईं वह तीन प्रकार की थीं।

एक तो ऐसी बातें हैं जो विशेष विभागों से और ज्यादा से नहीं सिर्फ तीन चार विभाग से उनका संबंध है और एक किस्म का सुझाव है। दूसरी बातें वह कही गयीं कि जिनका जवाब इस सदन में अभी चीफ मिनिस्टर साहब के भाषण में सुना। तीसरी बातें फाइनेंस से ताल्लुक रखने वाली कही गयीं।

जहां तक विभागों के मुताल्लिक बातों का संबंध है और उनमें से उनका ताल्लुक है जिनका मैं सुझाव कहता हूं, उनके मुताल्लिक सिर्फ इतना ही कहना काफी होगा कि वह सुझाव ऐसे हैं जिन पर सोच विचार किया जा सकेगा। और गवर्नमेंट, जैसे कि उसकी हमेशा ख्वाहिश रही है कि हर अच्छे सुझाव पर अमल कर सके और उस खिदमत को अन्जाम दे सके जो खिदमत कि सुझाव के जरिये से चाही जाती है, तो उसको करने के लिये गवर्नमेंट तैयार होगी।

मैंने कुछ चर्चों में यह सुना कि बजट स्पीच के बहुत पुर्जे उड़े और मेरे दोस्त पुर्जे उड़ाने वाल इस वक्त इस सदन में तशरीफ नहीं रखते। इस जगह मैं यह निवेदन करना बहुत जरूरी समझता हूं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि लेजिस्लेचर का यह एक मुस्तकिल कनवेंशन रहा है कि जो शख्श बिलखुसस वह व्यक्ति जो यह समझा जाता है उसकी पोजीशन उसकी कोई खास है, या जैसा कि हम अपने भाई श्री राजनारायण जी को लोगों की जबान से यह कहते हुये सुनते हैं कि वह लीडर आफ अपोजीशन है, तो उस कनवेंशन के लिहाज से उनको यहां, बावजूद कहीं और बड़ी जरूरत होने के भी, मौजूद होना था उनकी गैर हाजरी मुझे एक हक देती है और वह यह है कि मैं उन बातों का जो उन्होंने फरमाई कोई चरचा नहीं करूं और कोई जवाब नहीं दूं, तो मुझ पर उसके कारण कोई इल्जाम नहीं लगाया जा सकता है, और मैं अर्ज करता हूं कि मैं जवाब नहीं दूंगा सिवाय उस बात के कि जो मेरी बात के किसी सिलसिले में या मुझे किसी वजह से यहां कहनी आवश्यक हो जाय या किसी और के जवाब में भी कहना आवश्यक हो तो मैं अर्ज कर दूंगा।

पहले मैं अपने दोस्त बालेन्दुशाह साहब की एक बहुत ही, अंग्रेजी में कह सकते हैं "इंस्ट्रक्टिव तकरीर मैंने सुनी और मैं जरूरी समझता हूं कि उसके संबंध में कुछ अर्ज करूं। इसलिये कि उन्होंने कुछ विशेष बातें जो अपने नजदीक वह बहुत जरूरी समझते थे वह कही है और यह बतलाया है कि बजट किसी स्टेट का कैसा बनना चाहिये और उसको क्या होना चाहिये? जितनी तकरीर हुई उसको मैंने पूरी सुनी। उसका खुलासा एक पुरानी मसल में है, कहावत में है। एक अंग्रेजी की कहावत है। मैं जानता नहीं कि हमारे यहां हिन्दी में भी वैसी कोई कहावत हो। मुझे वह मालूम नहीं है, लेकिन अंग्रेजी की एक कहावत है "Cut your coat according to your cloth." यह उनकी स्पीच का अर्थ है कि कोट को कपड़े के मुताबिक काटो, सही है। पुराने जमाने के तजुरबों की बिना पर अंग्रेजी में यह कहावत बनी और इसके ऊपर जरूर अमल होना चाहिये। मगर मैं सदन की ओर विशेषकर अपने दोस्त बालेन्दुशाह जी की तवज्जह एक बात की तरफ दिलाता हूं कि अगरचे यह बात और यह कहावत कितनी दफा खास कर बजट के मुताल्लिक कही जाती है और इससे मुताल्लिक किया जाता है। लेकिन मेरा बल्कि औरों को भी जिन्होंने इस काम को किया है, जिन्होंने बजट को बनाया है, जिन मुल्कों में जहां जहां बजट बने हैं उन सबका एक तजुरबा और भी है कि वक्त ऐसा आता है जब कि इस नसीहत के ऊपर अमल नहीं किया जा सकता और इस पर अमल करना उस देश के लिये, उस मुल्क के लिये नुकसान देने वाला होगा और उसको पीछे हटा देने वाला होगा अगर उसके ऊपर अमल किया गया।

मैं यह बात समझाने के लिये इस ऐवान के सामने वह अन्तर रखना चाहता हूं जो एक गवर्नमेंट और फर्द में है मस्लन इंडिवीजुअल में है। इब्राहीम एक आदमी है, मेरी कुछ आमदनी है। मैं उसके मुताबिक अपना खर्चा कायम कर सकता हूं और अपनी आमदनी के अन्दर अपनी गुजर कर सकता हूं, इसका इन्तजाम मैं कर सकता हूं। लेकिन गवर्नमेंट, इससे पहले मैं एक और चीज की मिसाल दूं। मेरे ख्याल में इस वक्त आ गई। अगर हम किसी किस्म का कोई क्लब कायम करें और यह अंदाजा करें कि कम से कम कितने खर्चे में यह चल सकता है तो इसकी पोजीशन एक इंडीवीजुअल की पोजीशन से बदली हुई मिलेगी। अगर इसको कायम करना है और जो आदमी इसको कायम करना चाहते हैं उनको कम से कम इतनी आमदनी का इन्तजाम करना होगा जिससे उसका काम चल सके और उससे कम में उसका काम नहीं चल सकता है और जितना हम उसके दायरे को वसीअ करना चाहेंगे उतनी ही उसकी आमदनी उनको बढानी पड़ेगी और इसका लाजमी नतीजा यह निकलता होगा कि उनके मेम्बरान की जो फीस मुकर्रर की जाय उसका अंदाजा मुकर्रर हो। जब उसकी और बढोतरी और तरक्की हो तो उसके चंदे के अन्दर भी बढोत्तरी होती जायगी।

यही मिसाल एक गवर्नमेंट की है और वह गवर्नमेंट वेलफेयर स्टेट हो या खाली पुलिस स्टेट हो या कोई भी स्टेट हो किसी किस्म की हो उसकी भी हालत यही है कि उसको अपने फरायज अदा करने के वास्ते, गवर्नमेंट की जो ड्यूटीज हैं, वह जमाने वार बदलते चले आये हैं और बढते चले आये हैं। किसी वक्त में गवर्नमेंट का खर्चा बहुत थोड़ा समझा जाता था क्योंकि आदमी जो करता है करे, कमाये और रुपया इकट्ठा करे या कुछ भी करे, लेकिन उनकी जानम ाल

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

की हिफाजत सरकार कर दिया करे। एक वक्त वह था कि गवर्नमेंट का इतना ही तस्व्वुर था, इतना ही कंसेशन था। वह बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा जिसकी मुझे तफसील करने की जरूरत नहीं है। तो हर जमाने की गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट होगी उसे उतना खर्चा करने की कम से कम उसको जरूरत होगी जितने में वह अपने फर्ज को अन्जाम दे सकती है और उतना उसको लेना होगा उन लोगों से जिनकी वह कायम की हुई गवर्नमेंट है, जिनकी वह गवर्नमेंट है। अगर उसके फरायज बढ़ेंगे तो उनके बढ़ने के साथ उसके खर्चे बढ़ते जायेंगे और वह खर्चे वहां के आदमियों से पूरे होंगे, शक्ल उसकी चाहे कुछ भी हो लेकिन वह खर्चा उन्हीं से पूरा होगा और कहीं से नहीं होगा। इस हैसियत से आप उत्तर प्रदेश को देखिये। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जो इस वक्त है उससे तवक्को सबकी यह है कि यह एक वेलफेयर स्टेट हो, उसने खुद कहा कि यह एक वेलफेयर स्टेट है। और वेलफेयर स्टेट हो तो क्या हो। मैं नहीं जानता कि जिस किस्म की सोशलिस्ट हुकूमत का तजकिरा यहां किया गया उसमें क्या होता है। लेकिन यहां के जो रहने वाले हैं उनमें से कितनों की भलाई नहरों के बनने से, अच्छी खाद मिलने से, अच्छा बीज मिलने से, अच्छे जानवर होने से होती है। उनको सड़कों की जरूरत होती है, उनको उद्योग धंधों की जरूरत होती है। चाहे वह सोशलिस्ट गवर्नमेंट हो, चाहे डेस्पाटिक गवर्नमेंट हो, चाहे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, लेकिन अगर लोगों को आराम के साथ किसी को रखना होगा और आराम के साथ रहना होगा तो मैं समझता यह हूं कि यहां पर यही चीजें पैदा करनी पड़ेगी। अब जो कोई सोशलिस्ट बजट होगा तो उसके अन्दर इन चीजों के लिये रुपया न रख कर इसके लिये रुपया होता है कि खेतों की पैदावार बढ़ाने के लिये बजाय नहरों के आग के ढेर लगा कर उनको गरमी पहुंचायी जाय। मेरी समझ में किसी किस्म की गवर्नमेंट हो यही चीजें जो इस बजट के अन्दर रखी हुई हैं यही काम हो सकते हैं जिनसे तरक्की हो सकती है आजकल के जमाने के कन्सेप्शन के लिहाज से और उनके लिये रुपया इस बजट के अन्दर रखा गया है और उसी के मुताल्लिक अपनी बजट स्पीच में मैंने जो कुछ भी गलत सही अर्ज किया वह यह कि यहां का कल्याणकारी समाज कायम रहे और आगे को तरक्की करे। अब आगे को तरक्की करने में अगर उस वक्त मैं यह देखूं कि इस स्टेट का कर्जा बढ़ेगा, जैसा कि मैंने अपनी बजट स्पीच में अर्ज किया कि कर्जा बढ़ेगा तब तो फिर कुछ काम हो ही नहीं सकता। अब तक जो प्लान बना है उसमें तो किसी हद तक हम यह भी सोच सके कि हम कितना रुपया खर्च कर सकते हैं, लेकिन अब आगे तो सिर्फ यही देख सकते हैं कि क्या जरूरत है और यह देखना मुश्किल है कि उसके वास्ते कितना रुपया चाहिये। उस रुपये को तो मोहय्या करना है, जिन तरीकों से भी हो वह मोहय्या किया जायगा, उसको मोहय्या करना जरूरी है। तो अब ९१ करोड़ रुपया डेवलपमेंट के लिये इस बजट में रखा गया है जो अगला साल आ रहा है उसमें खर्च करने के लिये। इस रुपये को मत रखो और कोट को कपड़े के मुताबिक काट दो तो कपड़ा तो ८१ करोड़ का था और कम से कम दो चार करोड़ का रुपया उसमें लगा हुआ है। बाकी जो रहा जाता है उस कपड़े के मुताबिक अगर कोट काटें या इस बजट के बनाने वाले काटते तो मैं समझता नहीं हूं कि मेरे दोस्त बालेन्दुशाह जी को जिस वक्त टेहरी का ख्याल आयेगा और वहां सड़कों की कमी रह जाय, वहां बिजली की कमी रह जाय वहां किसी शफाखाने में दवाओं की कमी हो और वह उसकी शिकायत करें कि गवर्नमेंट ऐसी है कि उसकी तरफ कतअन तवज्जह नहीं देती, तो उनकी शिकायत को दूर करने के साधन क्या हो सकते हैं? तो कैसे कोई तसव्वर कर सकता है इस बात का और समझ सकता है कि कर्जा भी मत बढाओ आमदनी भी मत बढाओ, मेरे एक दोस्त ने कहा जो यहां तशरीफ नहीं रखते, एक बात बीच में आगई इसलिये अर्ज कर देता हूं। एक तकरीर में से निकाल कर लाये कि मैंने यह कहा था कि जनता को भी इस बढे हुये खर्च में सहयोग देना होगा और कहा कि यह बयान दिया है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि हम टैक्स लगाने वाले हैं। मैंने किसी स्पीच में ही कहा था कि जहां तक पहले प्लान का ताल्लुक है उसकी निस्बत यह कह दिया था कि जितना काम अब है वह बगैर टैक्स के पूरा करें। चुनान्चे हम टैक्स नहीं लगा रहे हैं। और जो स्पीच में मैंने कहा था वह यह

कहा था, अपील की थी कि यहां की जनता मदद करे। यह मैंने नहीं कहा कि गवर्नमेंट नया टैक्स लगाये और उसको देकर मदद करो। वहां तो लिखा हुआ है जहां साफ तौर पर कहा गया है वहां तो मैंने यह कहा कि कर्जा देना स्माल सेविंग्ज कम्पेन में हिस्सा लेना, यह तो मैंने वहां अर्ज किया था। तो कोई गवर्नमेंट हमेशा के लिये किसी को यह यकीन नहीं दिला सकती, यह अश्योरेंस नहीं दे सकती कि कभी टैक्स नहीं लगेगा भविष्य का जितना हिस्सा आपके सामने बिलकुल साफ दिखायी देता है, जिसके अन्दर किसी किस्म का संदेह न हो, किसी किस्म की शंका न होती हो, उस हद तक कोई आदमी कह सकता है उससे आगे नहीं कह सकता। मैंने तो सिर्फ उतनी हद तक कहा जितनी हद तक कोई इंसान जा सकता था। एक सवाल यह भी हुआ मेरे दोस्तों ने बताया कि एक गढ़ा खोद रहे हो अपने हाथों से, यह गवर्नमेंट गढ़ा खोद रही है जिसके अन्दर अगली गवर्नमेंट आकर गिरेगी। मेरे दोस्तों ने उधर से जवाब दिया था वह दूसरी चीज नहीं रखते हैं। यहां उन्होंने बड़ी माकूल बात कही। बहुत सही बात कही उसकी जो बुनियाद है वह मैं आप से अर्ज करूं। जितना डेवलपमेंट वर्क होता जायगा यहां के लोगों की आमदनी बढती जायगी। प्लान क्या है। प्लान के लिये कैसे भी लफ्ज इस्तेमाल कीजिये, बातें कहिये प्लान के मानी जो इस वक्त हमारे सामने है वह सिर्फ एक है, हम कहते हैं कि जीवन का स्तर उठ जाय, और फलां हो जाय, मानी उसके कुछ नहीं है सिवा इसके कि जो यहां के रहने वाले आदमी हैं, जो मुख्तलिफ जरायों से कमाते हैं उनकी आमदनी बढ़ जायगी और उस प्लान के बनाने वालों ने भी कहा कि २२ वर्ष के अन्दर हर आदमी की आमदनी दुगनी हो जाय। अब उनका टारगेट कम हो या ज्यादा हो, वह अलग बात है। लेकिन जो असली काम है वह यह है कि यहां के आदमियों की आमदनी बढ़ती रहे। यही कोशिश है। इसी से इन सबका बनाव है। अगर इस कोशिश को सफलता मिलती है और आमदनी उससे बढ़ती है तो कौन सा मुल्क है दुनिया में जिसकी गवर्नमेंट ने बढती हुई आमदनी का हिस्सा अपने कामों को चलाने और उन कामों को करने के लिये न लिया हो जो देश के फायदे के लिये हों? जितनी जनता इस काबिल होती जायगी ज्यादा देने के, वह देगी, मैं नहीं लूंगा तो कोई दूसरा होगा लेने वाला मैं अपनी आंखों से जितना देखता हूं, जितनी एकता पाता हूं वहां तक जाता हूं जहां नहीं एकता पाता हूं छोड़ देता हूं। फिर और कुछ सोचता हूं और यह सोचता हूं कि मुझे कहीं और जगह से इन्तजाम करना होगा फिर यह भी सोचता हूं कि मंत्रिगण जो यहां पर बैठा है और यह जो कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत अपने हाथ में इस प्रदेश की ली है और इस प्रदेश को सुधारने की और इसकी माली हालत को ठीक करने की जिम्मेदारी ली है उसको हमें पूरा करना है। लिहाजा जो कुछ भी यत्न करें या जो कुछ भी कर सकते हैं उसको करें और उसको अन्जाम दें। मगर वह सुरतें अगर न हों और उन दकियानूसी ख्याल को रखते हों जो कि एक बहुत पुराने जमाने के ख्याल हों तो इस वक्त हम उन ख्यालों को लेकर नहीं चल सकते हैं। आज आंखों के सामने बड़ी रोशनी की जरूरत है। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि हम यह हिम्मत रखते हैं इस बजट में और आज पहली दफा उत्तर प्रदेश के अन्दर हम इस बात को कहते हैं कि चाहे उतना रुपया हमारे पास न रह जाय, लेकिन हम उन कामो को पूरा करने की कोशिश करेंगे। यह बजट ऐसा है जिससे यहां के रहने वालों की जरूरत पूरी होती है। मगर कहा गया इसके बिलकुल खिलाफ। आज आप देखते हैं कि उस खर्च करने का नतीजा क्या हुआ। नतीजा यह हुआ जो कि मैंने अर्ज किया। जो कुछ हमने किया, यहां पर खुशहाली हुई और प्रास्पैरिटी हुई वह हुआ उससे जो हमने अब तक यहां पर किया। उनकी निगाह में मैंने क्या किया वह गलत किया इसलिये कि मैं उस काम को करने को तैयार नहीं था। वह दोस्त साहब आज तशरीफ नहीं रखते हैं। उन्होंने हर दफा अपनी तकरीर में मुझे मजबूर किया इस बात पर कि मैं उनको आंकड़े दिखाऊं और उनको आंकड़े बतलाऊं। मैं कहीं से आंकड़े तलाश करके लाया। पिछले साल की भी उनकी तकरीर देखी जाय और उससे पिछले साल की भी तकरीर निकाल कर देखी जाय और अब जो यह बजट पेश हुआ था उसका भी मुलाहिजा फरमायें, हर रोज उनका यही तकाजा कि आंकड़े लाइये। मैं बेपढा लिखा आदमी, मैं सोचता हूं कि आंकड़े क्या होते होंगे।

श्री गेंदासिंह--(जिला देवरिया)--फाइनेंस मिनिस्टर तो बेपढा लिखा आदमी नहीं होना चाहिये।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं बीच में ही अर्ज करना चाहता हूं कि उन पढे लिखे लोगों से अल्ला बचाये कि जिनका जिकर मेरे दोस्त ने अभी किया है। और उन बे पढे लिखे लोगों के हाथ में पब्लिक की किस्मत अल्ला रखे जो उनकी खिदमत करने के लिये अपने को तैयार रखे और जिनसे जनता की खिदमत होती रहे। तो वह आंकड़े मैंने अपनी बजट की स्पीच में पेश किये। लेकिन आंकड़े की बात सुनकर जो चीज मैं समझा वह यह समझा कि आंकड़े कोई सही नहीं पेश किये गये। आंकड़ों से अगर कोई यह समझता हो कि उनसे सही पता चल जायगा तो इनसे सही पता नहीं चल सकता है। मेरी स्पीच को आप पढ जाइये मैंने उस स्पीच में यह अर्ज किया है कि सूरज कहीं बादल में छिप गया तो यहां पर बड़ा भारी फर्क पड़ गया।

यह मैंने एक एम्बलम के तौर पर बात कही कि जरा-जरा सी तब्दीलियां और बड़ी-बड़ी तब्दीलियां जो इस उत्तर प्रदेश में हों, पूरे भारत में हों या दुनिया भर में हों उनसे इस एकोनोमिक स्फीअर के अन्दर कुछ तब्दीलियां होती रहती हैं। इन सब उतार-चढ़ाव का बिलकुल एक्यूरेट नतीजा दिखाना मेरे नजदीक कोई आसान बात नहीं है। अब तरीका क्या हो तो इसको समझाने के लिये अब मैं यह कहूं कि मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं और गांववाले जो बे पढ़े-लिखे आदमी होते हैं उनसे कहा जाय कि उसको समझ ले कि इससे उनको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। मैंने बजट स्पीच में यह अर्ज किया था कि किसी गवर्नमेंट के कामों को इस नजर से देखने के लिये कि वह कितने लाभदायक हैं उनकी ओर देखना चाहिये। हमें यह देखना चाहिये कि उस गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन यानी उत्पादन के साधनों को कितना पैदा किया। अब एक गांव वाले से मैं कहूं कि गांव के अन्दर जो रकबा काश्त होती है वह पहले १२ सौ बीघा थी और अब १८ सौ बीघा है तो वह फौरन समझ जायगा कि उत्पादन बढ़ गया है, उसकी फौरन समझ में आ जायगा। मैंने अर्ज यह किया कि कुछ आंकड़े ऐसे हैं दुनिया के अन्दर कि जिनको देखने के लिये आंखें चाहिये। उनके लिये मैंने आंकड़े पेश कर दिये। अब उनकी जबानी मैंने सुना कि खुशहाली बिलकुल नहीं आयी बल्कि जो पहले थी वह भी छिन गयी। आंकड़े उनके पास थे, वे पढे-लिखे हैं उनको समझ लेना चाहिये था। एक मोटी सी बात है। गेहूं है। इस साल वह तीन सेर का बिका, अगले साल हो सकता है साढ़े तीन सेर या चार सेर का बिके और यह भी मुमकिन है कि कोई बात ऐसी हो जिसकी वजह से ढाई सेर का ही रह जाय। तो कीमतें तो घटतीं-बढती ही रहती हैं। हर साल कुछ न कुछ तब्दीली होती ही रहती है। जहां तक उत्पादन का संबंध है, जो गल्ला इस साल हुआ दूसरे साल उससे कुछ कम या ज्यादा उससे अगली साल कुछ और हो सकता है। इसी तरीके से कीमत में भी अदलाबदली होती रहती है। हर साल की कीमत का हिसाब होता है। मैं समझता हूं कि उन्हें यह सब मालूम होगा, क्योंकि वह तो पढ़े लिखे का गिरोह मुझे मालूम होता है, तो आंकड़ों से ऐसा नतीजा निकालने के लिये जिससे किसी आदमी को वाकई हकीकत नजर आये इस बात की जरूरत है कि कीमतों के लिये हर रोज के आंकड़ों की जरूरत नहीं है बल्कि किसी एक साल की कीमतों को पहले मालूम कर लें और उसको बेस इयर मान लें और फिर उससे दूसरे सालों का अंदाजा लगा लें कि क्या आता है ? उसकी बेसिस पर फीगर्स रखा है और वह बिलकुल उलट गया और जो नतीजा निकला वह उसके खिलाफ निकल आया खुलासा उसका यह है कि इन सब चीजों का नतीजा यह है कि इस वक्त इस स्टेट की आमदनी जो है, चाहे उसे स्टेट इनकम के नाम से कहा जाय चाहे नेशनल डिविडेंड के नाम से कहा जाय वह सन् ४६–४७ के मुकाबले में १ अरब ४२ करोड़ बढ़ी है। इसकी तरदीद में न कोई आंकड़ा आया और न उसकी तरदीद में कोई अल्फाज कहे गये। जो बजट के आंकड़े थे उसकी निस्बत कहा गया कि यह सही है, यह गलत है, इसका यह नतीजा है, उसका यह नतीजा है लेकिन इसकी बाबत कुछ नहीं। तो उसका आखिरी नतीजा यह आया कि इस स्टेट की आमदनी बढ़ी है। मैं यह नहीं कहता कि बड़ा भारी काम हो गया शायद उनका यह ख्याल हो कि इसका मतलब यह है कि राज्य के लिये जो कुछ हो गया वह हो गया वह हो नहीं चुका, यह तो उसकी शुरुआत है और बहुत थोड़ा सा है। उसी सिलसिले में यह भी कहा कि बेरोजगारी है। मुझे हैरत है, जो स्पीच के अन्दर लिखा है, उसको छोड़ दें, उसको भूल जावें और उसमें एक दूसरे हिस्से को लेकर उसके मुताल्लिक कुछ कहना शुरू करें और यह बतलावें कि यह कहा गया है कि यू० पी० सरकार यह समझती है कि इस राज्य में तो बेरोजगारी

है ही नहीं। यह बात बिलकुल गलत है कि हम इस बात को नहीं समझते हैं कि इस राज्य में बेरोजगारी है। मैंने यह कभी नहीं कहा, बल्कि मैंने यह कहा कि ये आंकड़े जहां तैयार होते हैं वहां से तैयार होकर आये और उसका नतीजा यह हुआ कि यह नतीजा निकाला गया। मैंने अपनी बजट स्पीच में बतलाया कि आंकड़े मौजूद हैं और बेरोजगारी चाहे गांव में हो, चाहे शहर में हो, लखनऊ में हो या कहीं भी हो उसको हमें दूर करना है। इस चीज को हम मानते हैं और अगर पिछले साल के बजट को देखा जाय और इस साल के बजट को भी देखा जाय तो मालूम होगा कि उसमें बेरोजगारी को दूर करने वाली स्कीमें हैं या नहीं। अगला जो हमारा प्लान बना है उस प्लान में प्रायरिटी अगर बेरोजगारी को दी जाती है तो वह क्यों? अगर यू० पी० गवर्नमेंट इस बात को नहीं मानती है तो इसको प्रायरिटी कैसे देती? बदकिस्मती से जो सन् १९५१-५२ की आडिट रिपोर्ट थी वह बट गयी। अगर कोई चीज किसी को गलत रास्ते पर ले जाती है तो वह बदकिस्मती तो है ही। उसमें से यह कोट किया गया है और यह दिखलाने के लिये कोट किया गया है कि जान-जान कर बजट के अन्दर करोड़ों रुपया फजूल रख दिया जाता है जो वाकई में खर्च करना मंजूर नहीं होता है। और इस तरह की फीगर्स को उठा कर जो उसमें लिखा हुआ है पढ़ दिया गया। जिन बातों को उन्होंने अर्ज किया, अगर मैं अर्ज करता और हुजूर के इल्म में आती तो मुझे नहीं मालूम कि उसपर आप क्या फतवा लगाते? बहरहाल, फर्ज कीजिये कि २ करोड़ रुपये इसमें लिखे गये हैं। लेकिन यह रुपया जमींदारी उन्मूलन के वास्ते रखा गया था, लेकिन उस साल में जमींदारी मंसूख नहीं हुई थी और वह रुपया बच गया। और इसी तरह से जो ५ या ६ मदें हैं सबमें ऐसा ही है। दूसरी बात खासतौर से बिजली के लिये कही गई। अब हुजूर बिलायत से मंगाई गई और उसके डेलीवरी के लिये साल डेढ़ साल मुद्दत वह बतला देते हैं कि हम इसको बनाकर इतने वक्त में दे देंगे। उसके हिसाब से वह मशीन उस साल में आने वाली थी और उसके पेमेंट के लिये उसमें रुपया रखा गया। लेकिन वहां से डेलीवरी नहीं हुई और वह रुपया दिया नहीं गया और वह रुपया बच गया।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--यह तो आडिटर जेनरल ने लिखा है। हम तो नहीं कहते हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--उसने लिख ही तो दिया, वह कहने तो आया नहीं कि क्या हुआ है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं वह भी तो आप सुनें। तो वह नतीजा नहीं निकल सकता जिसको हमारे दोस्त ने निकाला।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--उसमें से पढ़ तो दीजिये?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--हुजूर, वह फरमा रहे हैं कि पढ़ दीजिये तो मैं पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष--क्या अभी जरूरत पढ़ने की बाकी रह गई। (हंसी)

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम--मुझे तो जरूरत नहीं बाकी रह गई (हंसी) मुझे तो कतई जरूरत नहीं है लेकिन जो जानना चाहते हैं उन्हें सुनाना चाहता था। और जो भी कापी मांगेगें उनको दे दूंगा मेम्बरान के पास तो है ही। तो खुलासा यह निकला कि जो काम इस स्टेट में हो रहे हैं उसके लिये जो रुपया रखा गया है और उससे जो काम करने हैं और उनसे जो नतीजे निकलने वाले हैं उनको मैंने अभी स्पीच में बयान कर दिया जैसा मैं समझा और अब हर हर डिपार्टमेंट की जो बात उसके अन्दर आई उनका जवाब नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक बात की तरफ जो मैंने सुनी और जिसकी निस्बत मैं अर्ज करना चाहता हूं वह ला ऐंड आर्डर की है। तो मैंने बजट स्पीच मे लिखा। एक बात की हुजूर मैं माफी मांगता हूं कि हिन्दी का कोई मैं बड़ा भारी आलिम नहीं हूं। हो सकता है कि हिन्दी का कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल हो गया हो लेकिन जिस सेंटिंग में वे अल्फाज इस्तेमाल किये गये हैं वह सेंटिंग पुकारेगी कि इस मानी में यह अल्फाज इस्तेमाल किये गये हैं। तो मैं हुजूर के जरिये से मेम्बरान को यह बतलाता

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

हूं कि मेरी स्पीच को फिर पढ़ लेते और वह देखें कि मेरा वही मतलब निकलता है जो मैं अर्ज कर रहा हूं या कोई दूसरा निकलता है और वह यह है कि ला एन्ड आर्डर के अन्दर एक चीज प्रामीनेंस की यह है कि डाकुओं का मामला। डाकुओं के गिरोह बन गये हैं और डाका मारते फिर रहे हैं। क्या मैं उसके बजाय यह करता कि ला ऐंड आर्डर की पोजीशन में फीगर्स देता कि इतनी डकैतियां हुई, इननी चोरियां हुई, इतने कत्ल हुये तो मेरे नजदीक उससे वह मतलब हासिल न होता जो मतलब मैंने हासिल किया। वह क्या है ? गवर्नमेंट यह कोशिश करे कि यह डाकू एक्सटिंगुईश हों, उनका वजूद न रहे, वे बाकी न रहे। मैंने स्पीच में भी यही बतलाया कि इतने-इतने आदमियों की गिरफ्तारी हुई, और पुलिस ने ये ये नुकसानात गिरोहों को पहुंचाये और यह-यह कार्यवाही पुलिस ने की तो हुजूर बतलायें इससे क्या यह साबित होता है कि कोई काम पुलिस ने नहीं किया। इस स्टेट के अन्दर फर्ज कीजिये १५ नामवर डाकू हैं, उनमें से हमने ५ पकड़े तो क्या यह कोई काम नहीं हुआ, या कोई तरक्की नहीं हुई और इसके निस्बत यह अल्फाज इस्तेमाल हो ही नहीं सकते कि ला ऐंड आर्डर की जो पोजीशन है वह इम्प्रूव हुई है और आगे इम्प्रूव होगी। अंग्रेजों के तरीके की मिसाल दी गई। उस हुकूमत का वह तरीका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अख्तियार करती यानी डाकुओं को पुलिस से पकड़वाना। वह तरीका क्या था उसे भी हुजूर अर्ज कर दूं। यह भी कहा गया कि इससे यह न समझा जाय कि वह अंग्रेजों की हुकूमत को अच्छा समझते हैं और उनका मतलब यही समझ लिया जाय कि अंग्रेजों की हुकूमत में इतना अच्छा इन्तजाम होता था। मतलब ला ऐंड आर्डर से था। क्या अर्ज करूं। मुझे नाम याद नहीं आता। बड़ा नोटोरियस डाकू था इस सूबे के अन्दर। मेरे भाई चरणसिंह ने उसका नाम लिया था।

श्री चरणसिंह—सुल्ताना।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—हां सुल्ताना ही था। सुनने की बात है। मैंने उस जमाने में मेम्बरी की। हमको वह हालात मालूम होते रहे। तो मैं अर्ज करूं हुजूर कि वह इतना जबरदस्त था कि ७ वर्ष तक वह जबरदस्त कूवत वाली हुकूमत, जिसके पंजे लोहे के थे, उसके कब्जे में नहीं आया और एक खास आदमी इंस्पेक्टर जनरल के ग्रेड का यंग साहब, इंस्पेक्टर जनरल बनने के बजाय उसके एक्सपेडिशंस का इंचचार्ज रहा। उसने मुसलसल इस बात की कोशिश की, लाखों रुपया खर्च हुआ तब ६, ७ वर्ष बाद उसे गिरफ्तार कर सका। अब मैंने देखा कि भाई, पुलिस के जरिये से डाकू को पकड़ा जाय तो यह तो मैंने तकरीर में सुना कि अनडेमोक्रेटिक बात है तो मैंने सोचा कि डेमोक्रेटिक बात क्या होगी ? डेमोक्रेटिक बात के लिये कहा गया कि लोगों से काम लिया जाय, जनता से काम लिया जाय, जनता को इस काबिल बनाया जाय। मैं सोचता हूं कि या अल्लाह, मेरी जो तकरीर थी वह क्या हुई, कहां मिट गई, कहां गायब हो गई, यह जो सब इसके बारे में मैंने लिखा था वह कहां चला गया ? उसमें मैंने लिखा है कि पुलिस से डाकुओं को पकड़वाया और गाँव-गांव की सोसाइटी जनता की बना दी और उनको तरीका डाकुओं को पकड़ने का और उनका मुकाबला करने का बतला दिया, उनके अन्दर हिम्मत पैदा की और उन्होंने इस काम को शुरू कर दिया। यह ला एन्ड आर्डर के मुताल्लिक जो आलोचना यहां हुई उससे मुझे ताज्जुब हुआ कि किस हद तक ? शायद मैं भी होऊं, मगर था नहीं ? और कोई गवाही देने वाला तो नहीं है सिर्फ चीफ मिनिस्टर साहब ही हैं। मैं और वह (सामने की ओर इशारा कर) वहां बैठा करते थे और हमने उस काम को किया जो आज वहां बैठने वाले करते हैं लेकिन हमने कभी उस अंग्रेज के किये हुये को भी इस तरह से मिटाया नहीं जिस तरीके से आज मिटाया जाता है और उसका नतीजा यह होता है कि जैसा की चीफ मिनिस्टर साहब अपनी तकरीर में कह रहे थे कि हम लोगों के अन्दर एक डिमोरेलाइजेशन पैदा हो गया है और यह मुल्क की खिदमत के बजाय उसके खिलाफ एक काम करना है। जिसको डिस सर्विस कहते हैं कि उनके अन्दर यह बात फैलाई जाय कि यहां कुछ नहीं हो रहा है, यहां किसी किस्म की तरक्की और डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। यह भी फरमाया गया कि मऊ में क्या हुआ। कहा गया कि

बरतानियां हुकूमत का नमूना पेश किया गया। मिर्जापुर की बात भी कही गई और एक बात सबसे अलग और जिसके बारे में यह कहा गया कि इसके पहले हिन्दोस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई थी वह यहां की गई, वह बात इस हुकूमत के जमाने में हुई कि एक गांव के ऊपर करपयू लगाया गया। हरदइया, या ऐसा ही कुछ नाम है गांव का आगरा में जहां करपयू लगाया गया। मऊ का वाकया बयान करूं। वहां रात को किसी आदमी का एक प्राइवेट वाच करने वाला आदमी अपनी ड्यूटी दे रहा था। वहीं पास में एक दरख्त था और उसकी आड़ में कुछ साहब छिपे हुए थे जो वाच कर रहा था उसको कुछ शुबहा हुआ और उन में कुछ कहा सुनी होने पर उन लोगों ने जो छिपे हुये थे उसको पीटा। शोर होने पर और आदमी आ गये। जो मुझे मालूम हुआ वह यह था कि उसमें कुछ कम्युनिस्ट भाई भी थे, उन आने वाले आदमियों में नमूना तो है, पूरा मैंने देखा नहीं। तो जो लोग आये उन्होंने यह शोर मचाया कि पुलिस वालों ने लोगों को पीटा और वहां की जनता ने यह शोर मचा दिया कि पुलिस वालों ने हम को मारा है बिला वजह और वह चार हजार के करीब लोग जमा होकर थाने में दौड़ गये। अब वह थाने में घुस रहे हैं और पुलिस वाले यह कोशिश करते हैं कि वह लोग थाने में घुस न पायें। मैं जानता नहीं कि जब वह सोशलिस्ट पैटर्न की हुकूमत कायम होगी, जैसा कि शोर हो रहा है तो उसमें इस तरह की बातों के मुताल्लिक क्या होगा? क्या ढंग निकलेगा, वह क्या तरीका होगा, या तो शायद यह हो कि वह हुकूमत ही ऐसी होगी कि जो चाहे उसे पीट ले और जिस वक्त जिसका जी चाहे निकाल दे

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अर्दाया से आप मऊ तशरीफ ले गये।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—वहां भी आता हूं। खैर तो वहां कुछ फायरिंग हो गई, करनी पड़ गई उसमें दो साहब जख्मी हुये जो शफाखाने उसी वक्त पहुंचा दिये गये और अच्छे हो गये। एक डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट आफ पुलिस, २ सब-इंसपेक्टर, २ हेड कांसटेबिल और ६ कांसटेबिल यह सब उसके अन्दर जख्मी हुये। उससे अन्दाजा किया जा सकता है। यह नक्शा है। अगर मैं आज वे हरकतें करूं कि जो हरकतें बरतानियां गवर्नमेंट के जमाने में बदमाश किया करते थे तो मैं यह जानना चाहूंगा कि उन तरीकों को और अख्तियारों को इस वक्त किया जावे। अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने फरमाया, मैं उन लफ्जों को फिर कहना नहीं चाहता "वह तरीका तो बता दो तुम्हें चाहें क्यों कर"। क्या तरीका अख्तियार किया जाय। हमने जो किया सब गलत किया मगर आप बतायें कि हम क्या करें। तो इस सूरत में जो मैंने अर्ज किया कोई बतला दे कि हम क्या करें।

एक बात मैं भूल गया उसके लिये मैं हुजूर माफी चाहता हूं। उस सिलसिले में मैं कह रहा था। यह जो शराब पी जाती है उसका जिक्र हुआ, गांजे का भी था, कौन सी चीज का नहीं था? उसमें यह जो शराब बन्दी का मामला चल रहा है इसके मुताल्लिक यह कहा गया कि गवर्नमेंट चाहती क्या है समझ में नहीं आता। शराबबन्दी करना चाहिये और शराबबन्दी का नाम है और शराबबन्दी है कई जगहों में और स्टेट भर के अन्दर शराब का पीना भी बढ़ता जा रहा है उसकी फीगर्स निकाली गई कि इतनी पी जाती है। अच्छा वह भी मैंने सुना। तो यह है मेरे पास फीगर्स देख लें। सन् १९४६-४७ से ले करके जो फीगर्स आज सन् १९५२-५३ की हैं उसके मुकाबले में साढे तीन लाख गैलन कम है। तो इस तरह देखना चाहिये कि कम है। लेकिन नतीजा उल्टा निकाला गया।

ऐसे ही गांजे का मामला। साल ब साल की फीगर्स देख ली जायं एक यह तरकीब की गई, तरकीब क्या जरूरत की वजह से और मैंने उस वक्त मालूम किया जरूरतन कि साहब गांजा जो है यह क्या दवा भी है। तो डाक्टर साहब से मुझे मालूम हुआ कि दवा भी है, जैसे अफीम होती है ऐसे गांजा भी एक दवा है। तो जो हमारा डिपार्टमेंट है, नैपाल में जो गांजा होता है वह हमारे यहां के गांजे से अच्छा समझा जाता है, यह चाहा कि इस शराब के बजाय अपने यहां अच्छी किस्म का गांजा पैदा करें और उसकी तरक्की के लिये कोशिश की और स्मगलिंग जो होती है नैपाल से उसको रोकने की कोशिश की जाय। बहस में वह बात भी आयी

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

कि गांजा जो है वह भी बढता जा रहा है। तो बढता तो नहीं जा रहा है, न शराब बढती जा रही है और न गांजा बढ़ता जा रहा है। यह बात पहले कही गई कि यह एक ऐसा काम है कि जिसको गवर्नमेंट ने ११ जिलों में जारी कर रखा है और धीरे-धीरे वह चलाना चाहती है और मकसद उसका ठहराव के साथ चलने का सिर्फ यह है कि जहां-जहां जो-जो चीज ली जाय, जो काम उठाया जाय, वह सालिड भी होता चला जाय और उससे कुछ तजुर्बे भी हमको हासिल होते चले जायं और उन तजुर्बों से जो फायदे उठाये जा सकते हों वह फायदे हम उठायें। यहां एक दो बातें कही गई हैं। मैं इतना अर्ज कर दूं कि काम करने के दो तरीके हैं। जो हमारा तरीका है, कम से कम कांग्रेस वालों का वह है जिसको हम कहते हैं, आर्डर्ड प्रोग्रेस, दर्जे बदर्जे तरक्की यों समझिये और एक दूसरा तरीका है जैसा दूसरे लोगों का है कि मार, काट, कत्ल करके मुल्क के अन्दर सबको मारकाट कर अपने मालिक होकर बैठ गये। तो तरीका तो यह है। तो साहब वह तरीका तो हमने नहीं रखा है। हमको तो गलत कहो या सही कहो, हम तो इस तरीके पर चलते हैं कि जितने आदमी हैं वह जिन्दा रहें, जितने आदमी हैं वह सुख से रहें.....

श्री अध्यक्ष—माननीय वित्त मन्त्री की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैंने यह कहा कि हमारा तरीका तो यह है कि जितने आदमी हैं मुल्क में वह जिन्दा रहें, सुख से रहें, कोई गड़बड़ी पैदा न हो और शांति के साथ हम इस रास्ते पर बढते चले जायं और तरक्की होती जाय। तो हम लोग जो हैं वह तो इसके कायल हैं और यह तो पंडित जवाहर लाल जी ने भी कहा है, मुझे याद है, इस बात को बाबत कि हमारे और उनके तरीकों में फर्क है। तो जब हमारा तरीका यह है तो हम तो हर चीज को अच्छी तरह से जांच करके करेंगे। कितनी ही स्कीमें हैं गवर्नमेंट की इस तरह की, एक एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के सेपरेशन की स्कीम है, उसके भी नतीजे जांचे जा रहे हैं, वह भी चन्द जिलों के अन्दर है, चन्द जिलों के अन्दर नहीं है, उसको भी जांच अरके आगे बढाया जा रहा है और बढाया जायगा उसको। तो इस तरीके से काम करने वाले जो हैं, उनका काम भी इस तरीके से जांचा जाय और अगर कोई यह समझता हो कि हमारा जो काम करने का तरीका है वही बिलकुल गलत है और जो दूसरा तरीका है वही सही है, वही तरीका होना चाहिये तो उसके कहने की तो यह जगह नहीं है क्योंकि मैं हिस्ट्री का इतना जानकार तो नहीं हू। मगर वैसे हो मैं कहता हूं कि शायद मैं तो यह समझता हूं कि वह आदमी जो कि लेजिस्लेचर में बैठकर तकरीरें करते हों, उन्हों ने शायद रिवल्यूशन तो किया न होगा कभी। वह तो कोई और ही होंगे जिन्होंने कि रिवोल्यूशन किया होगा या जो कि रिवोल्यूशन करते होंगे? जो कि एक की जड़ को उखाड़कर दूसरे की जड़ जमाते होंगे। लेकिन लेजिस्लेचर के जरिये से वह नहीं होता होगा। जहां लेजिस्लेचर के जरिये से काम होगा वहां तो इसी तरीके से होगा।

खैर, एक जरा सी बात और अर्ज कर दूं। एक बात यह मैं अर्ज करना चाहता हूं गलतफहमी हो रही है, कुछ कहा मेरे भाइयों ने इधर से और उन्होंने भी कहा कि जो रुपया हरिजनों के लिए रखा गया है उसको यह कहके कहा कि सिर्फ एक लाख रुपया बढाया गया। तो मैं केवल उन्हीं के लिये नहीं कहता बल्कि हम तो सारी ही खिदमतों को जो भी हम कर रहे हैं, उन सबके लिये यह कहते हैं कि वह कोई काफी नहीं है। मेडिकल डिपार्टमेंट में जो काम होना चाहिये वह नहीं कर रहे हैं और वह यह एतराज करते तो मेरी समझ में आ सकता था लेकिन यह एतराज कि हरिजन गरीब को बिलकुल अलग कर दिया यह बात समझ में नहीं आयी। मै तो समझता यह हूं कि जो रुपया इस बजट में रखा गया है वह सभी के लिए है। कौन सी चीज है जो हरिजन के लिये नहीं है? खेती में हरिजन का हिस्सा नहीं है? प्रोडक्शन जो इस देश के लिये होगा क्या उसमें हरिजन हिस्सेदार नहीं होगा? वह तो कुछ खास चीजें उनके लिये है उसके लिये वह अलग से इन्तजाम है और उसमें वह शरीक है। उसमें ७० लाख रुपया पहले था, अब इस बजट में ७४ लाख रुपया है। और एक करोड़ ६ लाख रुपया उस के लिये है कि यूनिवर्सिटियों में जो

लड़के पढ़ते हैं उनकी फीस माफ की जाय, उनकी माफी के लिये यूनिवर्सिटियों को कम्पेंसेट करने के वास्ते रुपया इस साल रखा गया है आगे पढ़ाने के लिये। यह ऐसी खुली बात है जिसे हर शख्स समझ सकता था और कोई गलतफहमी का मौका नहीं था। इस बजट में तीन करोड़ रुपया इसलिये रखा गया कि उससे उन आदमियों के मकान बने कि जिनकी आमदनी ५०० रुपया और उससे कम है। इस साल वह रुपया रखा गया ?

एक सदस्य—किस क्लास के लिये ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—वह जो अंग्रेजी जमाने की विरासत है वह उसी तरफ चली जा रही है। अभी तक चली जा रही है ३ करोड़ रुपया इस बजट में इस लिये रखा गया है कि जिन लोगों की आमदनी ५०० रुपया माहवार हो और उससे कम हो, उनके मकान बनें उससे, जो मकान कि १० हजार रुपया तक का हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब मुझे यह बतलाइये कि वह कौन सा हरिजन है जिसकी आमदनी ५०० रुपये से ज्यादा है ? कितने होंगे ? जितने हरिजन हैं वह उसके अन्दर शामिल होंगे या नहीं ? जब उनको मिलने लगेगा तो क्या वह वापस कर देगा ? वह रुपया इसके अन्दर है।

एक भाई ने उधर से फरमाया कि गांवों के अन्दर जो मकानों की कमी है उस ओर ध्यान नहीं दिया है गवर्नमेंट ने। मैंने यह अर्ज कर दिया इस बजट स्पीच के अन्दर कि एक कमेटी मकानों की बाबत गवर्नमेंट ने बिठला रखी है और एक लाख कई हजार मकान का तखमीना उसने दिया है और उसके सुपुर्द यही रूरल एरिया है कि जिस किसी को मकान की जरूरत हो वह उसके अन्दर शामिल हो जाय। जब उसकी रिकमेंडेशन्स आ जायेंगी तो गवर्नमेंट उनके मातहत अमल करेगी। मिडिल क्लास के लिये बात यह है कि पहले से एक योजना चली आ रही है। कुछ मकान वगैरा कबाल टाउंस के अन्दर बनते हैं। कितना उद्योग धंधों का किस्सा सुना जाय, उस चीज को इसमें मुलाहिजा फरमालें और उससे मालूम होगा कि कितना रुपया है जो मिडिल क्लास के लिये रखा गया है। मैंने फिगर्स कोट नहीं किये हैं अरबन एरिया के अन्दर जो आमदनी है मिडिल क्लास के लोगों की जो अमूमन शहर में रहते हैं, उसको इसके अन्दर पढ़कर देख लो। अगर किसी को आईना देखना है फिगर्स का कि क्या आमदनी है उसमें तो वह मौजूद है। वह है किस वजह से, यह दूसरी चीज है। जिनका इन्तजाम गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। मैं हुजूरवाला, जनाब और इस ऐवान के तमाम मेम्बरान का .....

एक सदस्य—गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बारे में बतला दीजिये।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—गोरखपुर यूनिर्सिटी के बाबत तो मैंने कह दिया है कि मकान बन गया है। यह कोई कागज के ऊपर की बात नहीं है बल्कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और कानून यहां आ रहा है और इस ऐवान से पास होने पर वह दूसरे ऐवान में जायगा। रुपया बजट में रखा हुआ है।

श्री गेंदासिंह—इसके रुपये के बारे में बतला दीजिये।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—एक लाख रुपया बजट में इसके लिये रखा हुआ है। हुजूरवाला, मैं मेम्बरान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बजट को पढकर और स्पीच को सुनकर उसकी बिना पर नेकनियती से जो राय दी है, इस गरज से कि गवर्नमेंट उनसे फायदा उठाये तो उनमें से जो राय इस किस्म की मिलेंगी कि जिनसे फायदा उठाया जा सकता होगा तो इसमें कोई शुबह नहीं कि जरूर फायदा उठाया जायगा।

एक बात मैं और अर्ज कर देना चाहता हूं और वह ऐसी है कि मेरे नजदीक या ख्वाह कोई भी हो कि उत्तर प्रदेश में जो रुपया अनअप्रिसीडेंटेड तमाम बजटों में आज तक जो बने हैं किसी जमाने में भी यू० पी० में ९० करोड़ रुपया एक बजट के अन्दर खर्च करने के लिये रखा हो। यह

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

मौका मेरे लिये, यू० पी० की गवर्नमेंट के लिये और सरकारी मुलाजमीन के लिये इस बात के लिये है कि वह टारगेट को जो पहली पंच वर्षीय योजना का है अगले साल मार्च तक पूरा करें और इस रुपये को जो इस बजट में रख रहे हैं, यहां की बेहतरी के लिये और यहां के डेवलपमेंट के लिये, उसका पैसा-पैसा खर्च हो जाना चाहिये उन्हीं कामों और जरूरतों पर जिनके लिये यह रुपया रखा गया है। हम लोग इसी तरह से हर साल इस प्रदेश की उन्नति, तरक्की और इसके बढ़ाने और चढ़ाने के ऊपर खर्च करें और हम सब मिलकर इस देश को अपना वतन समझकर इसकी जी-जान से खिदमत करें।

श्री रामेश्वरलाल द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि माननीय रामेश्वरलाल जी अपना इरादा यह जाहिर करते हैं कि वह एक नोटिस देंगे इस सदन में विशेषाधिकार की अवहेलना के सम्बन्ध में उस पत्र के आधार पर जो पत्र माननीय मलखानसिंह जी ने लिखा है। इस सम्बन्ध में माननीय मलखानसिंह जी का भी इसी तरह का संकेत आ चुका है। मैं इसके लिये यह निश्चित करता हूं कि वह सोमवार तक इसको उपस्थित कर सकते हैं अगर वह उपस्थित करना चाहें। इसके बाद मैं समझूगा कि देर हो गयी और प्रश्न उठाने की इजाजत देर की वजह से नहीं दी जायगी। प्रश्न के औचित्य के विषय में जब नोटिस आयगा तब मैं फैसला दूंगा।

अब हम उठते हैं और सोमवार को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, २८ फरवरी, १९५५ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२५ फरवरी, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९१ पर)

सूची नम्बर १

१—अधिकारियों का वेतन ।
२—कर्मचारियों का वेतन ।
३—भत्ते और मानदेय (Honoraria)
४—मंहगाई और रहन सहन व्यय का प्रतिकार (Compensatory) भत्ता ।
५—आकस्मिक व्यय (Contingencies)
६—दूसरी विशेष योजनायें और मदें (स्त्री, शिक्षा का प्रसार ।)
७—अनुदान
शिक्षा विभाग द्वारा खोले हुये पुस्तकालयों को सहायक अनुदान ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९२ पर)

सूची नम्बर २

१९५३–५४ में भारत सरकार को भेजी गयी योजनाओं की सूची

१—स्कीम आफ रीओरियेन्टेशन आफ जूनियर हाई तथा नार्मल स्कूल्स ।
२—स्कीम नं० १ इण्टेंसिव डेवलपमेंट इन सिलेक्टेड ब्लाक्स ।
३—वोकेशनल गाइडेन्स ब्यूरो ।
४—बेसिक एजूकेशन ।
५—स्कीम नं० ४ (ए) डेवलपमेंट आफ सिलेक्टेड प्राइमरी स्कूल्स ऐज स्कूल-कम-कम्युनिटी सेन्टर्स ।

(बी) इम्प्रूवमेण्ट आफ सिलेक्टेड हायर सेकेन्डरी स्कूल्स—
(सी) इम्प्रूवमेंट आफ लाइब्रेरी सर्विस ।
(डी) ट्रेनिंग आफ टीचर्स इन दी फील्ड आफ सोशल एजूकेशन—

(१) ट्रेनिंग आफ पब्लिक लाइब्रेरियन्स ऐंड लाइब्रेरी वर्कर्स ।
(२) ट्रेनिंग आफ टीचर्स फार सोशल एजूकेशन वर्क ।

(एफ) डेवलेपिंग एजेंसीज आफ इनफार्मल एजूकेशन ।
(जी) डेवलेपिंग एजेन्सीज आफ प्री-सोशल एजूकेशन ।

विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न नं० ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९२ पर)

तालिका

स्थान जहां केन्द्र स्थापित हैं	कब से खोला गया
१—ग्वालटोली (कानपुर)	१९३७
२—चमनगंज (कानपुर)	१९३८
३—श्रमिक बस्ती, गोविंदनगर (कानपुर)	१९४७
४—श्रमिक बस्ती, हरिहरनाथ शास्त्री नगर (कानपुर)	१९५४
५—जूही, (कानपुर)	१९३७
६—दर्शनपुरवा (कानपुर)	१९४३
७—पुराना कानपुर	१९४३
८—बाबूपुरवा श्रमिक बस्ती (कानपुर)	१९४३
९—गोविंदनगर (कानपुर)	१९५४
१०—डिप्टी का पड़ाव (कानपुर)	१९३७
११—रामनारायण बाजार (कानपुर)	१९४३
१२—कर्नलगंज (कानपुर)	१९४३
१३—मीरपुर (कानपुर)	१९४३
१४—जरीब-की-चौकी (कानपुर)	१९३७
१५—जाजमऊ (कानपुर)	१९४३
१६—आगरा	१९४३
१७—मुरादाबाद	१९४६
१८—बनारस	१९४६
१९—सरकारी प्रेस, इलाहाबाद	१९४४
२०—रामपुर	१९५३
२१—निशातगंज, लखनऊ	१९४८
२२—खलासी लाइन, सहारनपुर	१९४३
२३—मिर्जापुर	१९४४
२४—गाजियाबाद (जिला मेरठ)	१९४६
२५—झांसी	१९५३
२६—रेलवे रोड, फिरोजाबाद (जिला आगरा)	१९४३
२७—सरकारी प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ	१९५४
२८—ब्रांच सरकारी प्रेस, लखनऊ	१९४४
२९—श्रमिक बस्ती, ऐशबाग, लखनऊ	१९३८
३०—क्लटरबगंज, बरेली	१९४३
३१—जैगंज, अलीगढ़	१९४३
३२—सदाबाद गेट, हाथरस	१९४०
३३—बिजली मिल्स, हाथरस	१९४०
३४—रुड़की (फोटो लिथो प्रेस)	१९४४
३५—माधो बाड़ी, बरेली	१९४३
३६—लक्खी गेट, सहारनपुर	१९४३
३७—मदार दरवाजा, अलीगढ़	१९४३
३८—चौबे का बाग, फिरोजाबाद	१९४३

स्थान जहां केन्द्रस्थापित हैं	कब से खोला क्या
३९—हरबंस वाला टी स्टेट, देहरादून	१९५२
४०—हरबर्टपुर, (जिला देहरादून)	१९५२
४१—रामकोला (जिला देवरिया)	१९५१
४२—बलरामपुर (जिला गोंडा)	१९५२
४३—राजा का सहसपुर (जिला मुरादाबाद)	१९५२
४४—खतौली (जिला मुजफ्फरनगर)	१९५१

प्रमाणित

(ई० आई० एल० जैक्सन)

अधीक्षक,

श्रम (ख) विभाग

सत्यमेव जयते

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९६ पर)

१९५३–५४ में गढ़वाल जिले के हरिजनों को दिये गये अनुदानों का विवरण

कार्य	रुपया
१—पेय जल की सुविधा के लिए	१२,५००
२—गृह निर्माण के लिए	६००
३—गृह उद्योग	२,३००
४—हरिजन सहायक उपसमिति को	१,०००
५—अस्पृश्यता निवारण के लिये	१,०००
कुल ..	१७,४००

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९७ पर)

विवरण-पत्र

छात्रावास का नाम	छात्रों की संख्या	अनुदान
		रु०
परिगणित जातीय क्षात्रावास, मेरिस रोड	४०	१३८०
गांधी जाटव क्षात्रावास, खुर्जा	९५	२८६०
कमला नेहरू हरिजन कुमार आश्रम, सिकन्दराबाद।	१९	७३२

सत्यमेव जयते

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०१ पर)

आजमगढ़ जिले के राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों के नाम तथा उनके स्कूलों के नाम जिसमें कि इस वर्ष निःशुल्क अथवा अर्ध-निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं—

क्रम सं०	विद्यार्थी का नाम	कक्षा	संस्था का नाम	निःशुल्क अथवा अर्ध-निःशुल्क
१	विजयकुमार	२	प्राइमरी स्कूल, बढ़ैया	निःशुल्क
२	मान प्रताप सिंह	५	प्राइमरी स्कूल, पीपरी	निःशुल्क
३	सत्यदेव	३	प्राइमरी स्कूल, खरगपुर	निःशुल्क
४	विश्वनाथ राय	६	जूनियर हाईस्कूल, महराजगंज	निःशुल्क
५	रुप्रसाद सिंह	६	जूनियर हाई स्कूल, क्रोयलसा	निःशुल्क
६	उमापति तिवारी	६	जूनियर हाईस्कूल, बढ़ैया	निःशुल्क
७	चन्द्रपाल	८	जूनियर हाईस्कूल, अतरौलिया	निःशुल्क
८	योगेश चन्द्र	७	जूनियर हाईस्कूल, रौनापार	अर्ध निःशुल्क

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०४ पर)

विशेष पदाधिकारियों के कार्यों की सूची।

१—शासन के हेडक्वारटर्स पर विशेष पदा-धिकारी (शिक्षा)	केन्द्रीय सरकार की शिक्षा सम्बन्धी योजनायें तथा स्टेट की शिक्षा सम्बन्धी पंचवर्षीय योजना का कार्य । हरिजन सहायक विभाग का कार्य ।
शिक्षा संचालक के कार्यालय में —	
२—विशेष पदाधिकारी (पाठ्य पुस्तक)	उत्तर प्रदेश के समस्त बेसिक तथा जूनियर हाई स्कूलों के पाठ्य पुस्तक छपाने तथा इससे संबंधित अन्य कार्य। एन० सी० सी० के कार्य की देख भाल करना ।
३—विशेष पदाधिकारी (शिक्षा)	शिक्षा एक त्रैमासिक पत्रिका के लिये लेख एकत्रित करना, उसकी जांच करना तथा उसको छपाने का प्रबन्ध करना । पत्रिका छपाने में जो व्यय इत्यादि होता है उसकी देखभाल करना तथा विभाग की विभिन्न शाखाओं में किये गये कार्यों की प्रगति पर टिप्पणियां तथा भारत के अन्य प्रदेशों तथा विदेशों की भी मुख्य मुख्य खबरों को प्रस्तुत करना ।
४—विशेष पदाधिकारी (भाषा)	शासन के भाषा सम्बन्धी दिये गये आदेशों का तथा स्कूलों में शिक्षा के माध्यम से संबंधित आदेशों, का पालन होता है या नहीं, देखभाल करना अतिरिक्त शिक्षा संचालक के वैयक्तिक सहायक का काम भी करना ।
५—पाठ्य पुस्तक के सहायक विशेष पदा-धिकारी	विशेष पदाधिकारी (पाठ्य पुस्तक) को पाठ्य-पुस्तक संबंधी कार्यों में सहायता देना ।
६—शिक्षा पुनस्संगठन के विशेष पदाधिकारी	प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल तथा नार्मल स्कूलों में शिक्षा पुनः संगठन की नयी योजना को कार्यान्वित करने का कार्य ।
७—विशेष पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)	माध्यमिक शिक्षा पुनस्संगठन योजना से संबंधित कार्य । म्युजियम, विभाग के रचनात्मक कार्य तथा प्रदेश की शिक्षा सम्बन्धी पंच-वर्षीय योजना से संबंधित कार्य ।

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०५ पर)

पर्वतीय क्षेत्र के ऐसे विद्यालयों की सूची जिनमें नेशनल केडेट कोर की यूनिटें हैं

१—राजकीय प्रताप इन्टर कालेज, टेहरी,
२—राजकीय इन्टर कालेज, लैन्सडाउन,
३—रानीखेत हायर सेकेन्डरी स्कूल, रानीखेत,
४—राजकीय इंटर कालेज, अल्मोड़ा,
५—सी० आर० एस० डी० इन्टर कालेज, नैनीताल.
६—राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल, नैनीताल,
७—विड़ला विद्यामंदिर, नैनीताल ।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०५ पर)

राजनैतिक पीड़ितों को कक्षावार दी जानेवाली छात्रवृत्तियां

कक्षा	छात्रवृत्तियों की संख्या	रुपया	प्रतिमाह
१—१ से ५ तक	३०	५ रु०	प्रतिमाह
२—६ से ८ तक	३०	८ रु०	,,
३—९ से १० तक	२०	१२ रु०	,,
४—११ से १२ तक	३०	२० रु०	,,
५—बी० ए०, बी० काम तथा बी० एस-सी०	२५	३० रु०	,,
६—एम० ए०, एम० काम तथा एम० एस० सी०	१५	३५ रु०	,,
७—विश्वविद्यालयों में शोधकार्य के लिये	३	५० रु०	,,

परीक्षा शुल्क तथा पुस्तक आदि के लिये अनावर्तक आर्थिक सहायता

कक्षा	रुपया
१—१ से ३ तक	५
२—४ से ५ तक	१०
३—६ से ८ तक	२०
४—९ से १० तक	३०
५—११ से १२ तक	४०
६—बी० ए०, बी० काम०, बी० एस ०सी	५०
७—एम० ए०, एम० काम, एस० एस-सी०	१००

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०७ पर)

बुलन्दशहर जिले के निम्नलिखित संस्कृत विद्यालयों के सन् १९५३-५४ ई० में आवर्तक तथा अनावर्त्तक अनुदान दिया गया था—

क्रम सं०	विद्यालय का नाम	आवर्त्तक अनुपालन अनुदान	अनावर्त्तक पुस्तकालय अनुदान	अनावर्त्तक अतिरिक्त अनुदान
		रु०	रु०	रु०
१	सांगवेद विद्यालय नरवर, नरोरा	३,५६७	८०	२८०
२	एन० आर० संस्कृत कालेज, खुर्जा	९००	..	..
३	राधाकृष्ण संस्कृत महाविद्यालय, खुर्जा	३,८८८	८५	..
४	१०८ स्वामी भिक्षानन्द, श्रीमती कट्टोदेवी एवं मनोरमा देवी संस्कृत कालेज	८८८	..	..
५	देशबंधु श्री महाराना प्रताप विद्यालय, विशाहड़ाधूम	८८८	५०	..
६	लक्ष्मणदास शुक्ला यजुर्वेद विद्यालय, खुर्जा	८७६	..	..
७	गुरुकुल महाविद्यालय, सिकन्दराबाद, पो० आ० खास	१,१५२	..	..
८	श्री सरस्वती संस्कृत पाठशाला पक्काधार, अनूपशहर	५४०	५०	..

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ३२२ एल० ए०—१९५५-७९६ ।

सत्यमेव जयते